



The Uttar Pradesh Harcourt Butler Technical University Act, 2016

Act 11 of 2016

Keyword(s):

Academic Council, Adjunct Professor, Authority, Council

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 7 अप्रैल, 2016

चैत्र 18, 1938 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

(विधायी अनुभाग-1)

संख्या 586/79-वि-1-16-1(क)10-2016

लखनऊ, 7 अप्रैल, 2016

अधिसूचना

विविध

“भारत के संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय विधेयक, 2016, पर दिनांक 6 अप्रैल, 2016 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 2016 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 2016)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, बेसिक एवं अनुप्रयुक्त विज्ञान, मानविकी, सामाजिक विज्ञान, प्रबन्धन, वास्तुशास्त्र तथा अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के क्षेत्र में शोध और विकास तथा उद्भवन पर संकेद्रित हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिक संस्थान कानपुर को हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय कानपुर के रूप में पुनर्गठित कर उसे एक अग्रणी आवासीय विश्वविद्यालय एवं उत्कृष्टता का केन्द्र बनाने, उच्च शिक्षा के उदीयमान क्षेत्रों में अध्ययन, शोध और नवाचार को प्रोत्साहित करने, सतत शिक्षा कार्यक्रम तथा ज्ञान उद्भवन के माध्यम से कौशल विकास को अग्रसर करने एवं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी उत्कृष्टता प्राप्त करने और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक अन्य विषयों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

चूँकि हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिक संस्थान (कानपुर) सोसाइटी द्वारा संचालित हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिक संस्थान उत्तर प्रदेश सरकार की एक संस्था है, जो डा0ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्ध है;

और चूँकि उक्त संस्था को विश्वविद्यालय की प्रास्थिति प्रदान करना समीचीन है जिससे उसको अध्यापन और अनुसंधान केन्द्र के रूप में, अधिक दक्षतापूर्वक कार्य करने हेतु समर्थ बनाया जा सके ताकि अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी, अनुप्रयुक्त विज्ञान और प्रबन्धन विज्ञान, उच्चतर शिक्षा एवं अनुसंधान की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके, उद्योग, सुसंगत अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित किया जा सके और समाज तथा राष्ट्र की सेवा करने हेतु बेहतर कार्यक्षेत्र तथा अवसर का लाभ उठाया जा सके।

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

अध्याय-1

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 कहा जाएगा।

(2) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा, जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियुक्त करे।

परिभाषाएं

2-जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में-

(1) "विद्या परिषद" और "कार्य परिषद" का तात्पर्य विश्वविद्यालय की क्रमशः विद्या परिषद और कार्यकारी परिषद् से है;

(2) "अनुबद्ध आचार्य", "अनुबद्ध सह आचार्य" तथा "अनुबद्ध सहायक आचार्य" का तात्पर्य शैक्षिक क्षेत्र, उद्योग, व्यापार, कृषि, वाणिज्य या किसी अन्य सहबद्ध क्षेत्र के किसी व्यक्ति से है, जो विश्वविद्यालय के साथ सहयोग या सहयोजन की अवधि के दौरान इस प्रकार नामनिर्दिष्ट हो;

(3) "प्राधिकारी" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के प्राधिकारी से है;

(4) "परिषद्" का तात्पर्य अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987 (अधिनियम संख्या 52, सन् 1987) के अधीन स्थापित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से है;

(5) "बोर्ड" का तात्पर्य अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी प्रत्यायन बोर्ड से है;

(6) "कुलाधिपति", "कुलपति", "प्रति-कुलपति" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के क्रमशः कुलाधिपति, कुलपति और प्रति कुलपति से है;

(7) "सहयोग" का तात्पर्य अन्य विश्वविद्यालयों, शैक्षिक संस्थाओं, शोध संस्थाओं (स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय) और संगठनों (शोध, उद्योग, व्यापार और वाणिज्य आदि) के साथ विश्वविद्यालय के सहयोगपूर्ण शैक्षिक गतिविधि से है;

(8) "सतत शिक्षा कार्यक्रम केन्द्र" का तात्पर्य कौशल विकास और ज्ञान उद्भवन को अग्रसर करने के लिए सतत् शिक्षा कार्यक्रम हेतु विश्वविद्यालय के किसी केन्द्र से है;

(9) "विभाग" का तात्पर्य किसी विशिष्ट विषय या विषय समूह के अध्यापन हेतु विश्वविद्यालय के किसी विभाग से है;

(10) "शुल्क" का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों से प्रभारित और संगृहीत की जाने वाली शुल्क, जिसे जिस भी नाम से पुकारा जाय, से है;

- (11) "हाल" एवं "छात्रावास" का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित तथा मान्यता प्राप्त छात्रों के निवास के किसी इकाई से है;
- (12) "भूतपूर्व संस्थान" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के प्रारम्भ से पूर्व यथा विद्यमान समस्त आस्तियों, कर्मचारिवृन्द, कर्मचारियों सेवा नियमावली आदि के साथ वर्तमान हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिक संस्थान (कानपुर) सोसाइटी के अधीन हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर से है;
- (13) "उद्भवन हब" का तात्पर्य विश्वविद्यालय में नवाचार और उद्भवन को प्रोन्नत करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित और अनुरक्षित नवाचार और उद्भवन से है;
- (14) "विहित" का तात्पर्य परिनियमों द्वारा विहित से है;
- (15) "कुलसचिव" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के कुलसचिव से है;
- (16) "विद्यालयों, केन्द्रों और इकाइयों" का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा सुसंगत क्षेत्रों में अध्यापन, शोध नवाचार, उद्भवन और प्रशिक्षण में लगे ज्ञान संबंधी विद्यालयों, केन्द्रों और इकाइयों के रूप में अभिनियोजित शैक्षिक सत्ता से है;
- (17) "कौशल विकास केन्द्र" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के कौशल विकास केन्द्र से है;
- (18) "परिनियम", "अध्यादेश" और "विनियम" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विश्वविद्यालय के क्रमशः परिनियम, अध्यादेश, और विनियम से है;
- (19) "छात्र परिषद्" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन स्थापित छात्र परिषद से है;
- (20) "अध्यापक" का तात्पर्य विश्वविद्यालय में कार्यरत आचार्य, सह आचार्य या सहायक आचार्य से है;
- (21) "विश्वविद्यालय" का तात्पर्य हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय से है।

अध्याय-2

विश्वविद्यालय

- 3-(1) विश्वविद्यालय में कुलाधिपति, कुलपति, कार्यकारी परिषद, विद्या परिषद के सदस्य और इस रूप में पद धारण करने वाले अन्य व्यक्तियों को एतद्द्वारा हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर के नाम से गठित किया जाता है;
- (2) विश्वविद्यालय एक निगमित निकाय होगा;
- (3) किसी अन्य विधि में या किसी संविदा या अन्य लिखत में हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिक संस्थान कानपुर को किया गया कोई संदर्भ, विश्वविद्यालय को किये गये संदर्भ के रूप में बना रहेगा;
- (4) हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिक संस्थान कानपुर से संबंधित समस्त चल या अचल सम्पत्ति राज्य सरकार द्वारा सोसायटी से अधिगृहीत कर ली जाएगी और विश्वविद्यालय को अन्तर्गत कर दी जायेगी;
- (5) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिक संस्थान कानपुर द्वारा नियोजित प्रत्येक व्यक्ति, निदेशक, उपनिदेशक, कुल सचिव, उप कुल सचिव और सहायक कुल सचिव को छोड़कर विश्वविद्यालय में अपने पद या सेवा को, उन्हीं निबन्धन एवं शर्तों पर, इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, और जब तक उनमें परिवर्तन न हो जाय, जिसके अन्तर्गत छुट्टी, पेंशन, उपदान, भविष्य निधि आदि और अन्य मामले भी हैं, धारण करेगा जैसा वह इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व धारण करता और वह इस प्रकार कार्य करता रहेगा जब तक कि उसका नियोजन समाप्त न कर दिया जाय और उसने विश्वविद्यालय के नियोजन संबंधी निबन्धन एवं शर्तों के लिए विकल्प न दे दिया हो;

विश्वविद्यालय का
निगमन

(6) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिक संस्थान कानपुर के वर्तमान छात्र, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से पूर्व पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों में सम्मिलित हुए हों, पूर्व व्यवस्था के अधीन शैक्षिक पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों को जारी रखेंगे, जब तक कि उक्त प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा सम्यक् रूप से गठित समिति की संस्तुति पर अध्यादेशों में अन्यथा कोई विशिष्ट उपबंध न किया गया हो;

(7) विश्वविद्यालय राज्य सरकार की पूर्व सहमति के बिना विश्वविद्यालय की किसी चल या अचल सम्पत्ति को न पट्टे पर देगा, न उसका विक्रय करेगा या अन्यथा न उसका अन्तरण या निस्तारण करेगा।

विश्वविद्यालय के
उद्देश्य

4-विश्वविद्यालय के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे:-

(क) अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित वर्तमान आवश्यकताओं, प्रत्याशित परिवर्तनों और प्रक्षिप्त दीर्घकालिक शैक्षणिक अनुसंधान और उद्योग और सामाजिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, बेसिक एवं अनुप्रयुक्त विज्ञान, मानविकी, सामाजिक विज्ञान और प्रबन्धन, वास्तुशास्त्र और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में शिक्षा हेतु सुविधाएं प्रदान करना, युक्ति निकालना और कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना;

(ख) अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, बेसिक एवं अनुप्रयुक्त विज्ञान, मानविकी, सामाजिक विज्ञान और प्रबन्धन, वास्तुशास्त्र और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में ज्ञान की अभिवृद्धि करना; अध्ययन करना और अनुसंधान नवाचार तथा उद्भवन का संवर्धन करना, समाज की बेहतरी के लिए ज्ञान का प्रसार करना और ऐसे क्षेत्रों में की गयी प्रगति द्वारा निरन्तर जनित उपकरणों और पद्धति के विषय में वृहद रूप से जानकारी प्रदान करना;

(ग) एक तरफ शैक्षिक संस्थाओं और शोध समुदायों के मध्य और दूसरी तरफ उद्योग और विश्वविद्यालय के मध्य सहयोग एवं विचारों का आदान प्रदान करना और उद्यमिता का संप्रवर्तन करना;

(घ) विश्वविद्यालय के प्रशासन में सुधार हेतु बेहतर पारस्परिक क्रिया और समन्वय का संवर्धन करना और शिक्षा को सुकर बनाना;

(ङ) अनुशासन और बौद्धिक अन्वेषण की क्षमता का संप्रवर्तन करना और उत्कृष्टता प्राप्त करने हेतु सतत रूप से प्रयासरत रहने के लिए एक निर्भय शैक्षिक समुदाय के रूप में स्वयं को समर्पित करना;

(च) अनुसंधान तथा ज्ञान उद्भवन के माध्यम से नवाचार का संप्रवर्तन करना;

(छ) समाज के लाभ के लिए कौशल विकास एवं मानवशक्ति प्रशिक्षण गतिविधियों को बढ़ावा देना;

(ज) छात्रों, अध्यापकों और अन्य व्यक्तियों में उभरते हुए उद्यमियों के लिए अनुसंधान और विकास तथा उद्भवन सुविधाएं प्रदान करना और उन्हें विधिक, वित्तीय, विपणन और अन्य मामलों में सहायता प्रदान करना;

5-(1) विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे:-

(क) अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, बेसिक और अनुप्रयुक्त विज्ञान, मानविकी, सामाजिक विज्ञान, प्रबंधन, वास्तुशास्त्र और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की ऐसी शाखाओं, जिन्हें विश्वविद्यालय उपयुक्त समझे, में अनुदेश, प्रशिक्षण, शोध और नवाचार की व्यवस्था करना और उक्त विषयों में शिक्षा प्राप्ति के संप्रवर्तन और ज्ञान के प्रसार के निमित्त व्यवस्था करना;

विश्वविद्यालय की
शक्तियां और कृत्य

(ख) परीक्षाओं का आयोजन करना और मानद उपाधियां, पोस्ट डॉक्टरल उपाधियां (डीएससी, डी लिट) डॉक्टरल उपाधियों, ड्यूअल उपाधियां, पूर्व स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधियां, स्नातकोत्तर डिप्लोमा, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र और अन्य शैक्षिक विशिष्टताएं ऐसे व्यक्तियों को प्रदान करना :-

(एक) जिन्होंने पाठ्यक्रमानुसार विश्वविद्यालय या अंशतः विश्वविद्यालय में अंशतः किसी अन्य संस्था में परिनियमों और अध्यादेशों में निर्धारित शर्तों के अनुसार अध्ययन किया हो; अथवा

(दो) जो अध्यादेशों में यथा विहित या निर्धारित शर्तों के अधीन अन्य शैक्षणिक या शोध संस्थाओं में अध्यापक, शोधकर्ता या उद्यमकर्ता हों और परिनियमों और अध्यादेशों में निर्धारित शर्तों के अधीन विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन किये हों;

(ग) उपाधियां, डिप्लोमा आदि प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह का आयोजन करना:

परन्तु यह कि मानद उपाधि प्रदान करने से संबंधित प्रत्येक प्रस्ताव कुलाधिपति द्वारा पुष्टि के अध्वधीन होगा;

(घ) अन्य महाविद्यालयों, संस्थानों, विश्वविद्यालयों और प्राधिकारियों के साथ ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजनों के लिए सहकार या सहयोग करना जैसा विहित किया जाय:

परन्तु यह कि किसी विदेशी सहयोग के लिए राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित होगा;

(ङ) राज्य सरकार के अनुमोदन से विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित अध्यापन, शोध, वैज्ञानिक और अभियांत्रिकी पद सृजित करना और परिनियमों और अध्यादेशों के उपबंधों के अनुसार ऐसे पदों पर व्यक्तियों की नियुक्ति करना;

(च) अध्यादेशों के उपबंधों के अनुसार सम्मेलन, परिसंवाद, कार्यशालाएं, प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रदर्शनियां आदि आयोजित करना;

(छ) अध्यादेशों द्वारा यथा निर्धारित शुल्क और प्रभार की मांग करना, उन्हें प्राप्त करना, रखे रहना और व्यय करना;

(ज) विश्वविद्यालय के अध्यापकों, अधिकारियों, कर्मचारिवृन्द और छात्रों के लिए परिसर में भवनों/फ्लैटों और हॉस्टलों/हॉलों को स्थापित करना और उनका प्रबन्धन तथा अनुरक्षण करना;

(झ) हॉस्टलों/हॉलों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करना और विश्वविद्यालयों के छात्रों के अनुशासन को विनियमित करना और उनके स्वास्थ्य, सामान्य कल्याण और सांस्कृतिक एवं अन्य संबंधित पहलुओं के संवर्धन के लिए व्यवस्था करना;

(ञ) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को पूरा करने हेतु विद्यालयों, विभागों, केन्द्रों, इकाईयों, प्रेक्षागृहों, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, संग्रहालयों और अन्य आवश्यक सत्ताओं की स्थापना अनुरक्षण और उनका प्रबंधन करना;

(ट) विश्वविद्यालय के विभिन्न सत्ताओं के मध्य समन्वय स्थापित करना और उनकी गतिविधियों का अधीक्षण करना;

(ठ) राज्य और राष्ट्र की आवश्यकताओं की विशेषज्ञताओं, शिक्षा के स्तर और तकनीकी मानव शक्ति (अल्प-कालिक और दीर्घकालिक दोनों ही) का निर्धारण करने के लिए और इन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्यक्रम का सूत्रपात प्रारम्भ करना;

(ड) अभियंत्रण प्रौद्योगिकी, बेसिक एवं अनुप्रयुक्त विज्ञान, मानविकी, सामाजिक विज्ञान, प्रबन्धन, वास्तुशास्त्र और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में निहित प्रवृत्तियों की गहन जानकारी पर आधारित उच्चतर अध्ययन और शोध संबंधी कार्यक्रमों का आयोजन ऐसे व्यवसायियों को तैयार करने की दृष्टि से करना जो न केवल आधुनिक हों बल्कि मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए भी योग्य हों;

(ढ) शोध, नवाचार, अभिकल्प और विकास संबंधी ऐसी गतिविधियों जो राज्य और राष्ट्र के सामाजिक आवश्यकताओं और विकास कार्यक्रमों के सुसंगत हों, का सम्प्रवर्तन करना;

(ण) प्रशासकीय, लिपिकीय और विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित अन्य पदों का राज्य सरकार के अनुमोदन से सृजन करना और परिणियमों और अध्यादेशों के उपबंधों के अनुसार ऐसे पदों पर व्यक्तियों की नियुक्ति करना;

(त) पूरक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए उद्योगों और सरकार के सहयोग को सूचीबद्ध करने हेतु उपाय करना;

(थ) पाठ्यपुस्तकों और अन्य शिक्षा सामग्री आदि की तैयारी के लिए और शोध पत्र एवं पत्रिकाओं को प्रकाशित करने हेतु सुविधाएं उपलब्ध कराना;

(द) शैक्षणिक मापदण्ड में उद्देश्यों के सतत मूल्यांकन और पुनर्भिविन्यास के उत्तरोत्तर परिचय के लिए व्यवस्था करना;

(ध) विस्तारीकरण, विविधीकरण तथा ज्ञान कौशल का अद्यतनीकरण या अभिवर्धन के उद्देश्य से सतत शिक्षा का अवसर प्रदान करना;

(न) अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, बेसिक और अनुप्रयुक्त विज्ञान, मानविकी, सामाजिक विज्ञान और प्रबन्धन, वास्तुशास्त्र और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों और समाज के प्रति उसकी जिम्मेदारी और सेवा की अपेक्षाओं और अवसरों के सम्बन्ध में जनमानस को शिक्षित करना ;

(प) तकनीकी शिक्षा, शोध और विकास, नवाचार और उद्भवन से संबंधित मामलों में सरकार के किसी सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करना;

(फ) ऐसे कार्यों और चीजों को करना जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के प्रोत्साहन के लिए आवश्यक हों;

(ब) भारत में अथवा विदेश के किसी अन्य विश्वविद्यालय अथवा संगठन में कार्यरत व्यक्तियों को राज्य सरकार/ भारत सरकार के नियमों के अनुसार विश्वविद्यालय के अनुबद्ध आचार्य/वैज्ञानिक, अनुबद्ध सह आचार्य/वैज्ञानिक तथा अनुबद्ध सहायक आचार्य/वैज्ञानिक प्रतिष्ठित आचार्य/वैज्ञानिक के रूप में नियुक्त करना तथा मान्यता प्रदान करना;

(भ) शिक्षकों/छात्रों को विश्वविद्यालय में तथा अन्य विश्वविद्यालय/विद्यालयों तथा उद्योगों में सीमित अवधि हेतु विश्वविद्यालय के हस्ताक्षरित ज्ञापन के अनुसार शिक्षक की अनुमति से इधर-उधर जाने हेतु सुविधा देना, परन्तु यह कि विदेश में परिदर्शन के लिए राज्य सरकार की स्वीकृति की आवश्यकता होगी;

(म) विश्वविद्यालय, विद्यालय, केन्द्र और इकाई में विभिन्न पाठ्यक्रमों में अध्ययन हेतु छात्रों के प्रवेश का पर्यवेक्षण नियंत्रण तथा विनियमन करना;

(य) अधिमानतः अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/ अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी प्रत्यायन बोर्ड, जैसा लागू हो, द्वारा विद्यालय, विभाग, केन्द्र और इकाई में अनुमोदित व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित करना;

(कक) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एआईसीटीई/यूजीसी) के मापदण्ड के अनुसार विश्वविद्यालय में अध्यापक/ छात्र अनुपात और शैक्षणिक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी अनुपात को बनाए रखना;

(कख) प्रत्येक विश्वविद्यालय, विद्यालय, विभाग, केन्द्र और इकाई के शैक्षिक और शोध कार्य का अनुश्रवण और मूल्यांकन करना;

(कग) निरीक्षण के प्रयोजनार्थ स्थापित उपयुक्त तंत्र के माध्यम से विश्वविद्यालय, विद्यालय, विभाग, केन्द्र और इकाई का, जहाँ आवश्यक हो, निरीक्षण करना और यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय करना कि शिक्षण, अध्यापन और प्रशिक्षण के उचित मानक उनके द्वारा बनाए रखे जाएं और पर्याप्त पुस्तकालय, प्रयोगशाला, छात्रावास, कार्यशाला और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।

(कघ) न्यासों, विन्यासों और संस्था का धारण और उनका प्रबन्ध करना और विश्वविद्यालयों के अध्यापकों, कर्मचारिवृन्द और छात्रों के लिए अध्यादेशों में यथा निर्धारित अध्येतावृत्ति, विश्राम/अध्ययन छुट्टी, यात्रा अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति, अध्ययनवृत्ति, शोध, पदक और शोध पुरस्कार संस्थित करना और उन्हें प्रदान करना;

(कङ) अध्यादेशों द्वारा समय-समय पर यथा विनियमित शुल्क और अन्य प्रभार नियत करना, मांगना, रखे रहना, वसूल करना, प्राप्त करना तथा व्यय करना;

(कच) विश्वविद्यालय के परिसर में छात्रों के आचरण और अनुशासन का पर्यवेक्षण करना, उन पर नियन्त्रण रखना और उन्हें विनियमित करना;

(कछ) विश्वविद्यालय के अध्यापकों, कर्मचारिवृन्द और छात्रों के स्वस्थ वातावरण और कल्याण के संवर्धन के लिए व्यवस्था करना;

(कज) परिनियमों के उपबंधों के अनुसार विश्वविद्यालय के अध्यापकों, अधिकारियों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के कार्यों का निर्धारण करना;

(कझ) विश्वविद्यालय के परिसर में यथा विहित कार्यालय अवधि के दौरान और कार्यालय अवधि के बाद अध्यापकों, अधिकारियों और शिक्षणेत्तर कर्मचारिवृन्द की उपयुक्त हाजिरी और उपस्थिति को सुनिश्चित करना और अध्यापकों, अधिकारियों और शिक्षणेत्तर कर्मचारिवृन्द को निजी ट्यूशन या निजी कोचिंग कक्षाएं या व्यवसाय आदि के चलाने या संचालित करने से प्रतिषिद्ध करना;

(कञ) परिनियम में दिये गये उपबंधों के अनुसार विश्वविद्यालय में उद्योग, शिक्षा प्रकोष्ठ स्थापित करना, परिनियम के उपबंधों के अनुसार पारस्परिक लाभ के लिए और संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए आपसी बातचीत और विचार-विमर्श में तेजी लाना;

(कट) समस्त सुसंगत मामलों के लिए आचार संहिता विहित करना;

(कठ) जब भी आवश्यक हो, निम्नलिखित का अनुरक्षण, प्रबंधन और उनकी स्थापना करना :

(क) मुद्रण एवं प्रकाशन विभाग;

(ख) विश्वविद्यालय विस्तार बोर्ड;

(ग) सूचना ब्यूरो;

(घ) रोजगार मार्गदर्शन ब्यूरो; और

(ङ) ऐसे अन्य क्रियाकलाप जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक और संभव हों;

(कड) निम्नलिखित में छात्रों की भागीदारी के लिए व्यवस्था करना :-

(क) राष्ट्रीय सेवा योजना;

(ख) राष्ट्रीय कैडेट कोर;

(ग) राष्ट्रीय खेल संगठन;

(घ) शारीरिक एवं सैन्य प्रशिक्षण;

(ङ) वहिर्वर्ती अध्यापन और शोध;

(च) वयस्क तथा सतत् शिक्षा और विस्तार, यदि कोई हो, से सम्बन्धित कार्यक्रम;

(छ) आर्थिक और सामाजिक उन्नयन की ओर केन्द्रित कोई अन्य कार्यक्रम, सेवा या क्रियाकलाप जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक और संभव हो;

(कढ) विश्वविद्यालय क्षेत्र में संचालित किसी ऐसी इकाई का विश्वविद्यालय के हित में, परिसमापन करना जहाँ विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त जांच समिति को प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट हो जाता है कि ऐसी इकाई द्वारा अनियमितताएं या आपराधिक प्रकृति के कृत्य या अनाचरण किये गये हैं;

(कण) विदेश और देश के भीतर विश्वविद्यालयों, संस्थाओं, शोध प्रयोगशालाओं, उद्योग के साथ शैक्षिक सहयोग कार्यक्रम प्रारम्भ करना तथापि विदेशी विश्वविद्यालय के उपर्युक्त सहयोग की दशा में राज्य सरकार से पूर्व अनुमोदन आवश्यक होगा;

(कत) विदेशी अभिकरणों से सहयोग कार्यक्रमों के लिए निधि प्राप्त करना जो उस निमित्त केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के नियमों और विनियमों के अध्यक्षीन होगा;

(कथ) विश्वविद्यालय के अध्यापकों, अधिकारियों और शिक्षणोत्तर कर्मचारिवृन्द के उत्तरदायित्वों को सुनिश्चित करने के लिए किसी परिचालन स्कीम का सृजन करना;

(कद) विश्वविद्यालय में एक से अधिक विद्यालयों, विभागों, केन्द्रों तथा विश्वविद्यालय के शोध प्रयोगशालाओं, विद्यालय उद्योगों एवं अन्य निकायों के भी मध्य एकल वेतनमान पर संयुक्त नियुक्ति करना;

(कध) राज्य सरकार द्वारा यथा अनुमोदित पद संरचना को अंगीकृत करते हुए विश्वविद्यालय के परिनियमों में निर्धारित नियमों और विनियमों के अनुसार विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापन और शिक्षणोत्तर कर्मचारिवृन्द की पदोन्नति प्रदान करना;

(कन) विश्वविद्यालय की उपर्युक्त शक्तियों उसके कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किन्हीं निदेशों का अनुपालन तथा कार्यान्वयन करना;

(कप) प्रौद्योगिकी के लाभ को संबंधित क्षेत्र में अन्तर्गत करने के उद्देश्य से उद्योग और समाज को परीक्षण और परामर्श सेवा प्रदान करना;

(कफ) विश्वविद्यालय के उदीयमान उद्यमकर्ताओं, छात्रों और साथ में अन्य संस्थाओं के अध्यापकों तथा कुशल व्यक्तियों और उद्योगों को नवाचार और उद्भवन सहायता प्रदान करना;

(कब) नवाचार और शोध और विकास गतिविधियों का सम्प्रवर्तन करना;

(कभ) विश्वविद्यालय परिसर में पेटेंट दाखिल करने की सुविधा प्रदान करना ;

(कम) विश्वविद्यालय कम्प्यूटर केन्द्र, पुस्तकालय, प्रेक्षागृह, उपकरण केन्द्र, कार्यशाला तथा स्टेडियम तथा क्रीड़ा-स्थल आदि हेतु सुविधाओं की व्यवस्था करना;

(कय) कार्य परिषद के अनुमोदनोपरान्त पीठों, संस्थाओं, भवनों के नाम पर व्यक्ति/व्यक्तियों से उपकृति, धर्मदान और उपहार और तत्समान अन्य वस्तुएं प्राप्त करना;

(खक) विद्यालय कार्यक्रमों की समाप्ति पर पूर्व स्नातक और परास्नातक दोनों स्तर पर छात्रों के लिए नियोज्यता, उद्यमिता और अन्तर वैयक्तिक कौशल के सुधार हेतु कार्यक्रमों का आयोजन करना।

विश्वविद्यालय की निधि

6-विश्वविद्यालय की निधि के अन्तर्गत निम्नलिखित होंगे :-

(क) राज्य सरकार से अनुदान;

(ख) केन्द्र सरकार से अनुदान;

(ग) बचत, सावधि जमा तथा अन्य आस्तियों पर बैंक ब्याज से अर्जित आय;

(घ) बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारों, रायल्टी, पेटेंट, उद्भवन से अर्जित राजस्व;

(ङ) परीक्षण सेवा तथा उद्योगों को परामर्श से अर्जित राजस्व;

(च) छात्रों का शुल्क;

(छ) अन्य शुल्क इत्यादि।

7-(1) विश्वविद्यालय प्रत्येक लिंग और किसी भी वंश, मत, जाति या वर्ग के व्यक्तियों के लिए होगा और विश्वविद्यालय के लिए यह विधि सम्मत नहीं होगा कि वह किसी व्यक्ति को विश्वविद्यालय के अध्यापक के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए या उसमें कोई पद धारण करने के लिए विश्वविद्यालय में छात्र के रूप में प्रवेश किये जाने के लिए या उसके किसी विशेषाधिकार का उपभोग या प्रयोग करने हेतु हकदार करने के उद्देश्य से धार्मिक विश्वास या व्यवसाय या राजनीतिक विचार की कोई परीक्षा जो भी हो, ले या उस पर अधिरोपित करे;

विश्वविद्यालय सभी वंश, मत, जातियों और वर्गों के लिए होगा

(2) इस धारा की कोई बात विश्वविद्यालय को महिलाओं, समाज के निर्बल वर्गों के व्यक्तियों और विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की नियुक्ति या प्रवेश के लिए कोई विशेष उपबन्ध बनाने से नहीं रोकेगी।

अध्याय-3

सरकार द्वारा निरीक्षण, जाँच एवं निदेश

8-(1) सरकार के पास यह शक्ति होगी कि वह ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जैसा वह उचित समझे, विश्वविद्यालय और उसके साथ उसके भवनों, पुस्तकालयों, प्रयोशालाओं, कार्यशालाओं और उपस्कर, परीक्षाओं, अध्यापन और विश्वविद्यालय द्वारा संचालित अन्य संबंधित कार्यों का निरीक्षण करा सके अथवा इसी प्रकार विद्यालय के शैक्षिक, प्रशासनिक और अन्य मामलों के सम्बन्ध में जाँच करा सके;

निरीक्षण एवं जांच

(2) जहाँ राज्य सरकार धारा 8(1) के अधीन निरीक्षण या जांच कराने का विनिश्चय करे वहाँ वह कुलसचिव के माध्यम से निरीक्षण के बारे में विश्वविद्यालय को सूचित करेगी और कार्य परिषद द्वारा नामित कोई व्यक्ति ऐसे निरीक्षण या जांच के समय विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित रह सकेगा और उसे यह अधिकार होगा कि इस रूप में उसकी बात सुनी जाय:

परन्तु यह कि कोई भी विधि व्यवसायी ऐसे निरीक्षण जाँच के समय विश्वविद्यालय की तरफ से उपस्थित होने, अभिवाक् करने या कार्य करने का अधिकारी नहीं होगा;

(3) धारा 8(1) के अधीन निरीक्षण या जाँच करने के लिए नियुक्त व्यक्ति या व्यक्तियों को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय शपथ पत्र का साक्ष्य लेने और साक्षियों को हाजिर कराने, दस्तावेजों और महत्वपूर्ण सामग्री प्रस्तुत कराने के प्रयोजनार्थ सिविल न्यायालय की समस्त शक्तियाँ प्राप्त होंगी और दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 345 और 346 के अर्थान्तर्गत सिविल न्यायालय समझा जायेगा और उसके या उनके समक्ष कोई कार्यवाही भारतीय दण्ड संहिता की धारा 193 और 228 के अन्तर्गत न्यायिक प्रक्रिया समझी जायेगी;

(4) राज्य सरकार ऐसी जाँच या निरीक्षण के परिणाम को कुलपति को प्रेषित करेगी और कुलपति आवश्यक कार्यवाही करने के पश्चात राज्य सरकार के विचारों को ऐसे परामर्श के साथ जो राज्य सरकार उस संबंध में की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में प्रदान करे, कार्य परिषद को संसूचित करेगा;

(5) कुलपति राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित समय के भीतर कार्य परिषद द्वारा कृत कार्यवाही या प्रस्तावित कार्यवाही की आख्या राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करेगा;

(6) यदि विश्वविद्यालय के प्राधिकारी युक्तियुक्त समय के भीतर राज्य सरकार के समाधान के अनुसार कार्यवाही नहीं करते हैं तो सरकार ऐसे विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराये गये स्पष्टीकरण पर विचार करने के पश्चात ऐसे निदेश जारी कर सकती है, जैसा वह उचित समझे, और विश्वविद्यालय के प्राधिकारी ऐसे निर्देशों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होंगे;

(7) राज्य सरकार धारा 8(1) के अधीन करायी गयी जाँच या निरीक्षण और धारा 8(5) के अधीन कुलपति से प्राप्त संसूचना और धारा 8(6) के अधीन जारी प्रत्येक निर्देश की आख्या और ऐसे निर्देश के अनुपालन या अननुपालन के संबंध में प्राप्त प्रत्येक आख्या या सूचना की भी एक प्रति कुलाधिपति को प्रेषित करेगी;

(8) इस धारा के पूर्वगामी उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कुलाधिपति प्राविधिक शिक्षा विभाग के परामर्श से विश्वविद्यालय के किन्हीं कार्यवाहियों को, जो इस अधिनियम, परिनियम और अध्यादेशों के अनुरूप न हों, लिखित रूप में निरस्त करने के लिए आदेश दे सकता है:

परन्तु यह कि ऐसा आदेश देने के पहले कुलाधिपति विश्वविद्यालय से यह कारण बताने के लिए कहेगा कि ऐसा आदेश क्यों नहीं पारित किया जाय और वह बताये गये कारण, यदि कोई हो, विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर विचार करेगा;

(9) विश्वविद्यालय को इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से पूर्व एचबीटीआई कानपुर के शासकीय बोर्ड के समक्ष वर्तमान और लंबित जांच/निरीक्षण आमंत्रित करने वाले समस्त मामलों को हस्तगत कर लेगा और इसकी विभिन्न उप-समितियों इस अधिनियम के माध्यम से विश्वविद्यालय के सृजन के साथ विलीन हो जायेंगी। शासकीय बोर्ड और उसकी विभिन्न उप-समितियों के समक्ष ऐसे समस्त मामले विश्वविद्यालय के कार्य परिषद द्वारा स्वतः अधिकार में ले लिए जाएंगे।

सरकार का नियंत्रण

9-(1) राज्य सरकार ऐसे नीतिगत मामलों पर जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, समय-समय पर ऐसे निर्देश जारी कर सकती है जैसा वह उचित समझे। विश्वविद्यालय द्वारा ऐसे निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा;

(2) राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना विश्वविद्यालय निम्नलिखित कार्य नहीं करेगा:-

(क) जिस प्रयोजन के लिए चिन्हित निधि प्राप्त की गयी हो उससे भिन्न प्रयोजन के लिए उसे परिवर्तित करना;

(ख) किसी अचल सम्पत्ति का विक्रय, पट्टा अथवा अन्य प्रकार से अंतरण करना;

(ग) किसी ऐसे निर्णय को लेना जिससे विश्वविद्यालय या राज्य सरकार पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई वित्तीय दायित्व आये।

(3) राज्य सरकार विश्वविद्यालय के खातों की लेखा नमूना परीक्षा या पूर्ण लेखा परीक्षा, जैसा सरकार उचित समझे, करायेगी।

अध्याय-4

विश्वविद्यालय के अधिकारी

10-विश्वविद्यालय के निम्न अधिकारी होंगे:-

- (1) कुलाधिपति
- (2) कुलपति
- (3) प्रति कुलपति
- (4) कुलसचिव
- (5) वित्त नियंत्रक
- (6) डीन शैक्षिक क्रियाकलाप
- (7) डीन सतत् शिक्षा तथा आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन
- (8) डीन उद्भवन हब
- (9) डीन योजना तथा संसाधन उत्पादन
- (10) डीन शोध एवं विकास
- (11) डीन छात्र कल्याण
- (12) डीन विश्वविद्यालय विद्यालय
- (13) विश्वविद्यालय विभाग, विद्यालय, केन्द्र अथवा इकाई के अध्यक्ष
- (14) परीक्षा नियंत्रक
- (15) विश्वविद्यालय के ऐसे अन्य अधिकारी जो परिनियमों द्वारा घोषित किये जाएं।

विश्वविद्यालय के अधिकारी

11-(1) उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कुलाधिपति होंगे। वह अपने पद की हैसियत से विश्वविद्यालय के अध्यक्ष होंगे और जब वह उपस्थित हों, तो विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगे; कुलाधिपति

(2) किसी मानद उपाधि प्रदान करने हेतु प्रत्येक प्रस्ताव कुलाधिपति के पूर्व अनुमोदन के अधीन होगा;

(3) कुलाधिपति, विश्वविद्यालय के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी कोई सूचना या अभिलेख मांग सकते हैं जिसका विश्वविद्यालय द्वारा अनुपालन किया जायेगा;

(4) कुलाधिपति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी के निकाय, समिति या अधिकारी के संकल्प, आदेश या कार्यवाही को निरस्त या उपान्तरित कर सकते हैं, जो उनकी राय में इस अधिनियम परिनियम, अध्यादेशों या उनके अधीन बनाए गये विनियम के उपबंधों के अनुरूप न हो अथवा विश्वविद्यालय के हित में न हो और विश्वविद्यालय प्राधिकारी, निकाय, समिति और अधिकारी उसका अनुपालन करेंगे;

(5) कुलाधिपति के पास ऐसी शक्तियां होंगी जैसा परिनियमों द्वारा उन्हें प्रदत्त की जाए।

12-(1) कुलपति अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी अथवा अनुप्रयुक्त विज्ञान के किसी क्षेत्र में ख्याति प्राप्त ऐसा विद्वान होगा जिसके पास उच्चतर शिक्षा के स्नातक प्राविधिक उपाधि स्तर के संस्थान या विश्वविद्यालय में आचार्य के रूप में कम से कम दस वर्ष का अनुभव हो; कुलपति

(2) कुलपति विश्वविद्यालय का एक पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और उसकी नियुक्ति उपधारा (3) में यथा उपबंधित समिति की संस्तुति पर कुलाधिपति द्वारा की जायेगी :

परन्तु यह कि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर प्रथम कुलपति की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जायेगी।

(3) कुलपति की नियुक्ति हेतु समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे:-

(क) प्राविधिक शिक्षा विभाग में राज्य सरकार का, यथास्थिति, प्रमुख सचिव या सचिव जो समिति का संयोजक भी होगा;

(ख) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा नामनिर्दिष्ट एक व्यक्ति;

(ग) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट एक व्यक्ति।

(4) समिति कुलपति के पद का कार्यकाल के समाप्त होने के कारण या अन्यथा होने वाली किसी रिक्ति के दिनांक के कम से कम 60 दिन पूर्व और जब भी आवश्यक हो और ऐसे दिनांक के पूर्व जो कुलाधिपति द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय, कुलपति का पद धारण करने के लिए योग्य न्यूनतम तीन और अधिकतम पाँच नामों को कुलाधिपति के समक्ष प्रस्तुत करेगी। समिति नामों को प्रस्तुत करते समय कुलाधिपति के समक्ष एक संक्षिप्त विवरण प्रेषित करेगी जिसमें इस प्रकार संस्तुत व्यक्तियों में से प्रत्येक की शैक्षिक अर्हताएं और अन्य विशिष्टताएं प्रदर्शित की गयी होंगी, परन्तु समिति उसमें अधिमानता क्रम को इंगित नहीं करेगी।

(5) यदि कुलाधिपति समिति द्वारा संस्तुत एक या उससे अधिक व्यक्तियों को कुलपति के रूप में नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं समझते हैं अथवा एक या एक से अधिक संस्तुत व्यक्ति नियुक्ति के लिए उपलब्ध नहीं हैं और कुलाधिपति के पास चुनाव का विकल्प तीन से कम व्यक्तियों तक सीमित है तो वह उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार नये नामों की सूची प्रस्तुत करने के लिए समिति से अपेक्षा कर सकते हैं। इस समय कुलाधिपति के लिए उपधारा (4) के अधीन प्रक्रिया के अनुसार विश्वविद्यालय के लिए कुलपति का चयन पूर्ण करने के लिए बाध्यकारी होगा।

(6) (क) केवल ऐसे व्यक्ति नियुक्ति के लिए पात्र होंगे जिन्होंने 65 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो;

(ख) कुलपति अपने पद को धारण करने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा 68 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, पद पर बने रहेंगे;

(ग) 65 वर्ष की आयु न प्राप्त करने वाले कुलपति को इस रूप में दूसरी अवधि के लिए नियुक्त किया जा सकता है:

परन्तु यह कि कोई व्यक्ति दो लगातार कार्यकालों से अधिक कार्यकाल के लिए कुलपति का पद धारण करने के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु यह और कि कुलपति कुलाधिपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है और वह कुलाधिपति द्वारा ऐसे त्याग पत्र के मंजूर किये जाने के पश्चात अपने पद पर बना नहीं रहेगा।

(7) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यक्ष, कुलपति की सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होगी जैसी उस निमित्त साधारण या विशेष आदेश द्वारा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाय और उसकी नियुक्ति के पश्चात उसके अलाभ के लिए उनमें परिवर्तित नहीं किया जायेगा।

(8) कुलपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, यदि कुलाधिपति का समाधान हो जाय कि पदधारी -

(क) पागल हो गया हो और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित कर दिया गया हो;

(ख) नैतिक अधमता में संलिप्त किसी अपराध के लिए किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया हो;

(ग) अनुमोचित दिवालिया हो गया हो और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो;

(घ) दीर्घकालिक बीमारियों या शारीरिक निःशक्तता के कारण कृत्यों का निर्वहन करने में शारीरिक रूप से अनुपयुक्त और असमर्थ हो गया हो;

(ङ.) इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने में चूक किया हो या कार्यान्वयन से इन्कार किया हो या उसमें निहित शक्तियों का दुरुपयोग किया हो;

(च) किसी ऐसे राजनीतिक दल या राजनीतिक संगठन का सदस्य हो, या अन्यथा सम्बन्ध हो, या वह किसी राजनीतिक आंदोलन या गतिविधि में भाग ले रहा हो, या उसकी सहायता के लिए अभिदाय करता हो, या उसमें भाग लेता हो;

(9) यदि कुलाधिपति का यह समाधान हो जाता है कि विश्वविद्यालय के हित में कुलपति का पद पर बने रहना हानिकारक है तो कुलाधिपति, ऐसी जांच करने के पश्चात जैसी वह उचित समझे, आदेश द्वारा कुलपति को हटा सकते हैं:

परन्तु यह कि कुलपति को अपने हटाये जाने के आदेश के जारी होने से पूर्व उसे सुने जाने का अवसर दिया जायेगा।

(10) कुलपति विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा गठित कोई पेंशन, बीमा या भविष्य निधि का लाभ प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा :

परन्तु यह कि जब किसी विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति कुलपति के रूप में की जाती है, तो उसे भविष्य निधि में अभिदाय के लिए बने रहने दिया जायेगा जिसके लिए वह अभिदाता हो और विश्वविद्यालय का अभिदाय उस सीमा तक रहेगा जिस सीमा तक वह कुलपति के रूप में अपनी नियुक्ति के ठीक पहले अभिदाय कर रहा था।

13-(1) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा और,-

- (क) विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा;
- (ख) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के विनिश्चयों को कार्यान्वित करेगा;
- (ग) कुलाधिपति की अनुपस्थिति में विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा;
- (घ) विश्वविद्यालय में अनुशासन बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होगा;
- (2) वह कार्य परिषद, विद्या परिषद और वित्त समिति का पदेन सदस्य और अध्यक्ष होगा।

(3) कुलपति का यह कर्तव्य होगा कि वह इस अधिनियम, परिनियम और अध्यादेश के उपबंधों का निष्ठापूर्वक अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करे और कुलाधिपति की शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और उसे ऐसी सभी शक्तियां प्राप्त होंगी जो उस निमित्त आवश्यक हों।

(4) कुलपति को कार्यपरिषद, विद्या परिषद और वित्त समिति आदि के अधिवेशन बुलाने अथवा बुलवाने की शक्ति होगी।

(5) विश्वविद्यालय के शैक्षणिक या गैर-शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द की नियुक्ति से भिन्न, जहाँ कोई ऐसा अत्यावश्यक मामला हो, जिसमें तत्काल कार्यवाही करना अपेक्षित हो और उसके संबंध में कार्यवाही के लिए इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन सशक्त विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी या अन्य निकाय द्वारा इस पर तत्काल कार्यवाही न की जा सके तो कुलपति ऐसी कार्यवाही कर सकता है जो वह ठीक समझे और अपने द्वारा की गयी कार्यवाही की रिपोर्ट वह तत्काल कुलाधिपति और ऐसे अधिकारी, प्राधिकारी या अन्य निकाय को भी देगा जो सामान्य क्रम में उस मामले के संबंध में कार्यवाही करते :

परन्तु यह कि यदि अधिकारी, प्राधिकारी या अधिकारिता रखने वालों की अन्य निकाय की राय हो कि ऐसी कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए थी, तो वह मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट कर सकता है जो या तो कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही की पुष्टि कर सकता है या उसे निष्प्रभावी कर सकता है या उसे ऐसी रीति से उपान्तरित कर सकता है जिसे वह ठीक समझे और तदुपरान्त वह कार्यवाही, यथास्थिति, प्रभावी नहीं होगी या उपान्तरित रूप में प्रभावी होगी, किन्तु ऐसे किसी निष्प्रभावीकरण या उपान्तरण से कुलपति के आदेश द्वारा या उसके अधीन पहले की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा :

परन्तु यह और कि विश्वविद्यालय की सेवा में किसी व्यक्ति को, जो इस उपधारा के अधीन कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही से व्यथित हो, ऐसी कार्यवाही के विरुद्ध उस दिनांक से जब उसे ऐसी कार्यवाही के संबंध में विनिश्चय से संसूचित किया जाय, तीन माह के भीतर कार्य परिषद को अपील करने का अधिकार होगा और तदुपरान्त कार्य परिषद कुलपति के आदेश को पुष्ट या निष्प्रभावी या उपान्तरित कर सकता है।

इस उपधारा की किसी बात से कुलपति को कोई ऐसा व्यय उपगत करने के लिए सशक्त नहीं समझा जायेगा जो सम्यक रूप से प्राधिकृत न हो और जिसकी व्यवस्था बजट में न की गयी हो।

(6) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा जैसी अध्यादेशों में निर्धारित या विहित की जाय;

(7) कुलपति को विश्वविद्यालय के ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों या व्यक्तियों के निकाय, जैसा वह निर्देशित करें, उसके भवनों, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, संग्रहालयों, कार्यशालाओं और उपस्कर इत्यादि और विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित या मान्यता प्राप्त हॉल या छात्रावास और विश्वविद्यालय द्वारा या उसकी ओर से संचालित परीक्षाओं, अध्यापन और अन्य कार्यों का निरीक्षण कराने और इसी प्रकार विश्वविद्यालय के प्रशासन या वित्त से संबंधित किसी मामले के संबंध में या किसी विभाग का निरीक्षण कराने का अधिकार प्राप्त होगा;

प्रति-कुलपति

14-(1) यदि कुलपति, आवश्यक समझे तो कार्य परिषद के पूर्व अनुमोदन से विश्वविद्यालय के आचार्यों में से किसी एक को प्रति-कुलपति नियुक्त कर सकेगा।

(2) प्रति-कुलपति एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसने आचार्य का पद धारण किया हो।

(3) विश्वविद्यालय का प्रति-कुलपति अपने कर्तव्यों का निर्वहन आचार्य के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन के साथ-साथ करेगा।

(4) प्रति-कुलपति, कुलपति के प्रसादपर्यन्त पद धारण करेगा।

(5) प्रति-कुलपति ऐसे मामलों के संबंध में कुलपति की सहायता करेगा, जिन्हें कुलपति समय-समय पर अपनी ओर से विनिर्दिष्ट करे और कुलपति की अनुपस्थिति में वह विश्वविद्यालय की बैठक की अध्यक्षता करेगा और ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जिन्हें कुलपति द्वारा उसे सौंपा जाय।

(6) प्रति-कुलपति को विश्वविद्यालय द्वारा यथा अवधारित मानदेय दिया जायेगा।

(7) प्रति-कुलपति का कार्यकाल कुलपति के पद का सहविस्तारी अथवा 60 वर्ष की आयु प्राप्त किये जाने तक, जो भी पहले हो, होगा।

कुलसचिव

15-(1) कुलसचिव विश्वविद्यालय का एक पूर्णकालिक अधिकारी होगा और उसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा ऐसे पदाधिकारियों में से, जो विशेष सचिव या समकक्ष श्रेणी से निम्न न हो ऐसे निबन्धन और शर्तों पर तीन वर्ष के लिए की जायेगी जैसे विहित की जाय।

(2) कुलसचिव को विश्वविद्यालय की ओर से अभिलेख अभिप्रमाणित करने की शक्ति होगी।

(3) कुलसचिव विश्वविद्यालय के अभिलेखों तथा सामान्य मुद्रा की सम्यक् अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा।

(4) कुलसचिव कार्यपरिषद का पदेन-सचिव होगा।

(5) वह ऐसे अन्य कर्तव्यों का भी पालन करेगा जो परिनियमों और अध्यादेशों द्वारा विहित किये जायं या कार्यपरिषद या कुलपति द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हो, किन्तु वह मत देने का हकदार नहीं होगा।

(6) कुलसचिव को विश्वविद्यालय के किसी कार्य के लिए कोई पारिश्रमिक, जैसा विहित किया जायं, न तो दिया जायेगा और न ही वह स्वीकार करेगा।

वित्त नियंत्रक

16-(1) विश्वविद्यालय के लिए एक वित्त नियंत्रक होगा जो राज्य सरकार द्वारा प्रतिनियुक्त पर होगा और उसके पारिश्रमिक और भत्तों का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा।

(2) वित्त नियंत्रक, वित्त समिति और कार्य परिषद के समक्ष बजट (वार्षिक अनुमानों) और लेखा विवरण तैयार करके प्रस्तुत करने तथा विश्वविद्यालय की ओर से निधियों का आहरण और वितरण करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

(3) उसे वित्त से संबंधित कार्य परिषद की कार्यवाहियों में बोलने तथा उसमें भाग लेने का अधिकार होगा।

(4) वित्त नियंत्रक का यह कर्तव्य होगा कि वह यह सुनिश्चित करें कि -

(क) विश्वविद्यालय द्वारा कोई व्यय या विनिधान, जो वित्त समिति द्वारा अनुमोदित बजट में प्राधिकृत या उपगत न हो, नहीं किया जाय;

(ख) प्रस्तावित व्यय इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार हो;

(ग) कोई वित्तीय अनियमितता न की जाय;

(घ) लेखा परीक्षा के दौरान उपदर्शित किन्हीं अनियमितताओं को ठीक करने के लिए समय पर कार्यवाही की जाय;

(ड.) विश्वविद्यालय के विनिधानों का सम्यक् रूप से परिरक्षण और प्रबंध किया जाय।

(5) वित्त नियंत्रक की पहुँच विश्वविद्यालय के ऐसे वित्तीय अभिलेखों तथा दस्तावेजों तक होगी और वह उन्हें प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा, जो उसकी राय में उसकी कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हो।

(6) वित्त नियंत्रक कार्य परिषद के पूर्व अनुमोदन से विश्वविद्यालय की ओर से सभी वित्तीय संविदायें करेगा और उन्हें हस्ताक्षरित करेगा।

(7) वित्त नियंत्रक की अन्य शक्तियां तथा कृत्य ऐसे होंगे जो विहित किये जाय।

(8) वित्त नियंत्रक वित्त समिति का सदस्य-सचिव होगा।

(9) वह समय-समय पर जारी सभी वित्तीय, वित्तीय नियम संग्रह और वित्तीय दिशानिर्देशों के अनुरूप राज्य सरकार के अनुदेशों का पालन करेगा।

17-(1) शैक्षिक क्रियाकलाप का डीन, विश्वविद्यालय के आचार्यों में से कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा। उनकी परिलब्धियां, कार्यकाल और सेवाशर्तें, शक्तियां और कर्तव्य ऐसे होंगे जैसा अध्यादेशों में निर्धारित किया जाय।

डीन, शैक्षिक क्रियाकलाप

(2) डीन दो वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और वह लगातार अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होगा।

(3) वह विश्वविद्यालय की परीक्षाओं को छोड़कर, सभी शैक्षिक मामलों के लिए उत्तरदायी होगा।

(4) वह विश्वविद्यालय कम्प्यूटर केन्द्र के समुचित प्रशासनिक कार्यकलाप के लिए भी उत्तरदायी होगा।

(5) वह विद्या परिषद का सदस्य सचिव होगा।

18-(1) सतत् शिक्षा और आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन के डीन को कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय के आचार्यों में से नामनिर्दिष्ट किया जायेगा। उसकी परिलब्धियां, सेवाशर्तें एवं निबन्धन, शक्तियां और कर्तव्य ऐसे होंगे जैसा अध्यादेशों में निर्धारित किए जाएं। वह कुलपति के सीधे नियंत्रणाधीन कार्य करेगा।

डीन, सतत् शिक्षा और आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन।

(2) वह दो वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और वह लगातार एक और कार्यकाल हेतु पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र हो सकेगा।

(3) वह आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन और सतत् शिक्षा के लिए उत्तरदायी होगा।

(4) वह मुख्य चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से विश्वविद्यालय अस्पताल के समग्र प्रशासन के लिए उत्तरदायी होगा।

(5) वह विभिन्न विभागों में विद्या परिषद के लिए अध्ययन के पाठ्य विवरण में समीक्षा या परिवर्तन हेतु संबंधित क्षेत्रों के ख्याति प्राप्त उद्योगों से अभ्युक्तियां प्राप्त करेगा।

(6) वह संकाय सदनों, कक्षाओं, प्रयोगशालाओं और अन्य इकाइयों का निरीक्षण करेगा और पायी गयी कमियों को हटाने के लिए विश्वविद्यालय की भवन और निर्माण समिति और अन्य का कुलपति को सूचित करते हुए लिखेगा।

19-(1) उद्भवन हब का डीन कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय के आचार्यों में से नामनिर्दिष्ट किया जायेगा। परिलब्धियां, कार्यकाल और सेवाशर्तें, शक्तियां और कर्तव्य ऐसे होंगे जैसा अध्यादेशों में निर्धारित किये जाएं। वह कुलपति के सीधे नियंत्रणाधीन कार्य करेगा।

उद्भवन हब का डीन

(2) वह दो वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और वह लगातार एक और कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र हो सकेगा।

(3) वह निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगा-

(क) उद्योग-विश्वविद्यालय पारस्परिक विचार-विमर्श;

(ख) उद्भवन हब के प्रबन्धन;

(4) वह कार्य परिषद् के अनुमोदन से चयनित समाज से उभरते उद्यमियों, छात्रों, अध्यापकों और अभियंताओं और सक्षम तकनीकी व्यक्तियों के लिए स्थापित उद्भवन हब के साधारण प्रशासन के लिए भी उत्तरदायी होगा। विश्वविद्यालय घर में विकसित उत्पाद और प्रक्रिया पर आधारित एक नया उद्योग स्थापित करने के लिए न्यायसंगत उद्यम पूंजी उत्पन्न करने हेतु उन्हें सहयोग भी प्रदान करेगा।

(5) वह संबंधित शाखा के छात्रों के ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण के साथ जुड़े हुए, ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान 30 दिनों की अवधि के लिए तीन वर्ष में एक बार अभियंत्रण/तकनीकी/प्रबंध विधाओं से सुसंगत उद्योग के अध्यापकों के संलग्नकों को कार्य परिषद को संस्तुत करेगा।

डीन योजना तथा
संसाधन जनन

20-(1) योजना तथा संसाधन जनन का डीन कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय के आचार्यों में से नामनिर्दिष्ट किया जायेगा। परिलब्धियां, निबंधन और सेवाशर्तें और शक्तियां और कर्तव्य ऐसे होंगे जैसा अध्यादेशों में निर्धारित की जाय। वह कुलपति के सीधे नियंत्रणाधीन कार्य करेगा।

(2) वह दो साल की अवधि के लिए पद धारण करेगा और वह लगातार कार्यकाल के लिए पुनः नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा।

(3) वह विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में उद्योग के लिए परामर्श और परीक्षण सुविधा उपलब्ध कराने के सम्प्रवर्तन हेतु भी उत्तरदायी होगा।

(4) वह विश्वविद्यालय के सेवानियोजन के लिए विश्वविद्यालय के सेवानियोजन प्रकोष्ठ के लिए भी उत्तरदायी होगा।

(5) वह पूर्व छात्र प्रकोष्ठ के समन्वयक के रूप में विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रों के साथ विचार-विमर्श करने के लिए उत्तरदायी होगा और विश्वविद्यालय के लिए संसाधन जनन के अभिदाय हेतु उनको प्रेरित करेगा।

(6) वह विश्वविद्यालय के छात्रों, अध्यापकों, पूर्व छात्रों और उद्भवनकर्ताओं द्वारा जनित विश्वविद्यालय की ओर से एकस्व (पेटेंट) और बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार (आई.पी.आर.) दायर करने हेतु भी उत्तरदायी होगा।

(7) सभी विभागाध्यक्षों, योजना तथा संसाधन जनन के डीन से मिलकर गठित औपचारिक समिति निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगा :-

(क) विश्वविद्यालय के लिए राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से संसाधन जनन;

(ख) विश्वविद्यालय और इसके छात्रों के कल्याण के लिए नयी नीतियों और तंत्रों हेतु योजना और अन्य रणनीतियों की तैयारी।

डीन, शोध एवं विकास

21-(1) शोध एवं विकास का डीन कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय के आचार्यों में से नामनिर्दिष्ट किया जायेगा। परिलब्धियां, कार्यकाल और सेवा-शर्तें और शक्तियां और कर्तव्य ऐसे होंगे जैसा अध्यादेशों में निर्धारित किये जाय। वह प्रत्यक्ष रूप से कुलपति के नियंत्रणाधीन कार्य करेगा।

(2) वह दो वर्षों के कार्यकाल के लिए पद धारण करेगा और लगातार एक और कार्यकाल के लिए पुनः नियुक्ति हेतु पात्र होगा।

(3) वह विश्वविद्यालय शोध एवं विकास परिषद का सदस्य-सचिव होगा।

(4) विश्वविद्यालय के उत्पादों, विधि विशेषज्ञताओं और कार्यप्रणाली इत्यादि के एकस्व (पेटेन्ट) प्रक्रिया के साथ-साथ शोध क्रियाकलाप के संप्रवर्तन के लिए उत्तरदायी होगा।

22-(1) छात्र कल्याण का संकायाध्यक्ष कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय के आचार्यों में से नामनिर्दिष्ट किया जायेगा। परिलब्धियां, निबंधन और सेवा शर्तें और शक्तियां और कर्तव्य ऐसे होंगे जैसा अध्यादेशों में निर्धारित की जाय। वह कुलपति के सीधे नियंत्रणाधीन कार्य करेगा।

(2) वह दो वर्षों के कार्यकाल के लिए पद धारण करेगा और लगातार एक कार्यकाल के लिए पुनः नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा।

(3) वह निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगा:-

(क) विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी निधि में से छात्रों से सम्बन्धित छात्रावास अथवा छात्र निवास जिनमें भोजनालय सुविधा, सफाई, विद्युत यांत्रिकी तथा नागरिक समस्याओं आदि के अनुरक्षण इत्यादि शामिल है, का समुचित क्रियान्वयन;

(ख) विश्वविद्यालय के छात्रों के मध्य अनुशासन बनाये रखना।

(4) वह विश्वविद्यालय छात्र क्रिया-कलाप परिषद का अध्यक्ष होगा तथा विश्वविद्यालय के प्राविधिक एवं सांस्कृतिक उत्सव के संचालन के लिए पूर्णरूप से उत्तरदायी होगा।

(5) वह छात्रों की नीचे उल्लिखित विभिन्न गतिविधियों पर नियंत्रण रखेगा:-

(क) राष्ट्रीय सेवायोजना उप परिषद्

(ख) फोटोग्राफी उप परिषद्

(ग) साहित्यिक उप परिषद्

(घ) अभिरूचि उप परिषद्

(ङ) क्रीड़ा उप परिषद्

(च) योग उप परिषद्

(छ) राष्ट्रीय कैडेट कोर उप परिषद्

(ज) सांस्कृतिक उप परिषद् आदि

23-(1) विश्वविद्यालय में विभिन्न चार विद्यालयों अर्थात् अभियांत्रिकी विद्यालय, रासायनिक प्रौद्योगिकी विद्यालय, मौलिक एवं अनुप्रयुक्त विज्ञान विद्यालय और मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विद्यालय में से प्रत्येक के लिए चार डीन, विश्वविद्यालय के विद्यालय होंगे।

(2) डीन विद्यालय का नाम निर्देशन कुलपति द्वारा उपधारा (1) में निर्दिष्ट विद्यालयों के अधीन विभागों के आचार्यों में से किया जाएगा। उसकी परिलब्धियाँ, निबंधनों, सेवा शर्तें तथा अधिकार एवं कर्तव्य ऐसे होंगे जैसा अध्यादेशों में निर्धारित किया जाय। वह कुलपति के सीधे नियंत्रण में कार्य करेंगे।

(3) उसका कार्यकाल दो वर्ष के लिए होगा और वह लगातार पुनः नियुक्ति के लिए अर्ह नहीं होगा।

(4) वह सम्बन्धित विभागाध्यक्षों के माध्यम से विद्यालय के अधीन विभिन्न विभागों के समुचित संचालन के लिए उत्तरदायी होगा।

(5) वह उद्योग शिक्षा वार्तालाप की नयी क्रियाविधि सुझाने के अतिरिक्त, विभाग में परामर्श, शोध एवं नवाचार कार्य के पर्यवेक्षण हेतु, उद्योग आदानों को शामिल करने के पश्चात् पाठ्यक्रम की नियमित समीक्षा तथा नये पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(6) डीन, अभियांत्रिकी विभाग एवं इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी विभाग, विद्युत अभियांत्रिकी, यांत्रिकी अभियांत्रिकी, सिविल अभियांत्रिकी, संगणक विज्ञान एवं अभियांत्रिकी, सूचना प्रौद्योगिकी तथा केन्द्रीय कार्यशाला अथवा कोई अन्य विभाग जैसा विश्वविद्यालय उचित समझे, के सामान्य प्रशासन एवं क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा।

डीन, छात्र कल्याण

डीन, विश्वविद्यालय के विद्यालयों

(7) डीन, रसायनिक प्रौद्योगिकी विद्यालय के डीन सुघट्टय प्रौद्योगिकी, प्रलेप प्रौद्योगिकी, तैल प्रौद्योगिकी, जैव-रासायनिक अभियांत्रिकी, चर्म प्रौद्योगिकी और रासायनिक अभियांत्रिकी अथवा विश्वविद्यालय के अनुसार अन्य किसी विभाग के सामान्य प्रशासन एवं क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा।

(8) मौलिक एवं अनुप्रयुक्त विज्ञान विद्यालय का डीन, भौतिकी, रसायन, गणित तथा संगणक अनुप्रयोग विभाग अथवा किसी अन्य विभाग, जैसा विश्वविद्यालय उचित समझे, के सामान्य प्रशासन एवं क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा।

(9) मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान, विद्यालय का डीन अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, प्रबंधन तथा भाषाएँ आदि अथवा किसी अन्य विभाग जैसा विश्वविद्यालय उचित समझे, के सामान्य प्रशासन एवं क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा।

अध्यक्ष, विश्वविद्यालय,
विभाग/केन्द्र इकाई

24-(1) विश्वविद्यालय का प्रत्येक विभाग/केन्द्र/इकाई एक अध्यक्ष के प्रभार में होगा, जिसका नामनिर्देशन कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय के विभाग/केन्द्र/इकाई के आचार्यों में से और आचार्य न होने की दशा में सह-आचार्यों में से किया जाएगा।

(2) सम्बन्धित विद्यालय के डीन के माध्यम से विभाग/केन्द्र/ इकाई का अध्यक्ष कुलपति के सामान्य नियंत्रण में विभाग/केन्द्र/इकाई के समुचित क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा।

(3) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों और कुलपति के निर्णयों का समुचित क्रियान्वयन सुनिश्चित कराना, विभाग/केन्द्र/इकाई के अध्यक्ष का उत्तरदायित्व होगा।

(4) विभाग/केन्द्र/इकाई का अध्यक्ष विभाग के पाठ्य बोर्ड जैसा लागू हो, का अध्यक्ष होगा।

(5) विभाग/केन्द्र/इकाई का अध्यक्ष परीक्षा नियंत्रक को, प्रश्नपत्र सेटर की नियुक्ति, शोध एवं लघुशोध प्रबंध के मूल्यांकन तथा मौखिक परीक्षा हेतु परीक्षक, जहां भी स्नातक, परास्नातक, डॉक्टरेट अथवा उच्च शिक्षा इत्यादि की उपाधि प्रदान करने हेतु लागू करना हो, की नियुक्ति के लिए उचित व्यक्तियों की अनुसंशा करेगा।

(6) विभाग/केन्द्र/इकाई का अध्यक्ष सतत् शिक्षा कार्यक्रम तथा अभिविन्यास एवं पुनश्चर्या पाठ्यक्रम के आयोजन हेतु सुझाव देगा।

परीक्षा नियंत्रक

25-(1) (क) परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानदण्ड के अनुसार प्रतिनियुक्ति पर अथवा विश्वविद्यालय के शिक्षकों में से, जो आचार्य से निम्न श्रेणी का न होगा, की जाएगी।

(ख) परीक्षा नियंत्रक, विश्वविद्यालय के परीक्षा संचालन तथा उनके परिणामों की घोषणा के लिए मुख्य प्रधान प्रभारी अधिकारी होगा। वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन विद्या परिषद् के अधीक्षण, निर्देशन एवं नेतृत्व में करेगा। वह कुलपति के सीधे निर्देशन व नियंत्रण में दो वर्ष हेतु कार्यरत होगा।

(2) परीक्षा नियंत्रक परीक्षा मण्डल तथा परीक्षा मण्डल द्वारा नियुक्त उप समितियों का अध्यक्ष होगा।

(3) व्यापकता पर प्रभाव डाले बिना परीक्षा नियंत्रक परीक्षा आयोजित करवाने तथा उनके परिणाम घोषित करवाने हेतु समस्त आवश्यक व्यवस्था करने के लिए उत्तरदायी होगा। उसका यह उत्तरदायित्व होगा कि-

(क) परीक्षा कैलेंडर पहले से तैयार करके घोषित करे;

(ख) प्रश्नपत्रों के छपवाने का प्रबन्ध करे;

(ग) परीक्षार्थियों द्वारा परीक्षा में किये गये प्रदर्शन का उचित मूल्यांकन करे, और परिणाम प्रक्रिया को पूरा करने की व्यवस्था करे;

(घ) परीक्षा तथा अन्य परीक्षणों के परिणामों का समयबद्ध प्रकाशन की व्यवस्था करे;

(ङ) कदाचार की स्थिति में अथवा परिस्थिति के अनुसार परीक्षाओं को आंशिक या पूर्ण रूप से स्थगित करना या निरस्त करना तथा कुलपति की स्वीकृति उपरान्त, किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह अथवा कदाचार में आरोपित संस्था के विरुद्ध अनुशासनात्मक अथवा सिविल या दांडिक कार्यवाही प्रारम्भ करे। परीक्षा नियंत्रक द्वारा परीक्षा के दौरान छात्रों द्वारा किये गये कदाचार के जघन्य मामलों की प्रथम सूचना रिपोर्ट, कुलपति के अनुमोदनोपरान्त कुलसचिव द्वारा की जायेगी।

(च) परीक्षा सम्बन्धी कदाचार में दोषी पाये गये, परीक्षार्थियों, प्रश्नपत्र सेट करने वालों, परीक्षकों, परिअनुसूचकों अथवा परीक्षा से सम्बन्धित अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करना।

(छ) समय-समय पर विश्वविद्यालय के परीक्षा परिणामों का अवलोकन कर, शैक्षिक परिषद के माध्यम से कार्यकारी परिषद को विवरण अग्रसारित करना।

(4) परीक्षा नियंत्रक ऐसे सभी कार्य सम्पादित करेगा और सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो कार्यपरिषद् या कुलपति द्वारा उसे समय-समय पर सौंपा जाय।

26-कुलाधिपति, कुलपति, वित्त नियंत्रक तथा कुलसचिव से भिन्न विश्वविद्यालय के अधिकारियों की शक्तियाँ, कर्तव्य तथा कृत्य ऐसे होंगे जैसा अध्यादेशों में विहित और निर्धारित किये जाय।

विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारी एवं प्राधिकारी

विश्वविद्यालय के सभी वेतन भोगी अधिकारी, प्राधिकारी, समितियाँ अथवा निकाय अध्यापक और विश्वविद्यालय के अन्य कर्मचारिवृन्द/कर्मचारी भारतीय दण्ड संहिता के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे।

अध्याय-पांच

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

27-विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे:-

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

- (1) कार्य परिषद्
- (2) विद्या परिषद्
- (3) वित्त समिति
- (4) शोध एवं विकास परिषद्
- (5) उद्भवन परिषद्
- (6) विद्यालय/विभाग/केन्द्र/इकाइयाँ
- (7) प्रवेश समिति
- (8) अध्ययन बोर्ड
- (9) परीक्षा बोर्ड
- (10) शैक्षणिक समिति
- (11) सतत शिक्षा कार्यक्रम केन्द्र
- (12) ऐसे अन्य प्राधिकारी जो परिणियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी होने के लिए घोषित किये जाँय।

कार्य परिषद्

28-(1) कार्य परिषद् में निम्नलिखित होंगे:-

(क) कुलपति;	अध्यक्ष
(ख) प्रति-कुलपति; यदि कोई	सदस्य
(ग) निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर या आचार्य की श्रेणी से अनिम्न उसका नाम निर्देशिती;	सदस्य
(घ) निदेशक, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद या आचार्य की श्रेणी से अनिम्न उसका नामनिर्देशिती;	सदस्य
(ङ) अध्यक्ष, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद या उसका नामनिर्देशिती;	सदस्य
(च) डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय का कुलपति या कुलपति का नामनिर्देशिती जो आचार्य की श्रेणी से अनिम्न होगा;	सदस्य
(छ) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट दो विख्यात उद्योगपति;	सदस्य
(ज) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट दो विख्यात प्रौद्योगिकीविद्;	सदस्य
(झ) प्राविधिक शिक्षा विभाग में राज्य सरकार का प्रमुख सचिव/सचिव;	सदस्य
(ञ) वित्त विभाग में राज्य सरकार के प्रमुख सचिव का नामनिर्देशिती;	सदस्य
(ट) उच्च शिक्षा विभाग में राज्य सरकार के प्रमुख सचिव का नामनिर्देशिती;	सदस्य
(ठ) कार्य परिषद् के पदेन सचिव के रूप में कुलसचिव।	सदस्य

(2) धारा 28(1) में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जब तक कि वह स्नातक न हो, कार्य परिषद् के किसी सदस्य के रूप में निर्वाचित या नामनिर्दिष्ट नहीं किया जायेगा।

(3) पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की पदावधि दो वर्ष की होगी।

(4) कार्य परिषद् एक वर्ष में कम से कम चार बार बैठक करेगी।

(5) कार्य परिषद् के छः सदस्यों से किसी बैठक की गणपूर्ति होगी।

(6) वित्त नियंत्रक और परीक्षा नियंत्रक, यदि आवश्यक हो, किसी बैठक के कार्यसूची में सम्मिलित अपने कार्य के मामलों के सम्बन्ध में मताधिकार के बिना अपने संबंधित क्षेत्र के मामलों में परिषद् के विशेष अतिथि हो सकेंगे।

(7) कोई व्यक्ति कार्य परिषद् के रूप में चुने जाने के लिए अनर्ह होगा, यदि वह या उसके परिजन अवैध परितोषण में किसी कार्य के लिए विश्वविद्यालय या किसी संविदा के लिए सामानों की आपूर्ति के लिए, या विश्वविद्यालय के लिए किसी कार्य के निष्पादन हेतु लिप्त हों।

स्पष्टीकरण:- इस धारा में सम्बन्धी का तात्पर्य कम्पनी अधिनियम, 1951 की धारा 6 में परिभाषित सम्बन्धियों से है और उसके अन्तर्गत पत्नी के (या पति के) भाई, पत्नी के (या पति के) पिता, पत्नी की या पति की बहन, भाई का बेटा और भाई की बेटा भी हैं।

29-(1) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यकारी निकाय होगा और इस अधिनियम के प्राविधानों के अधीन इसकी निम्नलिखित शक्तियाँ एवं कार्य होंगे:-

(क) विभिन्न शैक्षिक विभागों, विद्यालयों तथा शोध केन्द्रों की कार्यशीलता की, समय-समय पर, यह सुनिश्चित करने के लिए समीक्षा करना कि वे विश्वविद्यालय के लक्ष्य तथा उद्देश्य के अनुसार कार्य कर रहे हैं तथा यदि आवश्यक हो तो उन्नयन हेतु उचित निर्देश देना;

कार्य परिषद् की
शक्तियाँ एवं कृत्य

(ख) विश्वविद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक निर्देश तथा शोध सुनिश्चित करने हेतु उचित कदम उठाना ताकि विश्वविद्यालय निर्धारित स्तर प्राप्त करे तथा विश्वविद्यालय के स्नातक लाभपूर्ण सेवायोजन अथवा उच्च शिक्षा हेतु अवसर प्राप्त करने में सक्षम हों तथा समय-समय पर इस हेतु उन्नति की समीक्षा करना;

(ग) निम्नलिखित पर विचार-विमर्श तथा अनुमोदन देना-

(एक) वार्षिक लेखा; तथा

(दो) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट;

(घ) विश्वविद्यालय के वित्त, लेखा, निवेश, सम्पत्ति, व्यापार तथा अन्य सभी प्रशासनिक मामलों का प्रबन्धन तथा विनियमन करना तथा इस उद्देश्य हेतु समितियों का गठन एवं विश्वविद्यालय की ऐसी समितियों को अथवा ऐसे अधिकारियों को यथोचित शक्तियाँ प्रदान करना;

(ङ) प्रदेश सरकार की पूर्वानुमति से विश्वविद्यालय की अनुप्रयुक्त आय सहित अन्य धन को भारत में अचल सम्पत्ति में क्रय हेतु प्रयोग करना;

(च) विश्वविद्यालय की ओर से अनुबन्ध करना, बदलाव करना, चलाना तथा निरस्त करना तथा इस उद्देश्य हेतु यथोचित अधिकारी नियुक्त करना;

(छ) विश्वविद्यालय के कार्य करने हेतु भवन, परिसर, उपस्कर तथा उपकरण एवं अन्य साधन उपलब्ध कराना;

(ज) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, शिक्षकों, छात्रों एवं कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण हेतु उनकी सुनवाई तथा यथोचित निर्णय लेना;

(झ) सरकार के अनुमोदन से विश्वविद्यालय में शैक्षणिक तथा अन्य पदों का सृजन तथा नियुक्तियाँ करना;

(ञ) शैक्षिक परिषद् से परामर्श से परीक्षकों, परिनियमकों की नियुक्ति तथा आवश्यकतानुसार उनका निष्कासन एवं उनका शुल्क, परिलब्धियाँ तथा यात्रा व अन्य भत्ते निश्चित करना;

(ट) विश्वविद्यालय की सामान्य मुहर का चयन करना;

(ठ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना तथा अन्य कर्तव्य, जिन्हें अधिनियम के अधीन आवश्यक समझा जाय या इसके द्वारा अधिरोपित किया जाय, का निर्वहन करना।

(2) राज्य सरकार की पूर्वानुमति के बिना, कार्य परिषद् अथवा विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारी विश्वविद्यालय की किसी भी अचल सम्पत्ति (प्रबन्धन के सामान्य तौर पर मासिक आधार पर किराये पर दिये जाने के अतिरिक्त) किसी प्रकार के गिरवी, विक्रय, प्रतिदान, उपहार अथवा अन्य विधि आदि से नहीं दी जा सकेगी तथा राज्य सरकार की पूर्व संस्वीकृति के अतिरिक्त, इन सम्पत्तियों पर कोई धन अग्रिम अथवा ऋण नहीं लिया जायेगा।

(3) कोई भी व्यय जिनमें राज्य सरकार की पूर्वानुमति आवश्यक हो, राज्य सरकार की पूर्वानुमति बिना नहीं किया जायेगा।

(4) वित्त समिति द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु निर्धारित आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय सीमा में कार्य परिषद् वृद्धि नहीं करेगी।

(5) माननीय न्यायालयों द्वारा वर्णित भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त व्यवस्था अनुसार कार्य परिषद्, विश्वविद्यालय के शिक्षकों तथा कर्मचारियों के पदों पर आरक्षण लागू करने हेतु उत्तरदायी होगी।

(6) कार्य परिषद् अपनी वार्षिक बैठक में निम्नलिखित कार्य करेगी:-

- (क) वर्तमान शैक्षणिक कार्यक्रम तथा सहयोगात्मक कार्यक्रमों की समीक्षा करना;
- (ख) उच्च शिक्षा में औद्योगिक अपेक्षाओं से संगत नये शैक्षणिक कार्यक्रमों हेतु सुझाव देना;
- (ग) नयी उपाधियों, डिप्लोमा, प्रमाण-पत्र, वित्तीय शोध पुरस्कार तथा अन्य शैक्षणिक विशिष्टतायें इत्यादि स्थापन हेतु सुझाव देना;
- (घ) शैक्षिक समिति की अनुशंसा पर मानद उपाधि अथवा अन्य शैक्षणिक विशिष्टियां प्रदान करना;
- (ङ) उद्भवन हब में कार्यशील गतिविधियों की समीक्षा करना।

(7) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय की वार्षिक वित्तीय आगणन (आय-व्ययक), वार्षिक शैक्षणिक आख्या, वार्षिक लेखा एवं लेखा परीक्षा आख्या इत्यादि को प्राप्त, विचारित तथा अनुमोदित करेगी।

(8) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय की वृहद नीतियों तथा कार्यक्रमों की समीक्षा करेगी एवं उनमें गुणवत्ता तथा विकास हेतु सुझाव देगी।

(9) कार्य परिषद् के सभी निर्णय बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत की राय के आधार पर होंगे। प्रत्येक सदस्य के पास एक मत होगा और मतों के समान होने की दशा में ही अध्यक्ष, कार्य परिषद् अपने मताधिकार का प्रयोग करेगा।

(10) यदि कार्य परिषद् द्वारा तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो तो कुलपति, परिषद के सदस्यों में कागजातों के संचालन के द्वारा कार्य सम्पन्न करा सकेगा। ऐसी प्रस्तावित कार्रवाई कार्य परिषद् के सदस्यों के बहुमत द्वारा स्वीकृत होने की दशा में मान्य होगी। कृत कार्यवाही कार्य परिषद् के समस्त सदस्यों को तुरन्त सूचित की जायेगी परन्तु यह कि ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया जायेगा यदि इसका वित्तीय प्रभाव हो।

विद्या परिषद्

(30)-(1) विद्या परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे :-

- (क) कुलपति जो अध्यक्ष होगा;
- (ख) प्रमुख सचिव, तकनीकी शिक्षा, उत्तर प्रदेश सरकार का नामित प्रतिनिधि;
- (ग) विश्वविद्यालय के सभी संकायाध्यक्ष, विद्या सम्बन्धी डीन सदस्य सचिव होंगे;
- (घ) निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर का आचार्य से अनिम्न पंक्ति का प्रतिनिधि;
- (ङ) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद एवं भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, लखनऊ (प्रत्येक से एक) का आचार्य से अनिम्न पंक्ति का प्रतिनिधि;
- (च) डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ का एक प्रतिनिधि;
- (छ) विश्वविद्यालय के सभी विभाग, केन्द्र तथा निकाय के अध्यक्ष;
- (ज) विश्वविद्यालय के विभाग, केन्द्र तथा निकाय के आचार्य जहाँ विभागाध्यक्ष एसोसिएट आचार्य हो;
- (झ) विश्वविद्यालय का मुख्य पुस्तकालयाध्यक्ष; और
- (ञ) कार्य परिषद् द्वारा नामित शैक्षणिक श्रेष्ठता प्राप्त पांच व्यक्ति जो विश्वविद्यालय के कर्मचारी न हों।

(2) विद्या परिषद् की बैठक वर्ष में कम से कम दो बार आहूत होगी।

- (3) पदेन सदस्यों से भिन्न अन्य सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष होगा।
 (4) कुल सदस्यों की आधी संख्या से गणपूर्ति होगी।
 (5) विद्या परिषद् विश्वविद्यालय की, वर्तमान तथा भविष्य के शैक्षणिक कार्यक्रमों पर शैक्षणिक प्रतिपुष्टि हेतु मुख्य शैक्षिक निकाय होगी। इस अधिनियम, परिनियम तथा विनियम के प्राविधानों के अनुसार परिषद् निम्नलिखित कार्य करेगी:-

(क) वह विश्वविद्यालय में अनुदेशों तथा शिक्षा के स्तर के वहन और अनुरक्षण, नियंत्रण तथा सामान्य नियमन के लिए उत्तरदायी होगी;

(ख) वह कार्य परिषद् को पाठ्यक्रम समिति तथा विश्वविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षाओं में समन्वयन सम्बन्धी मामलों सहित अन्य सभी शैक्षणिक मामलों पर परामर्श दे सकती है;

(ग) कार्य परिषद् को शैक्षणिक अनियमितताओं के उचित मामलों में प्रशासनिक कार्यवाही करने हेतु सूचित करेगी;

(घ) वह कार्य परिषद् द्वारा सूचित मामलों पर विचार करेगी;

(ङ) उसकी ऐसी अन्य शक्तियाँ एवं कर्तव्य होंगे जैसे विहित किये जायं।

- (6) पूर्वगामी प्रावधानों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, विद्या परिषद् की निम्नलिखित शक्तियाँ व कर्तव्य होंगे:-

(क) तकनीकी शिक्षा को रोजगारपरक बनाने हेतु उद्योग, व्यापार तथा वाणिज्य से प्राप्त निविष्टियों के आधार पर, पाठ्यक्रम का नियमित पुनरीक्षण करना;

(ख) उपाधि, द्वि-उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाण-पत्र तथा अन्य शैक्षणिक विशिष्टताओं के संस्थापन हेतु कार्य परिषद् को संस्तुत करना;

(ग) कार्य परिषद् को शैक्षणिक मामलों सम्बन्धी बिन्दुओं पर प्रावधानों को बनाने, सुधारने अथवा लोप करने हेतु संस्तुत करना;

(घ) नये विद्यालय, विभाग, केन्द्र, उच्च शिक्षा, शोध एवं विशिष्ट अध्ययन, शैक्षणिक सेवाओं की इकाइयों तथा पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं एवं संग्रहालयों इत्यादि की स्थापना हेतु प्रस्ताव बनाना;

(ङ) विश्वविद्यालय के आचार्य, सह-आचार्य, सहायक आचार्य तथा गैर व्यावसायिक शैक्षणिक कर्मचारियों के पदों के सृजन हेतु नये प्रस्तावों पर विचार करना तथा संस्तुत करना;

(च) विश्वविद्यालय के विभिन्न श्रेणी के शिक्षकों तथा गैर व्यवसायी शैक्षणिक कर्मचारियों एवं इन श्रेणियों में विशिष्ट पद हेतु, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा प्रस्तुत योग्यताओं, अतिरिक्त योग्यताओं, यदि कोई है, को विहित कर राज्य सरकार अथवा अन्य को संस्तुत करना;

(छ) कार्य परिषद् को फैलोशिप, यात्रा फैलोशिप, छात्रवृत्तियाँ, अधिछात्रवृत्ति, पदक एवं पुरस्कार, शोध पुरस्कार, संकाय सदस्यों का उद्योग सम्बन्धीकरण, उद्योगों को परामर्श इत्यादि हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करना तथा विनियम बनाना;

(ज) परीक्षाओं के संचालन से सम्बद्ध प्रश्न-पत्र सेटर, परीक्षक, मध्यस्थ तथा अन्य हेतु योग्यताएं तथा मानदण्ड प्रस्तावित करना;

(झ) परास्नातक उपाधि (डी0एससी0, डी0लिट0), डाक्टरेट उपाधि, स्नातक एवं परास्नातक उपाधि, परास्नातक उपाधि-पत्र, उपाधि-पत्र, प्रमाण-पत्र तथा अन्य शैक्षणिक विशेषताओं के सभी ग्रहणकर्ताओं की सूची को अनुमोदित करना;

(ञ) कुलाधिपति को कार्य परिषद् के माध्यम से मानद उपाधि प्रदान करने हेतु नामों को प्रस्तावित करना;

वित्त समिति

- (ट) दीक्षांत समारोह की तिथि निश्चित करना तथा आयोजित करना;
 (ठ) उद्योगों को परामर्श उपलब्ध कराना।

31-(1) वित्त समिति में निम्नलिखित होंगे:-

- (क) कुलपति - अध्यक्ष;
 (ख) प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार का विशेष सचिव से अनिम्न पंक्ति का नामिति;
 (ग) प्रमुख सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, उ० प्र० सरकार का विशेष सचिव से अनिम्न पंक्ति का नामिति;
 (घ) वित्त नियंत्रक- सदस्य सचिव;
 (च) कुलसचिव- सदस्य।

(2) वित्त समिति की बैठक वर्ष में न्यूनतम चार बार होगी।

(3) पदेन सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष होगा।

(4) किसी बैठक में तीन सदस्यों से गणपूर्ति होगी।

(5) वित्त समिति कार्य परिषद् को विश्वविद्यालय के सम्पत्ति के प्रशासन से सम्बन्धित मामलों पर सलाह देगी। यह, विश्वविद्यालय के आय तथा संसाधनों के मामले में आगामी वर्ष हेतु कुल आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय की सीमा तय करेगा तथा विशेष कारणों से, वित्तीय वर्ष के दौरान निश्चित व्यय सीमा को पुनरीक्षित करेगा तथा कार्य परिषद् द्वारा ऐसी निश्चित सीमा सामान्यतः अनुसरित की जायेगी।

(6) वित्त समिति की निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी:-

(क) विश्वविद्यालय के वार्षिक आय-व्ययक का परीक्षण तथा संवीक्षा करना एवं कार्य परिषद् को उचित संस्तुति करना;

(ख) विश्वविद्यालय को प्रभावित करने वाले वित्तीय विषयों पर, कार्य परिषद् द्वारा पहल करने अथवा स्वयं द्वारा अपने विचार रखना तथा कार्य परिषद् को उस पर संस्तुति करना;

(ग) विश्वविद्यालय के विकास हेतु संसाधनों के संवर्धन, आश्रयन हेतु संभावना खोजना;

(घ) कार्य परिषद् द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षकों द्वारा विश्वविद्यालय के लेखा के परीक्षण हेतु आवश्यक कदम उठाना;

(ङ) विश्वविद्यालय के निधियों तथा सम्पत्ति के प्रशासन सम्बन्धी मामलों पर कार्य परिषद् को सलाह देना;

(च) वित्तीय मामलों के सम्बन्ध में, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का उचित अनुपालन सुनिश्चित करना;

(छ) विश्वविद्यालय की कार्य परिषद्, विद्या परिषद अथवा अन्य प्राधिकारी, निकाय अथवा समिति या अन्य अधिकारी को वित्तीय मामलों पर सलाह देना;

(ज) कुलपति को, वित्तीय मामलों पर हुई किसी कमी अथवा अनियमितता, जो संज्ञान में है, पर आख्या देना, जो मामले की गम्भीरता के दृष्टिगत उचित तात्कालिक कदम उठायेगा अथवा कार्य परिषद् को अनुसंशित करेगा;

(झ) ऐसी अन्य शक्तियों तथा कर्तव्यों का प्रयोग करना जैसी विहित की जायं।

32-(1) विश्वविद्यालय के शोध व सम्बन्धित गतिविधियों के लिए, शोध एवं विकास परिषद उत्तरदायी होगा।

(2) इसके निम्नलिखित सदस्य होंगे :-

(क) कुलपति जो अध्यक्ष होगा;

(ख) विद्या परिषद् द्वारा नामित एक संकायाध्यक्ष;

(ग) परास्नातक शिक्षा अथवा शोध संचालन करने वाला, कुलपति द्वारा नामित एवं अनुमोदित, एक शिक्षक, जो संकायाध्यक्ष, अध्यक्ष विश्वविद्यालय संस्थान अथवा विभाग अथवा केन्द्र अथवा ईकाई नहीं है;

(घ) समिति द्वारा सहयोजित न्यूनतम आचार्य स्तर के, राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय शोध संस्थानों से कार्य परिषद् द्वारा अनुमोदित दो विशेषज्ञ;

(ङ) कार्य परिषद् द्वारा नामित तथा अनुमोदित, उद्योग, वाणिज्य तथा व्यवसायिक निकायों के पाँच प्रतिनिधि;

(च) संकायाध्यक्ष शोध एवं विकास जो सदस्य सचिव होगा।

(3) कुल सदस्यों की आधी संख्या से गणपूर्ति होगी।

(4) समिति वर्ष में न्यूनतम दो बार बैठक करेगी।

(5) कार्य परिषद् के अनुमोदनोपरान्त, समिति राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों, उद्योगों, व्यापारिक तथा वाणिज्यिक संस्थाओं इत्यादि के साथ पारस्परिक सक्रिय सहयोग स्थापित करेगी:

परन्तु यह कि किसी विदेशी पारस्परिक सहयोग हेतु राज्य सरकार की पूर्वानुमति आवश्यक होगी।

(6) समिति उत्तरदायी होगी :-

(क) अंतरविश्वविद्यालय तथा उद्योग, कृषि, बैंक, वाणिज्य तथा समुदाय इत्यादि से विश्वविद्यालय के पारस्परिक विचार विमर्श विकसित करने हेतु विशेष योजनाएं बनाना तथा सम्बन्ध स्थापन हेतु सुझाव देना;

(ख) अधिनियम के अनुसार विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के दृष्टिगत, लघु अवधि तथा दीर्घ अवधि के परिप्रेक्ष्य में विकास योजनायें राज्य तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ध्यान में रखकर बनाना;

(ग) विश्वविद्यालय हेतु शोध एवं विकास तथा पारस्परिक सहयोग कार्यक्रमों को कार्य परिषद् को संस्तुत करना;

(घ) सभी अनुमोदित शोध एवं विकास तथा पारस्परिक सहयोग कार्यक्रमों का अनुश्रवण करना तथा वर्ष में एक बार, कुलाधिपति को प्रगति आख्या प्रस्तुत करना;

(ङ) विश्वविद्यालय द्वारा अनुदानित शोध एवं विकास निधि का मूल्यांकन तथा आंकलन करना एवं कार्य परिषद् को आख्या प्रस्तुत करना;

(च) विभिन्न क्षेत्रों जैसे वाणिज्य, उद्योग, सामाजिक सेवा, विज्ञान, अभियांत्रिकी तथा तकनीकी इत्यादि के नवीकरण तथा समकालीन शोध परिक्षेत्रों में प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता का आंकलन करना तथा शैक्षिक परिषद् को सम्बन्धित पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने तथा सुदृढ़ करने हेतु आवश्यक अनुसंशा करना;

(छ) विश्वविद्यालय के विभिन्न शैक्षिक विभागों/ केन्द्रों/ईकाईयों द्वारा अनुसंशित पी0एच0डी0 हेतु शोध स्नातक समिति (आर0डी0सी) को अनुमोदित करना;

(ज) विश्वविद्यालय के लिए शोध एवं विकास परीक्षा कराना तथा उसकी आख्या तैयार करना एवं सत्र आधार पर परिनियम के प्रावधानों के अनुसार विश्वविद्यालय के शोध एवं विकास विवरण अनुरक्षण करना एवं शैक्षिक परिषद्/ कार्य परिषद् जैसा लागू हो,को उक्त के अनुपालन हेतु आवश्यक अनुसंशा करना;

(झ) नियमानुसार विभिन्न राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों को प्रस्तुत होने वाली शोध परियोजनाओं के संस्थान तथा विकास हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों का आंकलन करना तथा उनको राज्य सरकार अथवा उचित प्राधिकरण को, परिनियमानुसार संसाधित करना;

(ञ) विश्वविद्यालय में शोध संस्कृति के उन्नयन हेतु वित्तीय शोध पुरस्कार, उत्कृष्ट शोध हेतु प्रमाण-पत्र अनुसंधित करना;

(ट) विश्वविद्यालय के शिक्षकों तथा छात्रों से प्राप्त एकस्व एवं बौद्धिक सम्पदा अधिकार हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों की संवीक्षा करना।

उद्भवन हब

33-(1) उद्भवन हब, विश्वविद्यालय के छात्रों तथा शिक्षकों व समाज के अन्य सिद्धहस्त व्यक्तियों में से नवोदित उद्यमियों को, बढ़ावा देने के लिए उत्तरदायी होगा;

(2) इसके निम्नलिखित सदस्य होंगे:-

(क) कुलपति जो अध्यक्ष होगा;

(ख) कार्य परिषद् द्वारा नामित एक संकायाध्यक्ष;

(ग) संकायाध्यक्ष के अतिरिक्त, न्यूनतम आचार्य स्तर का विभाग/केन्द्र/ईकाई का अध्यक्ष, जो कि शैक्षिक परिषद् द्वारा दो वर्ष हेतु नामित होगा;

(घ) समिति द्वारा सहयोजित न्यूनतम आचार्य स्तर के राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय शोध संस्थानों से कार्य परिषद् द्वारा अनुमोदित दो विशेषज्ञ;

(ङ) कार्य परिषद् द्वारा नामित तथा अनुमोदित, उद्योग, वाणिज्य तथा व्यवसायिक निकायों के पाँच प्रतिनिधि;

(च) संकायाध्यक्ष उद्भवन हब सदस्य सचिव होगा।

(3) कुल सदस्यों की आधी संख्या से गणपूर्ति होगी।

(4) समिति वर्ष में न्यूनतम चार बार बैठक करेगी।

(5) परिषद्, उद्भवन हब के उत्कर्ष हेतु रणनीतियों तथा तंत्र की योजनाएं बनाने के साथ, उद्भवन हब के प्रबन्धन के लिए उत्तरदायी होगी।

(6) यह संकायाध्यक्ष के माध्यम से कार्य परिषद् के अनुमोदन के अधीन छात्रों, शिक्षकों तथा अभियंताओं एवं समाज के तकनीक सक्षम व्यक्तियों में से नवोदित उद्यमियों हेतु संस्थापित उद्भवन हब के सामान्य प्रशासन हेतु उत्तरदायी होगी। विश्वविद्यालय उद्भवन हब में विकसित उत्पादों एवं विधियों पर आधारित नये उद्योग की स्थापना हेतु उद्यम पूंजी जुटाने के लिए उद्भवन हब को सहयोग उपलब्ध करायेगा।

(7) यह संकायाध्यक्ष के माध्यम से विभिन्न विभागों में विद्या परिषद् को, पाठ्यक्रमों में पुनरीक्षण अथवा बदलाव हेतु सम्बन्धित राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित उद्योगों की आवश्यकतानुसार टिप्पणियाँ तथा अंतर्वस्तु अनुसंधित करेगा।

विद्यालय/विभाग/
केन्द्र/ईकाई

34-(1) विश्वविद्यालय में ऐसे विद्यालय/विभाग/केन्द्र/ ईकाई होंगे जैसे विहित किये जायं।

(2) प्रत्येक विद्यालय/विभाग/केन्द्र/ईकाई अथवा निकाय में अध्ययन के ऐसे विषय होंगे जैसे अध्यादेशों द्वारा उसे दिये जायं।

(3) (क) विश्वविद्यालय में प्रत्येक शिक्षण में विद्यालय/ विभाग/ केन्द्र/ईकाई अथवा निकाय में एक संकायाध्यक्ष/ अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी होगा जैसा प्रयोज्य हो। ऐसे संकायाध्यक्ष, अध्यक्ष प्रभारी की नियुक्ति ऐसे होगी जैसे विहित की जायं।

(ख) विभाग/केन्द्र/ईकाई के अध्यक्ष के पद पर आचार्य में से नियुक्ति चक्रानुक्रम के आधार पर होगी। विभाग/केन्द्र/ईकाई में मात्र एक आचार्य होने की दशा में, अध्यक्ष पद का चक्रानुक्रम आचार्य तथा वरिष्ठतम सहयुक्त आचार्य के मध्य वरिष्ठता के आधार पर होगा:

परन्तु यह कि विभागों के मामले में,-

(एक) कोई आचार्य न होने पर, अध्यक्ष पद सहयुक्त आचार्य के मध्य तीन वर्षों की अवधि हेतु विहितानुसार चक्रानुक्रमित होगा।

(दो) कोई आचार्य तथा सहयुक्त आचार्य न होने पर, अध्यक्ष पद संबंधित विद्यालय के संकायाध्यक्ष को जायेगा। तथापि वरिष्ठतम सहायक आचार्य विभाग/केन्द्र/ईकाई का प्रभारी अधिकारी होगा।

(4) अध्यक्ष/विभाग/केन्द्र/ईकाई अपने विभाग/केन्द्र/ईकाई में शिक्षा कार्य सुचारु रूप से चलाने के लिए संकायाध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होगा तथा अध्यादेश द्वारा प्रदत्त सभी शक्तियाँ तथा कर्तव्य उसमें निहित होंगे। तथापि सामान्य प्रशासन हेतु वह सम्बन्धित संकायाध्यक्ष विद्यालय को सूचित करेगा।

(5) विभिन्न अध्ययन के विषयों के लिए, अध्यादेश के उपबन्धों के अधीन अध्ययन बोर्ड का गठन किया जायेगा तथा एक अध्ययन बोर्ड को एक से अधिक विषय दिये जा सकते हैं।

35-(1) विश्वविद्यालय की एक प्रवेश समिति होगी जिसका गठन इस प्रकार होगा जैसा अध्यादेश में दिया जाय। प्रवेश समिति

(2) प्रवेश समिति का यह दायित्व होगा कि विश्वविद्यालयों के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा के माध्यम से अभ्यर्थियों के प्रवेश के लिए ऐसी रीति से जैसे विहित की जाय, चयन करें।

(3) प्रवेश समिति को शक्तियाँ होंगी कि उतनी संख्या में उपसमितियाँ नियुक्त कर सकती है जितनी वह उचित समझे।

(4) विश्वविद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रमों के प्रवेश हेतु नीतियों अथवा मानदण्डों का निर्धारण कार्य परिषद् के अधीक्षण के अधीन प्रवेश समिति करेगी।

(5) किसी भी छात्र को जिसे इस धारा के उपबन्धों के उल्लंघन में प्रवेश दिया गया हो, विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किसी भी परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी और कुलपति को यह अधिकार होगा कि वह इस प्रकार उल्लंघन द्वारा किये गये किसी भी प्रवेश को रद्द कर दे।

36-(1) विश्वविद्यालय में एक अध्ययन बोर्ड होगा। इसका गठन ऐसा होगा जैसा विहित किया जाय। बोर्ड की निम्नलिखित शक्तियाँ और कर्तव्य होंगे:- अध्ययन बोर्ड

(क) अध्ययन के पाठ्यक्रम के लिए पाठ्यपुस्तक सहित, पुस्तकों, अनुपूरक पुस्तकों, संदर्भ पुस्तकों और अन्य सामग्री की संस्तुति करना;

(ख) विद्या परिषद् द्वारा इस संबंध में बनाये गये विनियमों के अनुसार पाठ्यक्रम समिति के परिक्षेत्र में, पाठ्यक्रमों में सम्मिलित करने हेतु लेखकों तथा अन्य सिद्धहस्तों द्वारा विकसित पाठ्य सामग्री के प्रकाशन अथवा संकलन अथवा लेखन, साथ ही विश्वविद्यालय के शिक्षकों द्वारा पाठ्यक्रम सम्बन्धी सामग्री के विकास हेतु, विद्या परिषद् को अनुमोदन हेतु संस्तुति करना;

(ग) परीक्षाओं हेतु प्रश्नपत्र निर्धारकों, परीक्षकों तथा परिणियमकों की नियुक्ति के लिए उचित व्यक्तियों के नामों को सूची में सम्मिलित करने हेतु संस्तुति करना;

(घ) पाठ्यक्रम की समीक्षा करना तथा संबंधित क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त उद्योगों से प्राप्त आवश्यकतानुसार टिप्पणियों अथवा सामग्रियों को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना।

परीक्षा बोर्ड

- (2) कुल सदस्यों की आधी संख्या से गणपूर्ति होगी।
 (3) पाठ्यक्रम समिति की वर्ष में न्यूनतम दो बार बैठक होगी।

37-(1) विश्वविद्यालय में एक परीक्षा बोर्ड होगा। इसका गठन इस प्रकार होगा जैसा विहित किया जाय।

(2) परीक्षा बोर्ड, परीक्षा प्रणाली के उन्नयन प्रश्नपत्र निर्धारकों, परीक्षकों, परिनियमकों की नियुक्ति तथा परीक्षा के दिनांक की अनुसूची तैयार करने, परीक्षा संचालन तथा इन परीक्षाओं के आयोजन एवं व्यवस्थापन हेतु, कुलपति के अनुमोदनोपरान्त, परिणामों की घोषणा करने के लिए प्राधिकृत होगा। विश्वविद्यालय में, परीक्षा बोर्ड परीक्षाओं की निगरानी करेगा तथा संचालन की देखरेख भी करेगा। परीक्षा बोर्ड, विद्या परिषद को शैक्षणिक दिनदर्शिका तैयार करने हेतु परीक्षाओं का विस्तृत कार्यक्रम प्रस्तुत करेगा।

(3) परीक्षा बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे:-

- (क) परीक्षा नियंत्रक - अध्यक्ष
 (ख) कुलपति द्वारा नामित न्यूनतम सहयुक्त आचार्य स्तर का विश्वविद्यालय विभाग का एक अध्यक्ष
 (ग) विश्वविद्यालय विभागाध्यक्षों के अतिरिक्त कार्य परिषद् द्वारा नामित एक शिक्षक

(घ) उप परीक्षा नियंत्रक-सदस्य सचिव

(4) विद्या परिषद् के अधीक्षण के अध्यक्षीन परीक्षा बोर्ड सामान्यतः विश्वविद्यालय के समस्त आंतरिक परीक्षाओं जिनमें परिनियमन, संवीक्षा और सारणीयन तथा निम्नलिखित अन्य कार्य शामिल हैं, का परिवीक्षण करेगा;

- (क) कुलपति के अनुमोदन से परीक्षकों तथा परिनियमकों को हटाना ;
 (ख) विश्वविद्यालय परीक्षाओं के परिणामों की समय-समय पर समीक्षा तथा विद्या परिषद् को आख्या प्रस्तुत करना;
 (ग) परीक्षा प्रणाली में सुधार हेतु विद्या परिषद को संस्तुति करना;
 (घ) प्रस्तावित परीक्षकों के नामों की सूची का संवीक्षण तथा अंतिम रूप देना;
 (ङ) सक्षम समिति द्वारा (जिसमें समस्त डीन हैं) कुलपति को प्रस्तुत संस्तुतियों के आधार पर कुलपति के अनुमोदन से विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के परिणाम को घोषित करना और सक्षम समिति परीक्षा के सम्पूर्ण डाटा और अध्यादेश के अनुसार परिणाम घोषित करने की प्रक्रिया की जांच करेगी।

(5) परीक्षा बोर्ड उतनी उप समितियाँ नियुक्त कर सकता है जितनी वह उचित समझे और विशेष रूप से एक या एक से अधिक व्यक्तियों अथवा उप समितियों को परीक्षकों अथवा परिनियमकों को नियुक्त करने की शक्ति तथा परीक्षार्थियों द्वारा अनुचित साधन प्रयोग करने सम्बन्धी मामलों को निपटाने तथा निर्णय करने की शक्तियाँ दे सकता है।

(6) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में किसी बात के होते हुए भी परीक्षा बोर्ड या यथास्थिति किसी समिति या किसी व्यक्ति, जिसे विश्वविद्यालय की आगामी परीक्षाओं से किसी परीक्षार्थी को विवर्जित करने की अपनी शक्ति बोर्ड ने प्रत्यायोजित की हो, के लिए ऐसा करना विधिपूर्ण होगा, यदि उसकी राय में ऐसा परीक्षार्थी ऐसी किसी परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने का दोषी है।

(7) तात्कालिक कार्यवाही की आवश्यकता की आपातकालीन दशा में अध्यक्ष, परीक्षा बोर्ड अथवा उसके द्वारा अधिकृत कोई अन्य अधिकारी अथवा व्यक्ति यथोचित कार्यवाही कर सकेगा तथा परीक्षा बोर्ड की अगली बैठक में अपने द्वारा की गयी कार्यवाही से अवगत करायेगा।

सम्बन्धित विभागाध्यक्ष की संस्तुति पर, परीक्षा बोर्ड प्रश्नपत्र बनाने के लिए परीक्षकों और अनुसूचकों को नियुक्ति करेगा।

(8) नकल करना, अभिमानी स्वभाव तथा कक्ष निरीक्षक अथवा किसी शिक्षक अथवा परीक्षा कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार होने की दशा में, परीक्षा नियंत्रक की अनुसंशा पर, कुलसचिव द्वारा सम्बन्धित पुलिस स्टेशन में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) सम्बन्धित के विरुद्ध दाखिल करायी जायेगी तथा सम्बन्धित सत्र के सभी विषयों में शून्य अंक की प्रविष्टि होगी।

38-(1) व्यापार, वाणिज्य, कृषि अथवा उद्योग या किसी अन्य तरह की सेवा से सम्बद्ध होने के कारण पूर्णकालिक विद्यार्थी के रूप में पंजीकरण कराने में अक्षम व्यक्तियों को, प्रमाण पत्र प्रदान करने के उद्देश्य से, विश्वविद्यालय एक सतत् शिक्षा कार्यक्रम हेतु केन्द्र विहितानुसार स्थापित कर सकता है।

(2) प्रत्येक पाठ्यक्रम पृथक-पृथक रूप से संचालित होगा।

39-विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों का गठन, शक्ति एवं कर्तव्य ऐसे होंगे जैसे विहित किये जायं।

अध्याय-छः

अध्यापकों, अधिकारियों तथा कर्मचारिवृन्द की नियुक्ति तथा सेवा की शर्तें

40-विश्वविद्यालय के समस्त शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक समस्त कर्मचारियों के नियोजन के निबन्धन और शर्तें, उनकी नियुक्ति की रीति और कर्मचारियों को दी जाने वाली परिलब्धियाँ ऐसी होंगी जैसी विहित की जायं।

41-(1) विद्यमान कर्मचारियों से भिन्न प्रत्येक कर्मचारी, जिसे नियमित आधार पर या अन्यथा नियुक्त किया गया हो, के साथ विश्वविद्यालय एक लिखित संविदा करेगा और संविदा के निबन्धन और शर्तें इस अधिनियम, परिनियम और अध्यादेशों के उपबन्धों के साथ असंगत नहीं होगी।

(2) उपधारा(1) में निर्दिष्ट संविदा की एक प्रति विश्वविद्यालय के पास रखी जायेगी और उसकी एक प्रति संबंधित कर्मचारी को भी दी जायेगी।

अध्याय-सात

प्रवेश तथा परीक्षाएँ

42-(1) विश्वविद्यालय में चल रहे विभिन्न पाठ्यक्रमों में छात्रों को प्रवेश केन्द्रीय अभियांत्रिकी संस्थान से सम्बद्ध राष्ट्रीय स्तरीय परीक्षा निकाय द्वारा संचालित उपयुक्त विख्यात प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश समिति द्वारा संस्तुति पर कार्य परिषद् द्वारा बनाये गये परिनियमों या अध्यादेशों के अनुसार दिया जायेगा।

अध्याय-आठ

परिनियम, अध्यादेश तथा विनियम

43-इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, परिनियमों में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी विषय के लिए उपबन्ध किये जा सकेंगे और विशिष्टतया निम्नलिखित के लिए उपबन्ध किये जायेंगे:-

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों का गठन, उनकी शक्तियाँ और उनके कर्तव्य;

(ख) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के सदस्यों का चयन नियुक्ति, पदावधि, जिसके अन्तर्गत प्रथम सदस्यों का पद पर बना रहना भी है, और उनकी सदस्यता में रिक्तियों की पूर्ति और इन प्राधिकारियों से संबंधित ऐसे अन्य सभी विषय जिनके लिये उपबन्ध करना आवश्यक या वांछनीय हो;

(ग) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों, कर्मचारिवृन्द/कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य;

सतत् शिक्षा कार्यक्रम हेतु केन्द्र

अन्य प्राधिकारी

विश्वविद्यालय के शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति, निबन्धन और शर्तें एवं परिलब्धियाँ

कर्मचारियों की सेवा शर्तें

छात्रों का प्रवेश

परिनियम

(घ) विश्वविद्यालयों के अध्यापकों का वर्गीकरण और उनकी भर्ती (जिसमें न्यूनतम अर्हतायें और अनुभव भी सम्मिलित है), उनके द्वारा विद्या सम्बन्धी अपनी वार्षिक रिपोर्ट का अनुरक्षण, उनके द्वारा अनुपालनीय आचरण नियम और उनकी उपलब्धियाँ और सेवा की अन्य शर्तें (जिसमें अनिवार्य/स्वेच्छया सेवानिवृत्ति आदि से सम्बन्धित उपबन्ध भी सम्मिलित है);

(ङ) विश्वविद्यालय के अधीन अन्य पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती (जिनमें न्यूनतम अर्हतायें और अनुभव भी सम्मिलित है) और उनकी उपलब्धियाँ और सेवा की अन्य शर्तें (जिसमें अनिवार्य/स्वेच्छया सेवानिवृत्ति से सम्बन्धित उपबन्ध भी सम्मिलित हैं);

(च) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों, कर्मचारिवृन्द/कर्मचारियों के फायदे के लिए पेंशन, भविष्य निधि, उपदान, साधारण बीमा योजना, चिकित्सा भत्ता, बीमा, अवकाश यात्रा, सुविधा, दो बच्चों के शुल्क की प्रतिपूर्ति, पारिवारिक पेंशन, सुलभ ऋण आदि का गठन और अन्य भत्ते/परिलब्धियाँ, बीमा स्कीम की स्थापना;

(छ) उपाधियाँ, डिप्लोमा, परास्नातक डिप्लोमा और अन्य शैक्षिक विशिष्टताएं संस्थित करना;

(ज) सम्मानार्थ उपाधियों का प्रदान किया जाना;

(झ) इकाइयों की स्थापना, उनका आमेलन, उत्सादन और मान्यता;

(ञ) विश्वविद्यालय के अवकाश और अन्य नियम, यदि यहाँ कथित न हों, वही होंगे जैसा उत्तर प्रदेश सरकार के नियम हैं;

(ट) विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित छात्रनिवासों तथा छात्रावासों की स्थापना, उनका उत्सादन और मान्यता;

(ठ) शोध प्रमाण-पत्रों के साथ-साथ, पुरस्कार आदि हेतु छात्रवृत्ति, अध्येतावृत्ति, अध्ययनवृत्ति, वजीफा, पदक पर्याप्त वित्तीय पारितोषिकों को संस्थित करना;

(ड) दीक्षांत समारोह का आयोजन करना;

(ढ) अन्य सभी विषय जो इस अधिनियम द्वारा, परिनियमों द्वारा उपबन्धित किये जाने हों, किये जा सकते हैं;

परिनियम कैसे बनाये जायेंगे

44-(1) विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बनाये जायेंगे और जब तक प्रथम परिनियम इस प्रकार न बनाये जायं, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त नियम, जहाँ तक कि वे इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों, ऐसे अनुकूलनों तथा उपान्तरों के अधीन रहते हुए, चाहे वे निरसन, संशोधन या परिवर्धन, जो आवश्यक या समीचीन हों, के रूप में हों, और जिसको राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उपबन्धित किया जाय, प्रवृत्त बने रहेंगे तथा ऐसे अनुकूलनों या उपान्तरों पर आपत्ति नहीं उठाई जायेगी।

(2) कार्य परिषद् समय-समय पर नए या अतिरिक्त परिनियम बना सकती है या संशोधन कर सकती है या परिनियमों को निरस्त कर सकती है।

(3) कार्य परिषद् किसी ऐसे परिनियम के प्रारूप का जिससे विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी की प्रास्थिति, शक्ति या गठन पर प्रभाव पड़ता हो, तब तक नहीं प्रस्तावित करेगी जब तक कि ऐसे प्राधिकारी से परामर्श न ले लिया गया हो।

(4) प्रत्येक नया परिनियम या किसी परिनियम में परिवर्धन या किसी परिनियम में संशोधन या निरसन कुलाधिपति को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

(5) कार्य परिषद् द्वारा पारित कोई परिनियम उस दिनांक से प्रभावी होगा जब से कुलाधिपति द्वारा उसे अनुमोदित किया जाय।

45-(1) इस अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अध्यादेशों में किसी ऐसे विषय के लिए उपबन्ध किये जा सकेंगे, जिनके लिए इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा ऐसा उपबन्ध किया जाना हो या अध्यादेशों द्वारा किये जायें।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों की सामान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अध्यादेशों में निम्नलिखित विषयों के लिए उपबन्ध किए जायेंगे, अर्थात्:-

(क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश तथा उनका पंजीयन और इस प्रकार बने रहना;

(ख) विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों तथा डिप्लोमाओं के लिए अधिकथित किए जाने वाले अध्ययन पाठ्यक्रम और विश्वविद्यालय की अन्य विद्या सम्बन्धी विशिष्टताएं;

(ग) वे शर्तें जिनके अधीन छात्रों को विश्वविद्यालय की परीक्षाओं, उपाधियों, दोहरी उपाधियों, प्रमाण-पत्रों और डिप्लोमा में प्रविष्ट किया जायेगा तथा वे ऐसी उपाधियाँ, दोहरी उपाधियाँ, प्रमाण-पत्र तथा डिप्लोमा प्राप्त करने के पात्र होंगे;

(घ) छात्रवृत्तियाँ, अध्येतावृत्तियाँ, अध्ययनवृत्तियाँ, निर्धन-छात्रवृत्तियाँ, पदक, पारितोषिक, पुरस्कार आदि प्रदान करने की शर्तें;

(ङ) विश्वविद्यालय में छात्रों के निवास तथा विश्वविद्यालय द्वारा पोषित छात्रनिवास/छात्रावासों के प्रबन्ध की शर्तें;

(च) ऐसे छात्रनिवास और छात्रावासों की, जो विश्वविद्यालय द्वारा पोषित न हों, मान्यता और प्रबन्ध;

(छ) विश्वविद्यालय के छात्रों में अनुशासन बनाये रखना;

(ज) पत्राचार पाठ्यक्रमों तथा प्राइवेट अभ्यर्थियों से सम्बन्धित सभी विषय;

(झ) किसी भी प्रयोजन हेतु अभिभावक - शिक्षक संघ का गठन;

(ञ) फीस, जो विश्वविद्यालय द्वारा किसी प्रयोजनार्थ ली जा सके;

(ट) वे शर्तें जिनके अधीन व्यक्तियों को छात्रनिवास/छात्रावासों में शिक्षण देने के निमित्त अर्ह माना जाय;

(ठ) परीक्षणनिकायों, परीक्षकों, अनुसीमकों, अन्तरीक्षकों तथा सारणीकारों की नियुक्ति की शर्तें और रीति तथा उनके कर्तव्य;

(ड) परीक्षाओं का संचालन;

(ढ) विश्वविद्यालय के कार्यों में नियोजित व्यक्तियों को दिया जाने वाला पारिश्रमिक तथा भत्ता, जिनके अन्तर्गत यात्रा और दैनिक भत्ते भी हैं;

(ण) कर्मचारियों के साधारण कल्याण से संबंधित विषय;

(त) अन्य सभी विषय जिनके लिए इस अधिनियम या परिनियमों के अधीन उपबन्ध किये जाने हों, अध्यादेशों द्वारा किये जायें।

46-(1) विश्वविद्यालय के प्रथम अध्यादेश कार्य परिषद् द्वारा बनाए जायेंगे और जब तक प्रथम अध्यादेश नहीं बनाये जाते हैं, हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिक संस्थान (कानपुर) सोसायटी के नियम ज्ञापन, अवकाश विनियम संचालन नियमावली और उप विधि, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त रहेंगे, छात्र नियमावली वही होगी जो प्रथम अध्यादेश के अभाव में अध्यादेश के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व शैक्षिक अधिवेशन के पूर्ववर्ती सूचना विवरणिका में उल्लिखित हो।

अध्यादेश

अध्यादेश कैसे बनाये जायेंगे

(2) कार्य परिषद् समय-समय पर नये या अतिरिक्त अध्यादेश बना सकती है या विद्यमान अध्यादेशों का संशोधन या निरसन कर सकती है:

परन्तु यह कि ऐसा कोई अध्यादेश नहीं बनाया जायेगा-

(क) जिससे छात्रों के प्रवेश पर प्रभाव पड़े या जो विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के समतुल्य मान्यता दी जाने वाली परीक्षाएं अथवा विश्वविद्यालय के उपाधि पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए विहित करे, जब तक कि ऐसे अध्यादेश का प्रारूप विद्या परिषद् द्वारा प्रस्थापित न किया गया हो;

(ख) जिससे परीक्षकों की नियुक्ति की शर्तों तथा रीति और उनके कर्तव्यों तथा परीक्षाओं या किसी पाठ्यक्रम के संचालन या स्तर पर प्रभाव पड़े, जब तक कि ऐसे अध्यादेश का प्रारूप विद्या परिषद् द्वारा प्रस्थापित न किया गया हो।

(3) कार्य परिषद् को विद्या परिषद् द्वारा प्रस्तावित किसी प्रारूप को संशोधित करने की शक्ति नहीं होगी, किन्तु वह उसे अस्वीकार कर सकेगी या उसे विद्या परिषद् को पूर्णतः अथवा अंशतः पुनः विचारार्थ किसी ऐसे संशोधन के साथ वापस कर सकेगी, जिसका कार्य परिषद् सुझाव दे।

(4) कार्य परिषद् द्वारा बनाये गये सभी अध्यादेश ऐसी तारीख से प्रभावी होंगे, जैसा वह निदेश दे और कुलाधिपति को यथाशक्य शीघ्र प्रस्तुत किये जायेंगे।

(5) कुलाधिपति, किसी समय कार्य परिषद् को निर्दिष्ट अध्यादेशों से भिन्न अध्यादेशों को अननुज्ञात करने को संज्ञापित कर सकेगा और कार्य परिषद् को ऐसे अननुज्ञात करने की सूचना प्राप्त होने की तारीख से अध्यादेश शून्य हो जायेंगे।

(6) कुलाधिपति यह निदेश दे सकेगा कि निर्दिष्ट अध्यादेश से भिन्न किसी अध्यादेश का प्रवर्तन तब तक के लिए निलम्बित रहेगा, जब तक उसे अननुज्ञात करने की अपनी शक्ति का प्रयोग करने का अवसर न मिला हो। इस उपधारा के अधीन निलम्बन का कोई आदेश ऐसे आदेश की तारीख से एक मास की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा।

विनियम

47- विश्वविद्यालय के प्राधिकारी इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों से संगत विनियम ऐसी रीति से बना सकते हैं जैसा कि अपने और उनके द्वारा नियुक्त समितियों, यदि कोई हो, के कारबार के संचालन के लिए विहित किया जाय, जिसके लिए इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों में उपबन्ध नहीं किया गया है।

अध्याय-नौ

वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखा

वार्षिक रिपोर्ट

48-(1) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट कार्य परिषद् द्वारा तैयार की जायेगी जिसके अन्तर्गत, अन्य विषयों के साथ ही, विश्वविद्यालय द्वारा उसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उठाये गये कदम भी होंगे।

(2) इस प्रकार तैयार की गयी वार्षिक रिपोर्ट कुलाधिपति के समक्ष शैक्षणिक वर्ष के पूर्ण होने के दिनांक से छः माह के भीतर प्रस्तुत की जायेगी।

(3) उपधारा (1) के अधीन तैयार की गयी वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति राज्य सरकार को प्रस्तुत की जायेगी।

वार्षिक लेखा

49-(1) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे और तुलन-पत्र कार्य परिषद् के निर्देशों के अध्वधीन तैयार किये जायेंगे और निदेशक, स्थानीय निधि लेखा, उत्तर प्रदेश या ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जिन्हें राज्य सरकार इस निमित्त प्राधिकृत करे, प्रत्येक वर्ष कम से कम एक बार और पन्द्रह मास से अनधिक के अंतरालों पर उनकी लेखा परीक्षा की जायेगी।

(2) संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ वार्षिक लेखों की प्रति कार्य परिषद् के प्रेक्षण सहित, यदि कोई हो, कुलाधिपति और कार्य परिषद् को प्रस्तुत की जायेगी।

(3) वार्षिक लेखों पर कार्यपरिषद् द्वारा किया गया कोई संप्रेक्षण कुलाधिपति के ध्यान में लाया जायेगा और ऐसे संप्रेक्षणों पर कार्य परिषद् के विचार, यदि कोई हों, राज्य सरकार को प्रस्तुत किये जायेंगे।

50-(1) जब कभी विश्वविद्यालय के धन या संपत्ति की हानि, अपशिष्ट या दुरुपयोजन के संबंध में राज्य सरकार द्वारा कोई शिकायत प्राप्त की जाती है या राज्य सरकार अपने आप यह सोचना उपयुक्त समझे तो विश्वविद्यालय के विशेष लेखा परीक्षा हेतु निदेशक, स्थानीय निधि लेखा, उत्तर प्रदेश द्वारा या उसके अधीनस्थ किसी अधिकारी द्वारा निदेशित कर सकता है।

(2) विशेष लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्राप्त होने पर राज्य सरकार विश्वविद्यालय के ऐसे अधिकारी जिसकी उपेक्षा या कदाचार के कारण उपधारा(1) में निर्दिष्ट हानि, अपव्यय या दुरुपयोजन हुआ है, को एक नोटिस जारी करेगी जिसके द्वारा अपने कार्य का स्पष्टीकरण राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियत समय के भीतर देने के लिए उससे अपेक्षा करेगा।

(3) राज्य सरकार उपधारा (2) में निर्दिष्ट लेखा परीक्षा रिपोर्ट और अधिकारी के उत्तर पर विचार-विमर्श के पश्चात् इस निमित्त उपयुक्त विनिश्चय कर सकती है।

(4) यदि राज्य सरकार की राय यह हो कि राज्य सरकार द्वारा अवधारित अधिभार देने के लिए अधिकारी को उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए तो अधिभार को बकाये के रूप में या राज्य सरकार द्वारा यथा निदेशित अन्य रीति से वसूला जायेगा।

51-विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की किसी आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति उसी रीति से की जायेगी, जिस रीति से वह सदस्य जिसकी रिक्ति पूर्ति करनी हो, चुना गया हो और रिक्ति की पूर्ति करने वाला व्यक्ति ऐसे प्राधिकारी या निकाय का सदस्य उप अवशिष्ट अवधि के लिये होगा, जिसके लिये वह व्यक्ति जिसका स्थान वह भरता है, सदस्य बना रहता।

52-विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य न होगी कि:-

(क) उसमें कोई रिक्ति अथवा उसके गठन में कोई त्रुटि थी; या

(ख) कार्यवाही में किसी ऐसे व्यक्ति ने भाग लिया है, जो ऐसा करने के लिए हकदार नहीं था; या

(ग) उसके सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के निर्वाचन, नाम-निर्देशन या नियुक्ति में कोई त्रुटि थी; या

(घ) उसकी कार्यवाही में कोई ऐसी अनियमितता थी, जिससे मामले के गुणावगुण पर कोई प्रभाव न पड़ता हो।

53-कार्य परिषद् उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के दो तिहाई मत से किसी व्यक्ति को विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय की सदस्यता से इस आधार पर कि ऐसा व्यक्ति ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष हुआ है, जो सभा की राय में नैतिक अधमता सम्बन्धित अपराध हो अथवा इस आधार पर कि वह कलंकालम्बक आचरण का दोषी है अथवा उसने ऐसी रीति से व्यवहार किया है, जो विश्वविद्यालय के सदस्य के लिए अशोभनीय हो, हटा सकती है और उन्हीं आधारों पर किसी व्यक्ति से विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त या मंजूर की गयी कोई उपाधि, डिप्लोमा या प्रमाण पत्र वापस ले सकती है।

54-यदि कोई ऐसा प्रश्न उठे कि कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय का यथाविधि निर्वाचित या नियुक्त सदस्य या उसका सदस्य होने का हकदार है, या नहीं, अथवा विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अधिकारी का कोई विनिश्चय (जिसके अन्तर्गत किसी ऐसे परिनियम, अध्यादेश या विनियम जो कुलाधिपति द्वारा निर्मित या अनुमोदित परिनियम या अध्यादेश न हो, की विधिमान्यता से सम्बन्धित कोई प्रश्न भी है) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये परिनियमों या अध्यादेशों के अनुरूप है या नहीं, तो उक्त विषय कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा और कुलाधिपति का उस पर विनिश्चय अन्तिम होगा:

अधिभार

आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति

रिक्तियों आदि के कारण कार्यवाही की अवधि मान्य न होना

विश्वविद्यालय की सदस्यता से हटाया जाना

कुलाधिपति को निर्देश

परन्तु यह कि इस धारा के अधीन कोई निर्देश-

(क) उस तारीख के जब कि प्रश्न पहली बार उठाया जा सकता था, तीन मास से अधिक के पश्चात्,

(ख) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अधिकारी अथवा व्यथित व्यक्ति के सिवाय नहीं किया जायेगा।

वाद का वर्जन

55-इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय विश्वविद्यालय या इसके किसी अधिकारी, प्राधिकारी या निकाय द्वारा सम्यक रूप से और सदभाव पूर्वक किये गये या पारित सभी अधिनियम और आदेश अंतिम होंगे और राज्य सरकार या विश्वविद्यालय या उसके किसी अधिकारी, प्राधिकारी या निकाय के विरुद्ध इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये परिनियमों या अध्यादेशों के अनुसरण में किये गये या किये जाने के लिए तात्पर्यित या आशयित किसी कार्य के अस्वीकार किये जाने के सम्बन्ध में न कोई वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा और न कोई अन्य विधिक कार्यवाहियाँ की जा सकेंगी।

विश्वविद्यालय से संबंधित सभी विवाद जिला कानपुर नगर की प्रादेशिक अधिकारिता के भीतर होंगे।

विश्वविद्यालय के अभिलेख साक्ष्य की रीति

56-(1) विश्वविद्यालय के कब्जे में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी अथवा समिति अथवा बोर्ड आदि की किसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प आदि या अन्य दस्तावेज अथवा विश्वविद्यालय द्वारा यथाविधि अनुरक्षित किसी रजिस्टर के किसी प्रविष्टि की प्रति यदि कुलसचिव द्वारा प्रमाणित हो, तो ऐसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही या संकल्प अथवा दस्तावेज के अथवा रजिस्टर में प्रविष्टि होने के प्रथमदृष्टया साक्ष्य के रूप में ग्रहण की जायेगी और उसमें अभिलिखित विषय तथा व्यवहार के लिए साक्ष्य के रूप में ग्रहण की जायेगी।

(2) विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या सेवक, से, किसी ऐसी कार्यवाही में, जिसमें विश्वविद्यालय एक पक्ष न हो, विश्वविद्यालय का कोई ऐसा दस्तावेज, रजिस्टर या अन्य अभिलेख, जिसकी अन्तर्वस्तुएं उपबंधों के अधीन प्रमाणित प्रति द्वारा सिद्ध की जा सकती हों, प्रस्तुत करने की अथवा उसमें अभिलिखित विषय तथा व्यवहार को सिद्ध करने के लिए साक्षी के रूप में उपस्थित होने की तब तक अपेक्षा न की जाएगी, जब तक कि सभा विशेष कारण से आदेश न दे।

प्राधिकारी और कर्मचारी के उत्तरदायित्व

57- विश्वविद्यालय के सामान्य रूप से पदधारियों के हित में परिनियमों के अनुसार प्रत्येक प्राधिकारी या अधिकारी, यहाँ उल्लिखित हो अथवा न हो, अपने मूल कार्य, उत्तरदायित्वों, कार्यों और अपने वरिष्ठों द्वारा दिये गये अन्य अतिरिक्त कार्यों को कार्यान्वित करने के लिए उपबंधों के अनुसार पूर्णरूप से सक्षम प्राधिकारी के प्रति उत्तरदायी होगा।

कठिनाईयां दूर करने की शक्ति

58-(1) राज्य सरकार किसी कठिनाई को विशिष्टतः इस अधिनियम के विद्यमान उपबंधों से संक्रमण के संबंध में दूर करने के प्रयोजनार्थ राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि यह अधिनियम ऐसी कालावधि के दौरान जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए चाहे वे परिष्कार, परिवर्द्धन के रूप में हो, या लोप के रूप में हो, जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझे, प्रभावी होगा:

परन्तु यह कि ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष पश्चात नहीं किया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश पर किसी न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायेगी कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट ऐसी कोई कठिनाई विद्यमान नहीं थी अथवा उनको दूर करना अपेक्षित नहीं था।

59-(1) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये प्रत्येक परिनियमों और अध्यादेशों को गजट में प्रकाशित किया जायेगा।

परिनियमों और अध्यादेशों को सरकारी गजट में प्रकाशित किया जाना और विधान मण्डल के समक्ष रखा जाना

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी परिनियमों और अध्यादेशों को बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष जबकि उसका सत्र कुल तीस दिन से अनधिक कालावधि का रहा हो, जो एक सत्र या दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखा जायेगा और जब तक कि कोई बाद का दिनांक नियत न किया जाय गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से ऐसे परिष्कारों अथवा बातिलीकरणों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे, जो विधान मण्डल के दोनों सदन उक्त कालावधि में करने के लिए सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार अथवा बातिलीकरणों तद्धीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।

उद्देश्य और कारण

हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी संस्थान एक स्वायत्त संस्थान है जिसकी स्थापना सन् 1921 में की गयी थी। यह पूर्णतः राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित है। अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, बेसिक एवं अनुप्रयुक्त विज्ञान, मानविकी, सामाजिक विज्ञान, प्रबन्धन, वास्तुशास्त्र तथा अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के क्षेत्र में शोध और विकास तथा उद्भवन पर सकेंद्रित होते हुए उसे एक अग्रणी आवासीय विश्वविद्यालय एवं उत्कृष्टता का केन्द्र बनाने, उच्च शिक्षा के उदीयमान क्षेत्रों में अध्ययन, शोध और नवाचार को प्रोत्साहित करने, सतत शिक्षा कार्यक्रम तथा ज्ञान उद्भवन के माध्यम से कौशल विकास को अग्रसर करने एवं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी उत्कृष्टता प्राप्त करने और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक अन्य विषयों की व्यवस्था करने के लिए इस संस्थान को हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है।

अतएव, यह विनिश्चय किया गया है कि एक विधि बनाकर पूर्वोक्त संस्था को विश्वविद्यालय के रूप में प्रोन्नत करने के लिए व्यवस्था की जाय जिससे उसको अध्यापन और अनुसंधान केन्द्र के रूप में और अधिक दक्षतापूर्वक कार्य करने हेतु समर्थ बनाया जा सके ताकि अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी, अनुप्रयुक्त विज्ञान और प्रबन्धन विज्ञान के क्षेत्र में उच्चतर शिक्षा एवं अनुसंधान की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके, उद्योग सुसंगत अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित किया जा सके और समाज तथा राष्ट्र की सेवा करने हेतु बेहतर कार्यक्षेत्र तथा अवसर का लाभ उठाया जा सके।

तदनुसार उत्तर प्रदेश हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2016 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
अब्दुल शाहिद,
प्रमुख सचिव।

No. 586 (2)/LXXIX-V-1-16-1 (ka)-10-2016

Dated Lucknow, April 7, 2016

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Harcourt Butler Pravidhik Vishwavidyalay Adhiniyam, 2016 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 11 of 2016) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on April 6, 2016.

THE UTTAR PRADESH HARCOURT BUTLER TECHNICAL UNIVERSITY ACT, 2016

(U.P. Act no. 11 of 2016)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

to provide for reconstitution of the Harcourt Butler Technological Institute, Kanpur as the Harcourt Butler Technical University, Kanpur with a view for making it a leading Residential University to become a Centre of Excellence with focus on Research & Development and Incubation in the fields of engineering, technology, basic & applied sciences, humanities, social science & management, architecture and other professional courses, to promote studies, research and innovation in emerging areas of higher education, to further skill development through continuing education programme and knowledge incubation, also to achieve excellence in higher technical education and other matters connected therewith or incidental thereto.

WHEREAS the Harcourt Butler Technological Institute run under Harcourt Butler Technological Institute (Kanpur) Society, is an institution of Government of Uttar Pradesh affiliated to Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow;

AND, WHEREAS, it is expedient to confer on the said institution, the status of a University to enable it to function more efficiently as the teaching and research center to meet the requirement of higher education and research in the field of engineering and technology, applied sciences & management sciences, foster industry relevant research & innovation and to avail better scopes and opportunities to serve the society and the nation.

IT IS HEREBY enacted in the Sixty-seventh Year of the Republic of India as follows:-

CHAPTER -I

PRELIMINARY

Short title and commencement

1. (1) This Act shall be called the Uttar Pradesh Harcourt Butler Technical University Act, 2016.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint.

Definitions

2. In this Act, unless the context otherwise requires,—

(1) "Academic Council" and "Executive Council" means respectively the Academic Council and the Executive Council of the University;

(2) "Adjunct Professor", "Adjunct Associate Professor" or "Adjunct Assistant Professor" mean a person from academia, industry, trade, agriculture, commerce or any other allied field who is so designated during the period of collaboration or association with the University;

(3) "Authority" means an authority of the University;

(4) "Council" means the All India Council for Technical Education, established under the All India Council for Technical Education Act, 1987 (Act no. 52 of 1987);

(5) "Board" means the Accreditation Board for Engineering and Technology;

(6) "Chancellor", "Vice-Chancellor", "Pro-Vice-Chancellor" mean respectively the Chancellor, the Vice-Chancellor and Pro-Vice-Chancellor of the University;

(7) "Collaboration" means collaborative academic activity of the University with other universities, academic institutions, research institutions (local, regional, national or international) and organizations (research, industry, trade and commerce *etc.*);

(8) "Center for Continuing Education Programme" means a Center of the University for Continuing Education Programme for furthering skill development and knowledge incubation;

(9) "Department" means a department of the University for teaching a particular subject or a group of subjects;

(10) "Fee" means the fee to be charged and collected by the University from the students, by whatever name called;

(11) "Hall" / "Hostel" mean a unit of residence of students maintained and recognized by the University;

(12) "Erstwhile Institute" means the Harcourt Butler Technological Institute, Kanpur under Harcourt Butler Technological Institute (Kanpur) Society prevailing with all assets, staff, employees, service rules *etc.* as existed before commencement of University;

(13) "Incubation Hub" means Innovation and Incubation Hub established and maintained by the University with a view for promoting innovation and incubation in the University;

(14) "Prescribed" means prescribed by Statutes;

(15) "Registrar" means the Registrar of the University;

(16) "Schools, Centers and Units" mean the academic entities deployed by the University as schools, centres and units of learning engaged in teachings, researches, innovation, incubation and training in relevant areas;

(17) "Skill Development Centre" means a Skill Development Centre of the University;

(18) "Statutes", "Ordinances" and "Regulations" mean respectively the Statutes, Ordinances and Regulations of the University made under this Act;

(19) "Students' Council" means the students council established under this Act;

(20) "Teacher" means a Professor, Associate Professor or Assistant Professor working in the University;

"University" means the Harcourt Butler Technical University.

CHAPTER – II

THE UNIVERSITY

3. (1) The Chancellor, the Vice-Chancellor, the members of the Executive Council, Academic Council and others, holding office as such in the University are hereby constituted by the name of the Harcourt Butler Technical University, Kanpur;

(2) The University shall be a body corporate;

(3) Any reference to Harcourt Butler Technological Institute, Kanpur, in any other law or in any contract or other instrument shall be constant as a reference to the University;

Incorporation of
the University

(4) All property movable or immovable, of or belonging to Harcourt Butler Technological Institute, Kanpur shall stand taken over by the State Government from the society and transformed to the University;

(5) Every person employed by Harcourt Butler Technological Institute, Kanpur, immediately before the commencement of this Act, shall hold his office or service in the University, except to Director, the Deputy Director, the Registrar, the Deputy Registrar and the Assistant Registrar, on the same terms and conditions, notwithstanding anything to the contrary contained in any other provisions of this Act and unless changed, including leave, pension, gratuity, provident fund *etc.* and other matters, as he would have held by him before the commencement of this Act, shall continue to hold as such unless and until his employment is terminated or he opts for the University's terms and conditions of employment;

(6) Notwithstanding anything to the contrary contained in any other provision of this Act, existing students of Harcourt Butler Technological Institute, Kanpur who joined courses/programmes before the commencement of this Act shall continue to pursue their academic courses and programs of study under previous dispensation, unless a specific provision is made in the Ordinances otherwise, on the recommendation of a committee duly constituted by the State Government for the purpose;

(7) The University shall not lease, sell or otherwise transfer or dispose off any movable or immovable property, of the University without the prior consent of the State Government.

Objectives of the University

4. The objectives of the University shall be—

(a) to provide facilities for, and devise and implement programmes of, education in engineering, technology, basic and applied sciences, humanities, social science and management, architecture and other professional courses keeping in mind the current needs, anticipated changes and projected long term academic, research and industry and societal requirements related to engineering and technology;

(b) to further the advancement of knowledge in engineering, technology, basic and applied sciences, humanities, social science and management, architecture and other professional courses, pursue and promote research, innovation and incubation, disseminate knowledge for the betterment of the society and bring about wide spread awareness of the tools and methods continuously generated by the advances in such fields;

(c) to serve as a centre for fostering co-operation and exchange of ideas between the academic and research community on one hand, and the industry and the University on other, and promote entrepreneurship;

(d) to promote better interaction and co-ordination to improve the governance of the University and facilitate for higher education;

(e) to promote discipline and the spirit of intellectual inquiry and to dedicate itself as a fearless academic community to the sustained pursuit of excellence;

(f) to promote innovation through research and knowledge incubation;

(g) to further skill development and manpower training activities for the benefit of the society;

(h) to provide research and development and Incubation facilities for budding entrepreneurs amongst students, teachers, and others, and to provide help related to legal, financial, marketing and other matters to them.

5. (1) The powers and functions of the University shall be:—

(a) to provide for instruction, training, research and innovation in such branches of engineering, technology, basic and applied sciences, humanities, social science and management, architecture and other professional courses as it may deem fit, and for the advancement of learning and dissemination of knowledge in the said subjects;

(b) to hold examinations for and to grant and confer honorary degrees, post-doctoral degrees (DSc DLit), doctoral degrees, dual-degrees, UG and PG degrees, PG diplomas, diplomas, certificates and other academic distinctions to and on persons, who—

(i) have pursued a course of study in the University or partly in the University and partly in some other institution in accordance with the conditions laid down in the Statues and the Ordinances; or

(ii) are teachers, researchers in other educational or research institutions or entrepreneurs under such conditions as may be prescribed and laid down in Ordinances and have pursued a course of study in the University under conditions laid down in the Statues and the Ordinances;

(c) to organise convocation of the University, for conferring degrees, diplomas etc:

Provided that every proposal to confer an honorary degree shall be subject to the confirmation by the Chancellor;

(d) to co-operate or collaborate with other colleges, institutes, universities and authorities in such manner and for such purposes as may be prescribed:

Provided that any foreign collaboration would require prior approval of the State Government;

(e) To constitute, with the approval of the State Government, teaching, research, scientific and engineering posts required by the University and to appoint persons to such posts, in accordance with the provisions of Statutes and Ordinances;

(f) to organize conferences, seminars, workshops, training programmes, exhibitions etc. in accordance with the provisions of Ordinances;

(g) to demand, receive, retain and spend fees and other charges as may be fixed by the Ordinances;

(h) to establish houses/ flats and hostels/ halls in the campus for the teachers, officers, staff and students of the University and to manage & maintain them;

(i) to supervise and control the hostels/halls and to regulate the discipline of the students of the University and to make arrangements for promoting their health, general welfare cultural, and other related aspects;

(j) to establish, maintain, and manage schools, departments, centers and units, auditoriums, laboratories, libraries, museums and other entities necessary for carrying out the objectives of the University;

(k) to co-ordinate between different entities of the University and have superintendence over their activities;

(l) to assess the needs of the State and the Country in terms of specializations, levels of education and training of technical manpower (both on short and long term basis) and to initiate necessary programmes to meet these requirements;

(m) to organize advanced studies and research programmes based on a deep understanding of the trends in engineering, technology, basic and applied sciences, humanities, social science and management, architecture and other professional courses with a view for producing professionals who are not only up-to-date but also able to lead;

(n) to promote research, innovation, design and development activities that have a relevance to social needs and the development programmes of the State and the Nation;

(o) To create, with the approval of the State Government, administrative, ministerial and other posts required by the University and to appoint persons to such posts, in accordance with the provisions of Statutes and Ordinances;

(p) to take measures to enlist the co-operation of industries and government to provide complementary facilities;

(q) to provide the facilities for preparation of text books and other instructional materials etc. and for publishing research journals and magazines;

(r) to arrange for progressive introduction of continuous evaluation and reorientation of the objectives in educational measurement;

(s) to provide opportunities for Continuing Education aimed at broadening, diversifying, updating or advancing one's knowledge and skills;

(t) to educate the public with regard to the requirements of, and opportunities in, the profession of engineering, technology, basic and applied sciences, humanities, social science and management, architecture and other professional courses and its responsibilities and service to the society;

(u) to function as an advisory body to the Government in matters connected with technical education, research and development, innovation and incubation;

(v) do all such acts and things, as may be necessary in furtherance of the objectives of the University;

(w) to appoint or recognize, in accordance with the rules of State Govt./Govt. of India, persons working in any other University or organization in India or abroad as Adjunct Professor/Scientist, Adjunct Associate Professor/Scientist, Adjunct Assistant Professor/Scientist, Visiting Professor /Scientist, Distinguished Professor/Scientist, Emeritus Professor/Scientist of the University;

(x) to facilitate to and fro mobility of teachers/ students within the University and to other Universities/ colleges/ institutions and industry with the consent of the teacher concerned for limited period and as per memorandum of University signed, provided that any foreign visit would require prior sanction of the State Government;

(y) to supervise, control and regulate admission of students for various courses of study in University School, Department, Centre and Unit;

(z) to run professional courses at School, Department, Centre and Unit, preferably approved by All India Council of Technical Education/ Accreditation Board For Engineering And Technology, as applicable;

(aa) to maintain the teacher/student ratio and teaching/non-teaching staff ratio, in the University as per All India Council of Technical Education/University Grant Commission (AICTE/UGC) norms;

(ab) to monitor and evaluate the academic and research performance of each University School, Department, Centre and Unit;

(ac) to inspect, where necessary, University School, Department, Centre and Unit, through suitable machinery established for the purpose, and take measures to ensure that proper standards of instruction, teaching and training are maintained by them and adequate library, laboratory, hostel, workshop and other facilities are provided for;

(ad) to hold and manage trusts and endowments and institute and award fellowships, sabbatical/study leave, travelling fellowships, scholarships, studentship, research medals and research prizes for teachers, staff and students of the University, as laid down in the Ordinances;

(ae) to fix, demand, retain, recover, receive and spend such fees and other charges as may be regulated by the Ordinances, from time to time;

(af) to supervise, control and regulate the conduct and discipline of the students on the campus of the University;

(ag) to make arrangements for promoting the healthy atmosphere and welfare of the teachers, staff and students of the University;

(ah) to assess the performance of teachers, officers and non-teaching employees of the University periodically in accordance with the provisions of the Statutes;

(ai) to ensure proper attendance and presence of the teachers, officers and non-teaching staff on the premises of the University during office hours and beyond office hours, as prescribed and to prohibit teachers, officers and non-teaching staff from taking or conducting private tuition or private coaching classes or running business etc.;

(aj) to establish an Industry –Academia Cell in the University to expedite the interaction and deliberation between them for mutual benefits and creating joint venture(s), as provided in the Statutes;

(ak) to prescribe Code of conduct for all relevant matters;

(al) to establish, maintain and manage, whenever necessary:—

(a) a printing and publication department;

(b) university extension boards;

(c) information bureaux;

(d) employment guidance bureaux; and

(e) such other activities as may be necessary and possible to fulfill the objectives of the University;

(am) to make provision for participation of students in:

(a) the national service scheme;

(b) the national cadet corps;

(c) the national sports organization;

(d) physical and military training;

(e) extra-mural teaching and research;

(f) programmes related to adult and continuing education, and extension, if any;

(g) any other programmes, services or activities directed towards cultural, economic and social betterment as may be necessary and possible to fulfill the objectives of the University;

(an) to wind up, in the interest of the University, any entity running in the University area, where irregularities or commission or omissions of criminal nature by such entity, are *prima-facie*, evident to the committee of enquiry appointed by the University;

(ao) to undertake academic collaboration programmes with Universities, institutions, research laboratories, industry abroad and within the country,

however the prior approval shall be needed from the State Government in case of above collaboration with foreign University;

(ap) to receive funds for collaboration programmes from foreign agencies, subject to rules and regulations of the Central Government and State Government in that behalf;

(aq) to evolve an operational scheme for ensuring accountability of teachers, officers and non-teaching staff of the University;

(ar) to provide for joint appointments in single grade of pay in more than one School, Department, Centre and Unit in the University as also between university research laboratories, University-industry and other bodies;

(as) to provide promotions to officers, teaching and non-teaching staff of the University, adopt post structure as approved by the State Government and as per rules and regulations laid down in the Statutes of the University;

(at) to comply with and carry out any directives issued by the State Government from time to time, with reference to above powers, duties and responsibilities of the University;

(au) to provide testing and consultancy services to industry and society in order to transfer the benefits of technology to the field;

(av) to provide innovation and incubation assistance to budding entrepreneurs, students and teachers of the University as well as from other institutions and other skilled persons and industry;

(aw) to promote innovation and research & development activities;

(ax) to provide patent filing facilities in the University campus;

(ay) to set up facilities for University Computer Center, Library, Auditoriums, Instrumentation Center, Workshop and Stadiums, play grounds etc.;

(az) to receive benefactions, donations, and gifts from the person(s) on the name of chairs, institutions, buildings, and the like with the approval of the Executive Council;

(ba) to organize finishing school programmes for the students both at UG and PG level to improve the employability, entrepreneurship and interpersonal skills.

Funds of the
University

6. The funds of the University shall include the following:—

(a) Grant from State Government;

(b) Grant from Central Government;

(c) Income accrued through bank interest on savings fixed deposits and other assets;

(d) Revenue accrued from intellectual property rights(IPRs), royalty, patents, incubation;

(e) Revenue accrued from testing services and consultancy to industry;

(f) Fee of students;

(g) Other fee, etc.;

University open to
all races, creed,
castes and classes

7. (1) The University shall be open to persons of either sex and of whatever race, creed, caste or class, and it shall not be lawful for the University to adopt or impose on any person any test whatsoever of religious belief or profession or political opinion in order to entitle him to be appointed as a teacher of the University or to hold any other office therein or to be admitted as a student of the University, or to enjoy or exercise any privilege thereof.

(2) Nothing in this section shall prevent the University from making any special provision for the appointment or admission of women or persons belonging to the weaker sections of the society, and in particular, for persons belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes.

CHAPTER-III

INSPECTION, ENQUIRY AND DIRECTION OF GOVERNMENT

8. (1) The Government shall have the right to cause an inspection, by such person or persons as it may deem fit, to be made for the University, including its buildings, libraries, laboratories, workshops and equipment, Examinations, teaching and other related works conducted by the University or to cause an enquiry to be made in the like manner in respect of any matter connected with the academics, administrative, financial and other matters of the University.

Inspection and
enquiry

(2) Where the State Government decides to cause an inspection or enquiry to be made under section 8(1), it shall inform the University of the same through the Registrar and any person nominated by the Executive Council may be present at such inspection or enquiry as representative of the University and shall have the right, to be heard as such:

Provided that no legal practitioner shall appear, plead or act on behalf of the University at such inspection or inquiry.

(3) The person or persons appointed to inspect or inquire under section 8(1) shall have all the powers of a civil court, while trying a suit under the code of Civil Procedure, 1908, for the purposes of taking evidence of oath and of enforcing the attendance of witnesses and compelling production of documents and material objects, and shall be deemed to be a civil court within the meaning of sections 345 and 346 of the Code of Criminal Procedure 1973, and any proceeding before him or them shall be deemed to be judicial proceeding within the meaning of sections 193 and 228 of the Indian Penal Code.

(4) The State Government shall address the Vice-Chancellor with reference to the result of such inspection or inquiry, and the Vice-Chancellor shall, after taking necessary action, communicate to the Executive Council, the views of the State Government with such advice as the State Government may offer upon the action to be taken thereon.

(5) The Vice Chancellor shall then within such time as the State Government may fix, submit to it a report of the action taken or proposed to be taken by the Executive Council.

(6) If the University authorities do not, within a reasonable time, take action to the satisfaction of the State Government, the Government may, after considering any explanation which the University authorities may furnish, issue such directions as it may think fit, and the University authority shall be bound to comply with such directions.

(7) The State Government shall send to the Chancellor a copy of every report of the inspection or inquiry caused to be made under section 8(1) and of communication received from the Vice Chancellor under section 8(5) and of every direction issued under section 8(6) and also of every report or information received in respect of compliance or non-compliance with such direction.

(8) Without prejudice to the foregoing provisions of this section, the Chancellor may, in consultation with the Technical Education Department, order in writing annul any proceedings of the University which is not in conformity with this Act, the Statute, and the Ordinances:

Provided that before making any such order, the Chancellor shall call upon the University to show cause why such an order should not be made and shall consider the cause shown, if any, within the time limit specified by him.

(9) The University shall have right to take over all such matters inviting inspection/inquiry committed before commencement of this Act as existing, pending

before Board of Governors and its sub committees like Administrative Committee *etc.* of HBTI, Kanpur, as BOG and its various sub committees shall automatically get dissolved with the formation of the university through this Act. All such matters pending before BOG and its various sub committees shall be automatically taken up by Executive Council of University.

Control of the
Government

9. (1) The State Government may issue such directions from time to time to the University on policy matters, not inconsistent with the provisions of this Act, as it may deem necessary. Such directions shall be complied by the University.

(2) Without prior approval of the State Government, the university shall not:—

- (a) divert any earmarked funds received for a purpose other than that for which it was received;
- (b) transfer, sale, lease or otherwise, any immovable property;
- (c) take any decision which results in financial liability for the University or the State Government, direct or indirect.

(3) The State Government may carry out test audit or full audit of the accounts of a university, as the State Government may deem fit.

CHAPTER-IV

THE OFFICERS OF THE UNIVERSITY

Officers of the
University:

10. The following shall be the officers of the University:—

1. The Chancellor
2. The Vice-Chancellor
3. The Pro Vice-Chancellor
4. The Registrar
5. The Finance Controller
6. The Dean of Academic Affairs
7. The Dean of Continuing Education and Internal Quality Assurance
8. Dean of Incubation Hub
9. The Dean of Planning and Resource Generation
10. The Dean of Research & Development
11. The Dean of Student Welfare
12. The Deans of University Schools
13. The Head of University Department, School, Centre and Unit
14. The Controller of Examinations
15. Such other officers of the University as may be declared by Statutes

The Chancellor

11. (1) The Governor of Uttar Pradesh shall be the Chancellor of the University. He shall, by virtue of his office, be the Head of the University and when present, may preside over any convocation of the University.

(2) Every proposal for the conferment of an honorary degree shall be subject to the prior approval of the Chancellor.

(3) The Chancellor may call for any information or record relating to the administration of the affairs of the University which shall be complied with by the University.

(4) The Chancellor may cancel or modify any resolution, order or proceeding of any authority, body, committee or officer of the University, which, in his opinion, is not in conformity with the provision of this Act, Statutes,

Ordinances or regulations made thereunder or is not in the interest of the university and the university authority, body, committee and officer, shall comply with the same.

(5) The Chancellor shall have such other powers as may be conferred upon him by the Statutes.

12. (1) The Vice-Chancellor shall be a scholar of eminence in one of the areas of engineering, technology and applied sciences, having at least 10 years experience as a Professor in graduate technical degree level institute of higher learning or University.

The Vice-Chancellor

(2) The Vice-Chancellor shall be a ~~whole~~ time salaried officer of the University and shall be appointed by the Chancellor, on the recommendations of a Committee as provided in sub-section (3):

Provided that the first Vice-Chancellor, on the commencement of this Act, shall be appointed by the State Government.

(3) The Committee for appointment of Vice-Chancellor shall consist of the following members :-

(a) Principal Secretary or Secretary, as the case may be, to the State Government in the Technical Education Department who shall also be the convener of the Committee;

(b) One person nominated by the All India Council for Technical Education;

(c) One person nominated by the Chancellor.

(4) The Committee may meet at least sixty days before the date on which a vacancy in the office of the Vice-Chancellor is due to occur by reason of expiry of term or otherwise and also whenever so required, and before such date as may be specified by the Chancellor, submit to the Chancellor, the names of not less than three and not more than five persons suitable to hold the office of the Vice-Chancellor. The Committee shall, while submitting the names, also forward to the Chancellor a concise statement showing the academic qualifications and other distinctions of each of the persons so recommended, but shall not indicate any order of preference.

(5) Where the Chancellor does not consider any one or more of the persons recommended by the Committee to be suitable for appointment as Vice-Chancellor or if one or more of the persons recommended are not available for appointment and the choice of the Chancellor is restricted to less than three persons, he may require the Committee to submit a list of fresh names in accordance with the provisions of sub section (3). This time, it shall be binding for Chancellor to complete the selection of Vice-Chancellor for the University according to the procedure under sub-section (4).

(6) (a) Only such person shall be eligible for appointment as they have not attained the age of 65 years;

(b) The Vice-Chancellor shall hold office for a term of three years from the date he enters upon his office or till he attains the age of sixty-eight years whichever is earlier;

(c) The Vice Chancellor who has not attained the age of 65 years may be appointed as such for second term:

Provided that no person shall be eligible to hold the office of Vice-Chancellor for more than two consecutive terms:

Provided further that the Vice-Chancellor may by writing under his hand addressed to the Chancellor resign from his office, and shall cease to hold his office on the acceptance of such resignation by the Chancellor.

(7) Subject of the provisions of this Act, the emoluments and other conditions of service of the Vice-Chancellor shall be such as may be determined by the State Government by general or special order in that behalf and shall not be varied to his disadvantage after his appointment.

(8) The Vice-Chancellor may be removed from his office if the Chancellor is satisfied that the incumbent—

- (a) has become insane and stands so declared by a competent court;
- (b) has been convicted by a court for any offence involving moral turpitude;
- (c) has become an un-discharged insolvent and stands so declared by a competent court;
- (d) has been physically unfit and incapable of discharging functions due to protracted illness or physical disability;
- (e) has willfully omitted or refused to carry out the provisions of this Act or abused the powers vested in him;
- (f) is a member of, or be otherwise associated with, any political party or any political organization which takes part in politics, or is taking part in, or subscribing in aid of, any political movement or activity; or

(9) The Chancellor may, after making such enquiry as he deems proper, by order, remove the Vice-Chancellor if he is satisfied that the continuance of the Vice-Chancellor in office is detrimental to the interest of the University:

Provided that the Vice-Chancellor shall be given the opportunity of being heard before issuance of the order of his removal.

(10) The Vice-Chancellor shall not be entitled to the benefit of any pension, insurance or provident fund constituted by the University for its employees:

Provided that when any teacher or other employees of any University is appointed as Vice-Chancellor, he shall be allowed to continue to contribute to the provident fund to which he is subscriber and the contribution of the University shall be limited to that he had been contributing immediately before his appointment as Vice-Chancellor.

Powers and duties
of the
Vice-Chancellor

13. (1) The Vice-Chancellor shall be the Principal Executive and Academic Officer of the University, and shall—

- (a) exercise general supervision and control over the affairs of the University;
- (b) give effect to the decisions of the authorities of the University;
- (c) in the absence of the Chancellor, preside at the convocation of the University;
- (d) be responsible for the maintenance of discipline in the University.

(2) He shall be an *ex-officio* member and Chairperson of the Executive Council, Academic Council and the Finance Committee.

(3) It shall be the duty of the Vice-Chancellor to ensure the faithful observance of the provisions of this Act, Statutes, and Ordinances and he shall without prejudice to the powers of the Chancellor possess all such powers as may be necessary in that behalf.

(4) The Vice-Chancellor shall have the power to convene or cause to be convened meetings of the Executive Council, Academic Council and Finance Committee *etc.*

(5) Where any matter, other than the appointment of academic or non-academic staff of the University, is of urgent nature requiring immediate action and the same could not be immediately dealt with by any officer or the authority or other body of the University empowered by or under this Act to deal with it, the Vice-Chancellor may take such action as he may deem fit and shall forthwith report the action taken by him to the Chancellor and also communicate all such actions to the officer, authority or other body who or which in the ordinary course would have dealt with the matter :

Provided that if the officer, authority or other body having jurisdiction is of opinion that such action ought not to have been taken, it may refer the matter to the Chancellor who may either confirm the action taken by the Vice-Chancellor or annul the same or modify it in such manner, as he thinks fit and thereupon, it shall cease to have, effect to or as the case may be, take effect in the modified form so, however, that such annulment or modification shall be without prejudice to the validity of anything previously done by or under the orders of the Vice-Chancellor:

Provided further that any person in the service of the University who is aggrieved by the action taken by the Vice-Chancellor under this sub-section, shall have the right to appeal against such action to the Executive Council within three months from the date on which decision on such action is communicated to him/her and thereupon, the Executive Council may confirm or annul or modify the Vice-Chancellor's order.

Nothing in this sub-section, shall be deemed to empower the Vice-Chancellor to incur any expenditure not duly authorized and provided for in the budget.

(6) The Vice-Chancellor shall exercise such other powers as may be prescribed or laid down in the Ordinances.

(7) The Vice-Chancellor shall have the right to cause an inspection to be made by such person or persons or body of persons as he may direct, of the University, its buildings, laboratories, libraries, museums, workshops and equipment *etc.* and hall or hostel maintained or recognized by the University and of the examinations, teachings and other works conducted by or on behalf of the University and to cause an inquiry to be made in a like manner regarding any matter connected with the administration or finance or of any others department of the University;

14. (1) The Vice-Chancellor, if he considers necessary, may appoint a Pro-Vice-Chancellor from amongst the Professors of the University with the prior approval of the Executive Council.

The Pro-Vice-Chancellor

(2) The Pro-Vice-Chancellor shall be a person who has held the post of Professor.

(3) The Pro-Vice-Chancellor, of the University shall discharge his duties in addition to his duties as Professor.

(4) The Pro-Vice-Chancellor shall hold office at the pleasure of Vice-Chancellor.

(5) The Pro-Vice-Chancellor shall assist the Vice-Chancellor in respect of such matters, as may be specified by the Vice-Chancellor on his behalf from time to time and shall preside over meetings of the University in the absence of Vice-Chancellor and shall exercise such powers and perform such duties as may be assigned to him by the Vice-Chancellor.

(6) The Pro-Vice-Chancellor shall be paid honorarium, as may be determined by the university.

(7) The term of Pro-Vice-Chancellor shall be co-terminus with the term of office of the Vice-Chancellor or till he attains the age of 60 years whichever is earlier.

15. (1) The Registrar shall be a whole time Officer of the University and shall be appointed by the State Government for the term of three years, not below the rank of Special Secretary or equivalent on such terms and condition as may be prescribed.

The Registrar

(2) The Registrar shall have the power to authenticate records on behalf of the University.

(3) The Registrar shall be responsible for the due custody of the records, the common seal of the University.

(4) The Registrar shall be *ex-officio* Secretary of the Executive Council.

(5) He shall also perform such other duties as may be prescribed by the Statutes and Ordinances or required, from time to time, by the Executive Council or the Vice-Chancellor but he shall not be entitled to vote.

(6) The Registrar shall not be offered nor he shall accept any remuneration for any work of the University, such as may be prescribed.

The Finance
Controller

16. (1) There shall be a Finance Controller for the University, who shall be on deputation from the State Government and his remuneration and allowances shall be paid by the University.

(2) The Finance Controller shall be responsible for preparing the budget (annual estimates) and the statement of accounts for presentation to the Finance Committee and the Executive Council, and also for drawing and disbursing funds on behalf of the University.

(3) He shall have the right to speak to and otherwise to take part in the proceedings of the Executive Council, pertaining to finance.

(4) The Finance Controller shall have the duty to ensure that:-

(a) no expenditure or investment, which is not authorized in the budget approved by the Finance Committee, is incurred by the University;

(b) the proposed expenditure is in accordance with the provisions of this Act;

(c) no financial irregularity is committed;

(d) timely steps are taken to set right any irregularities pointed out during audit;

(e) the investments of the University are duly preserved and managed;

(5) The Finance Controller shall have access to and may require the production of such financial records and documents of the University as in his opinion may be necessary for the discharge of his duties.

(6) All financial contracts shall be entered into and signed by the Finance Controller on behalf of the University with prior approval of executive council.

(7) Other powers and functions of the Finance Controller shall be such as may be prescribed.

(8) The Finance Controller shall be the Member-Secretary of the Finance Committee.

(9) He shall abide by the instructions of the State Government in conformity with all financial manuals and financial guidelines issued from time to time.

The Dean of
Academic Affairs

17. (1) The Dean of Academic Affairs shall be nominated by the Vice-Chancellor, from amongst the Professors of the University. The emoluments, terms and conditions of service and powers and duties shall be such as may be laid down in the Ordinances.

(2) The Dean shall hold office for a term of two years and shall not be eligible for re-appointment for consecutive term.

(3) He shall be responsible for all academic matters, except examinations of University.

(4) He shall also be responsible for proper administrative functioning of University Computer Center.

(5) He shall be Member Secretary of Academic Council.

The Dean of
Continuing
Education and
Internal Quality
Assurance

18. (1) The Dean of Continuing Education and Internal Quality Assurance shall be nominated by the Vice-Chancellor, from amongst the Professors of the University. The emoluments, terms and conditions of service and powers and duties shall be such as may be laid down in the Ordinances. He shall work directly under the control of the Vice-Chancellor.

(2) He shall hold office for a term of two years and may be eligible for re-appointment for one consecutive term.

(3) He shall be responsible for Internal Quality Assurance and Continuing Education.

(4) He shall be responsible for overall administration of University Hospital through its Chief Medical Officer.

(5) He shall get comments from reputed industries of concerned fields for review or change in syllabi of the courses of study to Academic Council in various departments.

(6) He shall visit faculty chambers, classes and laboratories, and other entities and write to University Building & Works Committee and others, with information to Vice-Chancellor, for removal of observed deficiencies.

19. (1) The Dean of Incubation Hub shall be nominated by the Vice-Chancellor, from amongst the Professors of the University. The emoluments, terms and conditions of service and powers and duties shall be such as may be laid down in the Ordinances. He shall work directly under the control of the Vice-Chancellor.

The Dean of
Incubation Hub

(2) He shall hold office for a term of two years and may be eligible for re-appointment for one consecutive term.

(3) He shall be responsible for:-

- (a) Industry-University Interaction;
- (b) management of Incubation Hub.

(4) He shall be also responsible for general administration of Incubation Hub set up for budding entrepreneurs, students, teachers, and engineers, and competent technical persons from society, selected with the approval of Executive Council. The University shall also provide support to them to generate equitable venture capital to establish a new industry based on products and processes developed in-house.

(5) He shall recommend to the Executive Council, attachments of the teachers to the relevant industry from engineering/ technology/management disciplines once in three years, for a maximum period of 30 days during summer vacations, clubbed with Summer Training of students of concerned branch.

20. (1) The Dean of Planning and Resource Generation shall be nominated by the Vice-Chancellor, from amongst the Professors of the University. The emoluments, terms and conditions of service and powers and duties shall be such as may be laid down in the Ordinances. He shall work directly under the control of the Vice-Chancellor.

The Dean of
Planning and
Resource
Generation

(2) He shall hold office for a term of two years and shall not be eligible for re-appointment for consecutive term.

(3) He shall also be responsible for promoting consultancy and making testing facility available to industry in various departments of University.

(4) He shall also be responsible for Placement Cell of the University for placement of University students.

(5) He shall be responsible for interaction with Alumni of the University as Coordinator of Alumni Cell and shall motivate them for contributing to resource generation for the University.

(6) He shall also be responsible for filing Patents and intellectual property rights (IPR) on behalf of University, generated by students, teachers, alumni and incubators of the University.

(7) A formal committee consisting of all the Head of Departments, the Dean of Planning and Resource Generation shall be responsible for:-

(a) resource generation in order to increase the revenue for the University;

(b) for preparation of planning and other strategies for new policies and mechanisms for welfare of the University and its students.

21. (1) The Dean of Research and Development shall be nominated by the Vice-Chancellor, from amongst the Professors of the University. The emoluments, terms and conditions of service and powers and duties shall be such as may be laid down in the Ordinances. He shall work directly under the control of the Vice-Chancellor.

The Dean of
Research &
Development

(2) He shall hold office for a term of two years and may be eligible for re-appointment for one consecutive term.

(3) He shall be the Member Secretary of the University Research & Development Council.

(4) He shall be responsible for promoting research activities as well as patenting process of the products, algorithms, and mechanisms etc. for the University.

The Dean of
Students Welfare

22. (1) The Dean of Students Welfare shall be nominated by the Vice-Chancellor, from amongst the Professor of the University. The emoluments, terms and conditions of service and powers and duties shall be such as may be laid down in the Ordinances. He shall work directly under the control of the Vice-Chancellor.

(2) He shall hold office for a term of two years and shall not be eligible for re-appointment for consecutive term.

(3) He shall be responsible for:-

(a) proper functioning of all the hostels or halls of residences related with students including mess facility, sanitation, maintenance of electrical, mechanical and civil problems etc. from the funds provided by the University;

(b) maintaining discipline amongst the students of University.

(4) He shall be the Chairperson of the University Students Activity Council and shall be over-all responsible for conducting Technical and Cultural Festival for the University.

(5) He shall also control various activities of students as mentioned below:-

(a) N.S.S. Sub-Council

(b) Photography Sub-Council

(c) Literary Sub-Council

(d) Hobby Sub-Council

(e) Sports Sub-Council

(f) Yoga Sub-Council

(g) N.C.C. Sub-Council

(h) Cultural Sub-Council etc.

The Dean of
University Schools

23. (1) There shall be four Deans of University Schools with four different schools in the University, namely School of Engineering, School of Chemical Technology, School of Basic & Applied Sciences, and School of Humanities and Social Sciences, each for one school.

(2) The Dean of a School shall be nominated by the Vice-Chancellor, from amongst the Professors from the Departments under the schools referred to in sub section (1). The emoluments, terms and conditions of service and powers and duties shall be such as may be laid down in the Ordinances. He shall work directly under the control of the Vice-Chancellor.

(3) He shall hold office for a term of two years and shall not be eligible for re-appointment for consecutive term.

(4) He shall be responsible for proper functioning of various departments under that school through Head of Department concerned.

(5) He shall be responsible for getting new courses introduced, for getting the curricula reviewed regularly after incorporating industry inputs, for overseeing consultancy, research and innovation work in the departments, apart from suggesting new mechanisms for industry-academia interaction.

(6) The Dean of School of Engineering shall be responsible for the general administration and functioning of the University, Engineering departments including Departments of Electronics Engineering, Electrical Engineering, Mechanical

Engineering, Civil Engineering, Computer Science & Engineering, Department of Computer Applications, Information Technology and Central Workshop or any other department as the University may think fit.

(7) The Dean of School of Chemical Technology shall be responsible for the general administration and functioning of the University Technology departments including Plastic Technology, Paint Technology, Oil Technology, Bio-Chemical Engineering, Food Technology, Leather Technology, and Chemical Engineering or any other department as the University may think fit.

(8) The Dean of School of Basic & Applied Sciences shall be responsible for the general administration and functioning of the University Basic & Applied Sciences departments including Physics, Chemistry, Mathematics or any other department as the University may think fit.

(9) The Dean of School of Humanities and Social Sciences shall be responsible for the general administration and functioning of the University Humanities and Social Sciences departments and subjects including English, Economics, Management, and Languages etc. or any other department as the University may think fit.

24. (1) Each Department/Centre/Unit of the University shall be placed in charge of a Head who shall be nominated by the Vice-Chancellor from among the Professors and in absence of Professors from amongst the Associate Professors, as applicable of such university department/centre/unit.

Head of
University
Departments/
Centre/ Unit

(2) The Head of a Department/Centre/Unit shall be responsible for the proper functioning of the Department/Centre/Unit subject to the general control of the Vice-Chancellor through Dean of School concerned.

(3) It shall be the duty of the Head of a Department/Centre/Unit to ensure that the decisions of the authorities of the University and of Vice-Chancellor are faithfully carried out.

(4) Head of University Department/Centre/Unit shall be Chairperson of Board of Studies for that department, as applicable.

(5) The Head of a Department/Centre/Unit shall recommend to Controller of Examinations, names of persons suitable for appointment of paper setters, examiners for evaluation of theses and dissertations and for conducting viva-voce examinations, wherever prescribed for awarding graduate, post graduate, doctorate, other higher degrees etc.

(6) The Head of a Department/Centre/Unit shall suggest organization of orientation and refresher courses as well as courses for Continuing Education Programme.

25. (1) (a) Controller of Examinations shall be appointed by the State Government either on deputation as per UGC norms or from the teachers of University, not below the rank of the Professor;

Controller of
Examinations

(b) The Controller of Examinations shall be the principal officer-in-charge of the conduct of examinations of the university and declaration of their results. He shall discharge his functions under the superintendence, direction and guidance of the Academic Council. He shall work directly under the directions and control of the Vice-Chancellor. He shall hold office for a term of three years.

(2) The Controller of Examinations shall be the Chairperson of the Board of Examinations and of the sub-committees appointed by the Board of Examinations.

(3) Without prejudice to the generality, the Controller of Examinations shall be responsible for making all arrangements necessary for holding examinations and declaration of results. It shall be his responsibility to—

- (a) prepare and announce in advance the calendar of examinations;
- (b) arrange for printing of question papers;
- (c) arrange to get performance of the candidates at the examinations properly assessed, and process the results;
- (d) arrange for the timely publication of results of examinations and other tests;
- (e) postpone or cancel examinations, in part or in whole, in the event of malpractices or if the circumstances so warrant, and with the approval of Vice-Chancellor shall take disciplinary action or initiate any civil or criminal proceedings against any person or a group of persons or an institution alleged to have committed malpractices. FIR(s) shall be made by Registrar after seeking the approval of the Vice-Chancellor in extreme cases of malpractices during examinations by the students as reported by Controller of Examinations;
- (f) take disciplinary action wherever necessary against the candidates, paper-setters, examiners, moderators, or any other persons connected with examinations and found guilty of malpractices in relation to the examinations;
- (g) review from time to time, the results of university examinations and forward reports thereon to the Executive Council through Academic Council.

(4) The Controller of Examinations shall exercise such other powers and perform such other duties as may be prescribed or assigned to him, from time to time, by the Executive Council and the Vice Chancellor.

Other Officers &
Authorities of the
University

26. The powers, duties and functions of officers of the University other than the Chancellor, the Vice-Chancellor, the Finance Controller and the Registrar shall be such as may prescribed and laid down in the Ordinances.

All salaried officers, authorities, committees or bodies, teachers of the university and other staff/employees of the university, shall be deemed to be public servants within the meaning of the Indian Penal Code.

CHAPTER-V

AUTHORITIES OF THE UNIVERSITY

Authorities of the
University

27. The following shall be the authorities of the University:-

- (1) the Executive Council
- (2) the Academic Council
- (3) the Finance Committee
- (4) the Research & Development Council
- (5) the Incubation Council
- (6) the Schools/ Departments/ Centers/ Units
- (7) the Admission Committee
- (8) the Board of Studies
- (9) the Board of Examinations
- (10) the Academic Committee
- (11) the Center for Continuing Education Programme
- (12) such other authorities as may be declared by the Statutes to be authorities of the University.

The Executive
Council

28. (1) The Executive Council shall consist of-

- (a) the Vice-Chancellor, *Chairperson*
- (b) the Pro-Vice-Chancellor, if any; *Member*

(c) the Director, Indian Institute of Technology, Kanpur or his nominee not below the rank of Professor; *Member*

(d) the Director, Indian Institute of Information Technology, Allahabad or his nominee not below the rank of Professor; *Member*

(e) the Chairman, All India Council for Technical Education or his nominee; *Member*

(f) Vice-Chancellor or Nominee of the Vice Chancellor, Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, not below the rank of Professor; *Member*

(g) two reputed industrialists nominated by the State Government; *Member*

(h) two reputed technologists nominated by the State Government; *Member*

(i) Principal Secretary/Secretary to the State Government in the Technical Education Department; *Member*

(j) Nominee of Principal Secretary to the State Government in the Finance Department; *Member*

(k) Nominee of Principal Secretary to the State Government in the Higher Education Department; *Member*

(l) Registrar as the *ex-officio* Secretary of the Executive Council; *Member*

(2) Notwithstanding anything contained in section 28(1), no person shall be elected or nominated as a member of the Executive Council unless he is a Graduate.

(3) The term of office of members other than *ex-officio* members shall be two years.

(4) The Executive Council shall meet at least four times in a year.

(5) Six members of the Executive Council shall form the quorum at any meeting.

(6) The Finance Controller and the Controller of Examinations, if necessary in relation to the matters of their concern included in agenda of a meeting, may be special invitees of the Council in the matter of their concerned field, without voting rights.

(7) A person shall be disqualified for being chosen as member of the Executive Council, if he or his relative(s) indulge in illegal gratification for any work in or for the University or any contract for the supply of goods or for the execution of any work for the University.

EXPLANATION:—In this section “relative” means the relations defined in section 6 of the Companies Act, 1956, and includes the wife's (or husband's) brother, wife's (or husband's) father, wife's or husband's sister, brother's son and brother's daughter.

29. (1) The Executive Council shall be the principal executive body of the University, and subject to the provisions of this Act, shall have the following powers and functions namely to:—

(a) to periodically review the functioning of various academic departments, schools and research centers to ensure that they are functioning as per the aims and objects of the University and to give directions, as deemed necessary, for improvements;

(b) to take all necessary steps to ensure that the quality of academic instructions and research in the University meets the prescribed standards and the graduates of the University are able to obtain gainful employment or opportunities for higher education and to periodically review the progress in this regard;

Powers and
Functions of
Executive Council

(c) to discuss and approve:—

- (i) the annual accounts; and
- (ii) the annual report of the University.

(d) to manage and regulate the finances, accounts, investments, properties, business and all other administrative affairs of the University and for that purpose, constitute committees and delegate the powers to such committees or such officers of the University as it may deem fit;

(e) to invest any money belonging to the University, including any unapplied income, in or in the purchase of immovable properties in India, with the prior approval of the Chancellor;

(f) to enter into, vary, carryout and cancel contracts on behalf of the University and, for the purpose to appoint such officers as it may think fit;

(g) to provide the buildings, premises, furniture and apparatus and other means needed for carrying on the work of the University;

(h) to entertain, adjudicate upon, and if it thinks fit, to redress any grievances of the officers, the teachers, the students and employees of the University;

(i) to create, with the approval of the Government, and appoint persons to academic as well as other posts in the University;

(j) to appoint examiners and moderators, and if necessary to remove them and fix their fees, emoluments and travelling and other allowances after consulting the Academic Council;

(k) to select a common seal for the University;

(l) to exercise such other powers and to perform such other duties as may be considered necessary or imposed on it by or under the Act.

(2) No immovable property of the University shall, except with the prior sanction of the State Government, be transferred (except by way of letting from month to month in the ordinary course of management) by the Executive Council or any other authority/officer of the University, by way of mortgage, sale, exchange, gift or otherwise nor shall any money be borrowed or advance taken on the security thereof except with the previous sanction of the State Government.

(3) No expenditure in respect of which approval of the State Government is required, shall be incurred except with such approval previously obtained.

(4) The Executive Council shall not exceed the limits of recurring and non-recurring expenditure to be incurred in each financial year as fixed by the Finance Committee.

(5) The Executive council shall be responsible for application of reservation on post of teachers and staff of University as per norms of State Government and Central Government as provided by Constitution of India described by Hon'ble Courts.

(6) The Executive Council shall transact the following business at its annual meeting, namely:—

- (a) review current academic programmes and collaborative programmes;
- (b) suggest new academic programmes consistent with the industry requirements in higher education;
- (c) suggest institution of new degrees, diplomas, certificates, financial research awards, and other academic distinctions etc.;
- (d) confer on the recommendations of the Academic Council, honorary degrees or other academic distinctions;
- (e) review activities undertaken in the Incubation Hub.

(7) The Executive Council shall receive, discuss and approve the annual financial estimate (budget), the annual academic reports, annual accounts and audit reports of the University.

(8) The Executive Council shall review broad policies and programmes of the University and suggest measures for its improvement and development.

(9) All decisions of the Executive Council shall be taken on the basis of the opinion of the majority of the members who are present in the meeting. Each member shall have one vote and if there is equality of votes, the Chairman of Executive Council shall, in addition, have a casting vote.

(10) If urgent action by the Executive Council becomes necessary, the Vice-Chancellor may permit the business to be transacted by circulation of papers to the members of the executive Council. The action, so proposed, shall not be taken unless agreed to by a majority of members of Executive Council. The action so taken shall be forthwith intimated to all the members of the Executive Council:

Provided that no such business will be transacted as above if it has financial implications.

30. (1) The Academic Council shall consist of the following members, namely:-

The Academic Council

(a) The Vice-Chancellor who shall be the Chairperson;

(b) A nominee of Principal Secretary Technical Education, Govt. of Uttar Pradesh;

(c) All the Deans of University, the Dean of Academic Affairs shall be Member Secretary;

(d) A representative of Director IIT Kanpur, not below rank of Professor;

(e) A representatives of IIIT Allahabad and IIIT Lucknow (one each), not below rank of Professor;

(f) A representative of Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow.

(g) All Heads of Departments, Centers and Units of the University;

(h) Professor of the University Departments, Centers and Units, where the Head thereof is an Associate Professor;

(i) The Chief Librarian of the University; and

(j) Five persons of academic eminence not being the employees of the University to be nominated by Executive Council in such manner, as may be prescribed.

(2) The Academic Council shall meet at least twice in a year.

(3) The term of office of members other than ex-officio members shall be three years.

(4) The quorum shall be half of its total number of members.

(5) The Academic Council shall be the principal academic body of the University for providing academic feed back to the University on current and future academic programmes. Subject to the provisions of this Act, the Council:-

(a) shall have the control and general regulation of, and be responsible for the maintenance of the standard of instructions, and education carried on or imparted in the University;

(b) may advise the Executive Council on all academic matters including matters relating to co-ordination of the working of the Boards of Studies, and examinations conducted by the University;

(c) shall report suitable matters of academic irregularities to Executive Council for administrative action;

(d) shall consider matters referred to it by the Executive Council;

(e) shall have such powers and duties as may be prescribed.

(6) Without prejudice to the generality of the foregoing provisions, the powers and the functions of the Academic Council shall be:-

(a) to review the curricula regularly, getting input from industry, trade and commerce for making technical education employment-oriented;

(b) to recommend to the Executive Council regarding institution of degrees, dual-degree, diplomas, certificates and other academic distinctions;

(c) to recommend to the Executive Council to make, amend or repeal Ordinances on issues related to academic matters;

(d) to make proposals for the establishment of new University schools, departments, centers, units of higher learning, research and specialized studies, academic services, libraries, laboratories and museums etc.;

(e) to consider and make recommendations regarding new proposals for creation of Professorships, Associate Professorships, Assistant Professorships, and non-vocational academic staff required by the University;

(f) to recommend to the State Government or otherwise of the qualifications as prescribed by the University Grants Commission or All India Council of Technical Education for different categories of teachers and non-vocational academic staff, and for a particular post in these categories, whether in the University, and prescribe additional qualifications, if any;

(g) to make proposal to the Executive Council for the institution of fellowships, travelling fellowships, scholarships, studentships, medals and prizes, research awards, industry attachments of faculty members consultancy to the industry etc. and make their regulations;

(h) to prescribe qualifications and norms for appointment of papers setter, examiners, moderators and others, concerned with the conduct of examinations;

(i) to approve the list of all recipients of Post-Doctoral degrees (DSc, DLit), doctoral degrees, Under Graduate and Post Graduate degrees, Post Graduate diplomas, diplomas, certificates and other academic distinctions;

(j) to propose name(s) for conferment of honorary degree to the Chancellor for approval through the Executive Council;

(k) to decide date for convocation and hold the convocation;

(l) to promote consultancy to industries.

31. (1) The Finance Committee shall consist of:-

(a) the Vice-Chancellor; Chairperson

(b) Nominee of Principal Secretary, Finance Department, U.P., not below the rank of a Special Secretary; Member

(c) Nominee of Principal Secretary, Technical Education Department, U.P., not below the rank of Special Secretary; Member

(d) the Finance Controller Member Secretary;

(e) the Registrar; Member;

(2) The Finance Committee shall meet at least four times in a year.

(3) The term of office of members other than *ex-officio* members shall be three years.

(4) Three members shall form the quorum at any meeting.

(5) The Finance Committee shall advise the Executive Council on matters relating to the administration of property and funds of the University. It shall, having regard to the income and resources of the University, fix limits for the total recurring and non-recurring expenditure for the ensuing financial year and may, for any special reasons, revise during the financial year the limits of expenditure so fixed and the limits so fixed shall normally be adhered to by the Executive Council.

(6) The powers and functions of the Finance Committee shall be:—

(a) to examine and scrutinize the annual budget of the University, and make suitable recommendations to the Executive Council;

(b) to give its views and make its recommendations to the Executive Council either on the initiative of The Executive Committee or on its own initiative on any financial issues affecting the University;

(c) to explore the possibilities of, and resort to, augmenting the resources for the development of the University;

(d) to take necessary steps to have the University accounts audited by auditors appointed by the Executive Council;

(e) to advise the Executive Council on matters related to the administration of the property and the funds of the University;

(f) to ensure proper implementation of the State Government's orders issued from time to time, in respect of financial matters;

(g) to advise on financial matters referred to it by the Executive Council, Academic Council or any other authority, body or committee or any officer of the University;

(h) to report to the Vice-Chancellor any lapse or irregularity in financial matters which comes to its notice who may take suitable prompt action after assessing the seriousness of the matter or refer it to the Executive Council;

(i) to exercise such other powers and function as may be prescribed.

32. (1) The Research and Development Council shall be responsible for research and related activities of the University.

(2) It shall consist of the following members:—

(a) the Vice-Chancellor who shall be the Chairperson

(b) one Dean, nominated by the Academic Council;

(c) one teacher, imparting post-graduate instructions or guiding research, but who is not a Dean, Head of the University institutions or departments or centers or units nominated and approved by the Vice-Chancellor;

(d) two experts not below the rank of professors, co-opted by the Committee, from amongst the Heads of National and State level research institutions and approved by the Executive Council;

(e) five persons to represent industry, commerce or professional bodies to be nominated and approved by the Executive Council;

(f) the Dean of Research & Development who shall be the Member Secretary;

(3) The quorum shall be half of the total number of members.

(4) The committee shall meet at least two times a year.

The Research
and
Development
Council

(5) The Committee shall actively establish collaboration with national and international institutions, industry, business and commercial organizations etc. with the approval of Executive Council, provided that any foreign collaboration will require prior approval of the State Government.

(6) The Committee shall—

(a) suggest measures to create links and develop specific schemes of inter-university and University interaction with industry, agriculture, banks, commerce and community etc.;

(b) prepare University perspective development plans, both short-term and long-term, keeping in view the objectives of the University provided in this Act, and with due regard to the State and National Educational, requirement;

(c) recommend to the Executive Council the research and development and collaborative programmes for the University;

(d) monitor and report the progress of all such approved research and development and collaborative programmes to the Chancellor once a year;

(e) evaluate and assess the use of research and development grants by University, and submit the report to the Executive Council;

(f) assess the manpower requirements of trained persons in innovative and contemporary research areas in different fields, such as, commerce, industry, social service, science, engineering and technology etc., and make necessary recommendations to the Academic Council for introducing and strengthening relevant courses of study;

(g) shall approve Research Degree Committee (RDC) for Ph.D.'s as recommended by various academic departments/center/units of University;

(h) organize research and development audit and prepare report thereof for University and also to maintain research and development data of University on session basis according to the provisions of the Statutes, and make necessary recommendations to the Academic Council/Executive Council, as applicable, for implementation;

(i) scrutinize the applications received for establishment and development of research project to be submitted to various national and international agencies, as per rules, and process the same for forwarding to the State Government or suitable authority as provided by the Statutes;

(j) recommend to Executive Council financial research awards, citations for good research for promoting the research culture in University;

(k) scrutinize the applications received for Patents and IPRs received from teachers and students of University.

The Incubation
Council

33. (1) The Incubation Council shall be responsible for promoting the budding entrepreneurs amongst students, teachers of University and other skilled persons of the society.

(2) It shall consist of the following members:—

(a) the Vice-Chancellor, who shall be the Chairperson;

(b) one Dean, nominated by the Executive Council;

(c) one Head of the University Departments/Centers/Units, not below the rank of Professor and who is not a Dean nominated for a period of two years by the Academic Council;

(d) two experts not below the rank of Professor, co-opted by the Committee, from amongst the Heads of National and State level research institutions and approved by the Executive Council;

(e) five persons to represent industry, banks, commerce or professional bodies to be nominated and approved by the Executive Council;

(f) the Dean of Incubation Hub who shall be the Member Secretary.

(3) The quorum shall be half of the total number of members.

(4) The Council shall meet at least four times a year.

(5) The Council shall be responsible for management of Incubation Hub along with preparation of planning strategies and mechanisms for advancement of Incubation Hub.

(6) It shall also be responsible, through Dean, for general administration of Incubation Hub set up for budding entrepreneurs amongst students, teachers and engineers and competent technical persons from society subject to approval of Executive Council. The University shall also provide support through Incubation Hub to mobilize venture capital to establish a new industry based on products and processes developed in Incubation Hub.

(7) It shall recommend, through Dean, the comments or contents based on requirement from reputed industries of National Status in concerned fields for review or change in syllabi of the courses of study to Academic Council in various departments.

34. (1) The University shall have such Schools/Departments/ Centers/Units as may be prescribed.

Schools/
Departments/
Centers/Units

(2) Each Schools/Departments/ Centers/Units shall have such subjects of study as may be assigned to it by the Ordinances.

(3) (a) In each School/Department/Center/Unit of teaching in the University, there shall be a Dean/Head/Officer In-charge, as applicable and other's condition. The appointment of such Dean (Head), officer In-charge shall be such as may be prescribed.

(b) The post of the Head of Departments/ Centers/Units shall rotate among the Professors. In case of only one Professor in a Department/Center/Unit, the rotation of Headship shall be among Professors and senior most Associate Professor according to seniority:

Provided that in the case of Departments—

(i) where there is no Professor, the headship shall rotate among the Associate Professors of three years standing, in such manner as may be prescribed;

(ii) where there is no Professor and Associate Professor, the headship shall be with Dean of School concerned. However, the senior-most Assistant Professor shall be In-charge of Department/Centre/Unit.

(4) The Head of Department/Centre/Unit shall be responsible to the Dean of Academic Affairs for the organization of teaching in the Department/Center/Unit and shall have all such other powers and duties as may be provided in the Ordinance, however for general administration, he shall report to Dean of concerned School.

(5) Board of Studies shall be constituted in accordance with the provisions of the Ordinances, in respect of different subjects of study and more than one subject may be assigned to one Board of Studies.

35. (1) There shall be an Admission Committee of the University, the constitution of which shall be such as may be laid down in the Ordinances.

Admission
Committee

(2) It shall be the responsibility of the Admissions Committee to select candidates for admissions to various courses in the University through suitable National Level Entrance Examination in such manner as may be prescribed.

(3) The Admissions Committee shall have the powers to appoint such number of sub-committees as it thinks fit.

(4) Subject to the superintendence of the Executive Council, the Admissions Committee shall lay down the principles or norms governing the policy of admissions to the various courses of studies in the University.

(5) No student admitted in contravention of the provisions of this section shall be permitted to take up any examination conducted by the University and the Vice-Chancellor shall have the power to cancel any admission made in such contravention.

Board of Studies

36. (1) There shall be a Board of Studies in the University. The constitution of which shall be such as may be prescribed.

The powers and functions of the Board of Studies shall be,—

(a) to recommend books, including text-books, supplementary reading, reference books and other material for courses of study;

(b) to recommend to the Academic Council for its approval, the preparation and publication of selection or anthologies or writing or work of authors and other matters as well as material consequent to curriculum development by the teachers of the University for its introduction in the syllabi of the courses of study under purview of the Board in accordance with the Regulations made by the Academic Council in that respect;

(c) to recommend names of suitable persons for inclusion in the panels for appointment of paper setters, examiners and moderators for examinations;

(d) to review the syllabi of the courses of study and include the comments or contents based on requirement from reputed industries in concerned fields.

(2) The quorum shall be half of the members of total number of members.

(3) The meeting of Board of Studies shall take place twice every year.

The Board of Examinations

37. (1) There shall be a Board of Examinations in the University. The constitution of which shall be such as may be prescribed.

(2) The Board of Examinations shall be the authority for conducting the examinations and making policy decisions with regard for organizing and holding such examinations, improving the system of examinations, appointing the paper setters, examiners, moderators and also prepare the schedule of dates of holding examinations and declaration of the results after taking approval of Vice-Chancellor. The Board of Examinations shall oversee and regulate the conduct of examinations in the University. The Board of Examinations shall submit the detailed programme of examinations to the Academic Council for preparation of the academic calendar.

(3) The Board of Examinations shall consist of the following members, namely:—

(a) Controller of Examination – Chairman;

(b) One Head from university department, not below the rank of Associate Professor, nominated by the Vice-Chancellor;

(c) One teacher other than Heads of university departments, nominated by the Executive Council either from University;

(d) Deputy Controller of Examinations – Member-Secretary;

(4) Subject to the superintendence of the Academic Council, the Board of Examinations shall supervise generally all internal examinations of the University, including moderation, scrutiny and tabulation, and perform the following other functions namely:—

(a) to remove the examiners and moderators with the approval of Vice-Chancellor;

(b) to review from time to time the results of University examinations and submit reports thereon to the Academic Council;

(c) to make recommendations to the Academic Council for the improvement of the examination system;

(d) to scrutinize the list of proposed and finalize the names of examiners; and

(e) to declare the results of the examinations of the University with the approval of Vice-Chancellor on the basis of recommendations submitted to Vice-Chancellor by the competent Committee (Comprising of all Deans) who may investigate complete result data and the result declaration process as per the Ordinances.

(5) The Board of Examinations may appoint such number of sub-committees as it thinks fit, and in particular, may delegate to any one or more persons or sub-committees the power to appoint examiners or moderators and to deal with and decide cases relating to the use of unfair means by the examinees.

(6) Notwithstanding anything contained in any others provisions of this Act, it shall be lawful for the Board of Examinations or, as the case may be, for a committee or any person to whom the Board of Examinations has delegated its power in this behalf to debar an examinee from future examinations of the University, if in its opinion, such examinee is guilty of using unfair means at any such examination.

(7) In case of any emergency requiring immediate action to be taken, the Chairman of the Board of Examinations or any other officer or person authorized by him in that behalf, shall take such action as he thinks fit and necessary, and shall report at the next meeting of the Board of Examinations the action taken by him/her. In order to appoint paper-setters, examiners and moderators, the Board of Examinations shall appoint them on recommendation of concerned Head of Department wherever necessary.

(8) The misconduct in terms of copying, arrogant nature and misbehavior with invigilators or any teacher or an examination staff may invite lodging First Information Report (F.I.R.) on the recommendation of the Controller of Examinations in concerned Police Station by Registrar and leading to zero marks in all the subjects of concerned semester.

38. (1) The University may, under such conditions as may be prescribed to establish a Centre for Continuing Education Programme for the purpose of providing certificate courses, to persons otherwise eligible for admission to such courses, who may be unable to be enrolled as whole time students by reasons of being engaged in business, trade, agriculture or industry or employed in any other form of service. It shall be under the Dean of Continuing Education and Internal Quality Assurance.

Center for Continuing Education Programme

(2) Each course shall be organized separately.

39. The constitution, powers and duties of other authorities of the University shall be such as may be prescribed.

Other Authorities

CHAPTER – VI

APPOINTMENT AND CONDITIONS FOR SERVICE OF TEACHERS, OFFICERS AND STAFF

40. The terms and conditions of employment of all employees of the University academic as well as non-academic, the manner of their appointment and the emoluments to be paid to the employees will be such as may be prescribed.

Appointment, Terms and Conditions of Employment and Emoluments of Academic staff and Non-Academic staff of the University

Conditions of
Service of
Employes

41. (1) The University shall enter into a written contract of service with every employee, other than existing employees, appointed, on regular basis or otherwise, and the terms and conditions of the contract shall not be inconsistent with the provisions of this Act, the Statutes and the Ordinances.

(2) A copy of the contract referred to in sub-section (1) shall be lodged with the University and a copy thereof shall also be furnished to the employee concerned.

CHAPTER-VII

ADMISSIONS AND EXAMINATIONS

Admissions of
Students

42. Admission of students to various courses running in University shall be made in accordance with the Statutes or ordinances as made by Executive Council on recommendations by Admission Committee through suitable reputed Entrance Examination conducted by National Level Examination Body engaged with Central Engineering Institution;

CHAPTER – VIII

STATUTES, ORDINANCES AND REGULATION

Statutes

43. Subject to the provisions of this Act, the Statutes may provide for any matter relating to the University and shall, in particular, provide for :—

(a) the constitution, power and duties of the authorities of the University;

(b) the selection, appointment and term of office of the members of the authorities of the University, including the continuance in office of the first members, and the filling in of vacancies in their membership, and all other matters relating to these authorities for which it may be necessary or desirable to provide;

(c) the powers and duties of the officers, teachers, staff/employees of the University;

(d) the classification and recruitment (including minimum qualifications and experience) of teachers of the University, the maintenance by them of their annual academic progress, report the rules of conduct to be observed by them, and their emoluments and other conditions of service (including, provisions relating to voluntarily/compulsory retirement etc.);

(e) the recruitment (including minimum qualification, experience) and their emoluments and other conditions of service (including provisions relating to voluntarily/compulsory retirement) of persons appointed to other posts under the University;

(f) the constitution of pension, provident fund, gratuity, General Insurance Scheme (GIS), medical allowance, insurances, Leave Travel Concession, two children fee reimbursements, family pension, soft loans etc., and other allowances/emoluments, establishment of insurance schemes for the benefit of officers, teachers, staff/employees of the University;

(g) the institution of degree, diplomas, post graduate diplomas and other academic distinctions;

(h) the conferment of honorary degrees;

(i) the withdrawal of degrees and diplomas and other academic distinctions;

(j) the establishment, amalgamation, abolition and recognition of entities;

(k) the leave and other rules, if not stated here, of University shall be same as rules of U.P. Government;

(l) the establishment, abolition and recognition of halls and hostels maintained by the University;

(m) the institution of scholarships, fellowships, studentships, bursaries, medals, enough financial prizes for research along with certificates, awards etc.;

(n) the holding of convocation;

(o) all other matters which by this Act are to be or may be provided for by the Statutes.

44. (1) The First Statutes of the University shall be made by the State Government by notification in the Gazette and, for so long as the First Statutes are not so made, the rules as in force immediately before the commencement of this Act, is so far as they are not inconsistent with provisions of this Act, shall, subject to such adaptations and modifications whether by way of repeal, amendment or addition as may be necessary or expedient, as the State Government may, by notification in the Gazette, provide, continue in force, and any such adaptation or modification shall not be called in question.

Statutes how made

(2) The Executive Council may from time to time make new or additional Statutes or may amend or repeal the Statutes.

(3) The Executive Council shall not propose the draft of any Statute affecting the status, power or constitution of any authority of the University until such authority has been consulted.

(4) Every new Statute or addition to a Statute to or any amendment or repeal of Statute shall be submitted to the Chancellor for approval.

(5) A Statute passed by the Executive Council shall have effect from the date it is approved by the Chancellor.

45. (1) Subject to the provisions of this Act and the Statutes, the Ordinances may provide for any matter which by this Act or the Statutes is required to be or may be so provided for by the Ordinances.

Ordinances

(2) Without prejudice to the generality of the provisions of sub-section(1), the Ordinances shall provide for the following matters namely:-

(a) the admission of students to the University and their enrolment and continuance as such;

(b) the courses of study to be laid down for all degrees, diplomas and other academic distinctions of University;

(c) the conditions under which students shall be admitted to the examinations, degrees, dual-degrees, certificates and diplomas of the University and shall be eligible for the award of such degrees, dual-degrees, certificates and diplomas;

(d) the conditions of the award of scholarships, fellowships, studentships, bursaries, medals, prizes, awards, etc.;

(e) the conditions of residence of students at the University, and the management of halls/ hostels maintenance by the University;

(f) the maintenance of discipline among the students of the University;

(g) the formation of parent-teacher association for any purpose;

(h) the fees which may be charged by the University for any purpose;

(i) the conditions subject to which person may be recognized as qualified to give instructions in halls/ hostels;

(j) the conditions and mode of appointment and the duties of examining bodies, examiners, moderators, invigilators and tabulators;

(k) the conduct of examinations;

(l) the remuneration and allowances including travelling and daily allowances to be paid to persons employed on the business of the University;

(m) matters relating to the general welfare of the employees;

(n) all other matters which by this Act or the Statutes are required to be or may be provided for by the Ordinances.

Ordinances how
made

46. (1) The First Ordinances of the University shall be made by the Executive Council, and so long as the First Ordinances are not made, the Rules, Memorandum, Leave Regulations Conduct Rules and Bye Laws of Harcourt Butler Technological Institute (Kanpur) Society shall be in force before the commencement of this Act. The students rules shall be same as those mentioned in Information Brochure of the preceding Academic Session just before the commencement the Act in the absence of First Ordinances.

(2) The Executive Council may make from time to time new or additional Ordinances or may amend or repeal the existing Ordinances:

Provided that no ordinance shall be made:—

(a) affecting the admission of students, or prescribing examinations to be recognized as equivalent to the University examinations or admission to the degree courses of the University, unless a draft of the same has been proposed by the academic council;

(b) affecting the condition and mode of appointment and duties of examiners and the conduct or standard of examination or any course of study, unless a draft of such Ordinances has been proposed by the Academic Council;

(3) The Executive Council shall not have power to amend any draft proposed by the Academic Council but may reject or return it to the Academic Council for reconsideration either in whole or in part together with any amendments which the Executive Council may suggest.

(4) All Ordinances made by the Executive Council shall have effect from such date as it may direct and shall be submitted as soon as may be to the Chancellor.

(5) The Chancellor may, at any time signify to the Executive Council his disallowance of such Ordinances other than those referred hereto from the date of receipt by the Executive Council of intimation of such disallowance such Ordinances shall become *void*.

The Chancellor may direct that the operation of any Ordinance other than those referred hereto shall be suspended until he has an opportunity of exercising his power of disallowance. An order of suspension under this sub-section shall cease to have effect on the expiration of one month from the date of such order.

Regulations

47. The authorities of the University may make regulations consistent with this Act, the Statutes and the Ordinances, in such manner as may be prescribed for the conduct of their own business and that of the committees, if any, appointed by them not provided in this Act, the Statutes or the Ordinances.

CHAPTER- IX

ANNUAL REPORT AND ACCOUNTS

Annual Reports

48. (1) The Annual Report of the University shall be prepared under the directions of the Executive Council which shall include, among other matters, the steps taken by the University towards the fulfillment of its objects.

(2) The annual report so prepared shall be submitted to the Chancellor within six months from the date of completion of the academic year.

(3) A copy of annual report, prepared under sub-section (1) shall be submitted to the State Government.

Annual accounts

49. (1) The annual accounts and balance sheet of the University shall be prepared under the direction of the Executive Council and shall, once at least every year, and at intervals of not more than fifteen months, be audited by the Director, Local Fund Accounts, Uttar Pradesh or by such person or persons as the State Government may authorise in this behalf.

(2) A copy of the annual accounts together with the audit report shall be submitted to the Chancellor and the Executive Council along with the observation, if any, of the Executive Council.

(3) Any observation made by the Executive Council on the annual accounts shall be brought to the notice of the Chancellor and the views of the Executive Council, if any, on such observations shall be submitted to the State Government.

50. (1) Whenever any complaint is received by the State Government regarding loss, waste or misapplication of any money or property of the University or the State Government on its own thinks fit, it may direct for special audit of the University being done by the Director, Local Fund Accounts, Uttar Pradesh or by any officer subordinate to him.

Surcharge

(2) On receiving special audit report, the State Government shall issue a notice to the officer of the University on account of whose negligence or misconduct, the loss, waste or misapplication referred to in sub-section (1), has occurred, calling upon him to explain his action within the time fixed by the State Government in this behalf.

(3) The State Government, after considering the audit report and the reply of the officer referred to in sub-section (2), may take suitable decision in this behalf.

(4) If the State Government is of the opinion that the officer should be held responsible for paying the surcharge determined by the State Government, the surcharge shall be recovered as arrears or in such other manner as may be directed by the State Government.

51. Any casual vacancy among the members other than *ex-officio* member of any authority or body of the University shall be filled in the same manner in which the member whose vacancy is to be filled up was chosen, and the person filling the vacancy shall be a member of such authority or body for the residue of the term for which the person on whose place he fills would have been a member.

Filling of casual
Vacancy

52. No act or proceeding of any authority or body of the University shall be invalid merely by reasons of:—

Proceeding not to
be invalidated by
vacancies etc.

(a) any vacancy or defect in the constitution thereof, or

(b) some persons having taken part in the proceedings who were not entitled to do so; or

(c) any defect in the election, nomination or appointment of a person acting as member thereof; or

(d) Any irregularity in its procedure not affecting the merits of the case.

53. The Executive Council may by a two-third majority of the members present and voting, remove any person from membership of any authority or other body of the University upon the ground that such person has been convicted of an offence which, in the opinion of the Court, is an offence involving moral turpitude, or upon the ground that he has been guilty of scandalous conduct or has behaved in a manner unbecoming of a member of the University, and may upon the same grounds withdraw from any person any degree, diploma, or certificate etc. conferred or granted by the University.

Removal from
Membership
of the University

54. If any question arises whether any person has been duly elected or appointed as, or is entitled to be, a member of any authority or other body of the University or whether any decision of any authority or officer of the University including any question as to the validity of a Statute, Ordinance or Regulation, not being a Statute or Ordinance made or approved by the Chancellor, is in conformity with this Act or the Statutes or the Ordinances made there under, the matter shall be referred to the Chancellor and the decision of the Chancellor thereon shall be final:

Reference to the
Chancellor

Provided that no reference under this section shall be made:—

(a) more than three months after the date when the question could have been raised for the first time; or

(b) by any person other than an authority or officer of the University or a person aggrieved.

Bar of Suit

55. All acts and orders duly and in good faith done or passed by the University or any of its officers, authorities or bodies shall, except as otherwise provided in this Act be final, and no suit or other legal proceedings shall lie against the State Government or the University or any officer, authority or body thereof in respect of anything done or purported or intended to be done in pursuance of this Act or the Statutes or the Ordinances made thereunder.

All the disputes related to University will fall within territorial of jurisdiction of Kanpur Nagar district.

Mode of Proof of University Record

56. (1) A copy of any receipt, application, notice, order proceeding or resolution etc. of any authority or committee or board etc. of the University or other documents in possession of the University or any entry in any register duly maintained by the University, if certified by the Registrar shall be received as *prima facie* evidence of such receipt, application, notice, order, proceeding, resolution or document of the existence of entry in the register and shall be admitted as evidence of matters and transactions therein recorded.

(2) No officer or servant of the University shall in any proceedings to which the University is not a party, be required to produce any documents, register or other record of the University, the contents of which can be proved under provisions by a certified copy, or to appear as a witness to prove the matters and transactions recorded therein unless by order of the court made for special cause.

Accountability of Authority and Employee

57. Every authority and employee mentioned here or not is fully accountable to competent authority as per provisions, to carry out their basic work, responsibilities, tasks and other additional jobs as given by their superiors, as per statutes, in the interest of stakeholders of the University at large.

Powers to remove Difficulty

58. (1) The State Government may for the purpose of removing difficulties particularly in relation to the transition from the existing provisions of this Act, by order published in *Gazette*, may direct that this Act shall, during such period, as may be specified in the order, have effect subject to such adaptations whether by way of modification, addition or omission as it may deem to be necessary or expedient:

Provided that no such order shall be made after two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under sub-section (1) shall be laid before both the Houses of the State Legislature.

(3) No order under sub-section (1) shall be called in question in any court on the ground that no difficulty as is referred to in sub-section (1) existed or required to be removed.

Statutes and Ordinances to be published in the Official Gazette and to be laid before the Legislature

59. (1) Every Statutes and Ordinances made under this Act shall be published in the *Gazette*.

(2) All Statutes and Ordinances made under this Act shall, as soon as may be after they are made, be laid before each House of the State Legislature, while it is in session, for a total period of not less than thirty days, which may be comprised in one session or two or more successive sessions, and shall, unless some later date is appointed, take effect from the date of their publication in the *Gazette* subject to such modifications or annulments as the two Houses of the Legislature may, during the said period, agree to make, so however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Harcourt Butler Technological Institute is an autonomous institution which was established in the year 1921. It is fully financed by the State Government. This institute is being converted to Harcourt Butler Technical University, Kanpur with a view to making it a leading Residential University so that it becomes a Centre of Excellence with focus on Research and Development and Incubation in the fields of engineering, technology, basic and applied sciences, humanities, social sciences and management, architecture and other professional courses, to promote studies, research and innovation in emerging areas of higher education, to further skill development through continuing education programme and knowledge incubation and to achieve excellence in higher technical education and other matters connected therewith or incidental thereto.

2. It has, therefore, been decided to make a law to provide for promoting the aforesaid institution as the University to enable it to function more efficiently as a teaching and research centre to meet the requirement of higher education and research in the field of the engineering and technology, applied science and management sciences, foster industry relevant research and innovation and to avail better scopes and opportunities to serve the society and the nation.

The Uttar Pradesh Harcourt Butler Technical University Bill, 2016 is introduced accordingly.

By order,
ABDUL SHAHID,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 33 राजपत्र-(हिन्दी)-2016-(52)-599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 2 सा० विधायी-12-04-2016-(53)-300 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।